ग्रामीणों हेतु प्रमुख विकास योजनाएं

प्रस्तुति

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट
एशोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

MVDA/Lib/113

Oxfam

ऑक्सफॉम
इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

ग्रामीणों
हेतु
प्रमुख विकास योजनायें

प्रस्तुति

माउन्ट वैली डेवलेपमेंट
ऐसोसिएशन
टिहरी गढ़वाल

Oxfam

ऑक्सफॉम
इण्डिया
लखनऊ

Scanned by CamScanner

ग्रामीणों हेतु प्रमुख विकास योजनायें

आलेख, संकलन सरलीकरण एवं सम्पादन
अवतार सिंह नेगी, प्रेम सिंह पंवार, राजेन्द्र कैन्तुरा
पुरूषोत्तम थपलियाल, दुर्गा प्रसाद, कमला डवोला
दिनेश जयाडा, प्रतीक नेगी

द्वितीय प्रकाशन वर्ष : दिसम्बर 2009

प्रस्तुति एवं प्रकाशन
माउन्ट वैली डेवलेपमेंट ऐसोसिएशन
दोणी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल
दूरभाष : 01379–214094, 214111, 214112, 258582, 9412079206, 9627271962
ई–मेल : mvda_tehri@yahoo.co.in, mvda_tehri@rediff.com
वेबसाइट : www.mvda.org.in

सहयोग : ऑक्सफॉम इंडिया, लखनऊ

सहयोग राशि : 60 रूपये

मुद्रक : चारू प्रिंटर्स,
118, पार्क रोड, देहरादून
फोन : 0135–2727591

इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री का किसी भी रूप में उपयोग किया जा सकता है, यदि स्रोत का उल्लेख करेंगे तो अच्छा लगेगा।

Scanned by CamScanner

सचिव कुर्वे
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड शासन

फोन : 01376–232092 (का.)
: 01376–232040 (नि.)
फैक्स : 01376–232233 (का.)
ई–मेल : teh@ua.nic.in

अ.शा.प.स. : ....

दिनांक : ..../200.....

संदेश

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वयंसेवी संस्था मांउट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, घनसाली, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने सीमित संसाधनों के तहत प्रकाशित होने वाली पुस्तिका में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों मे केन्द्रीय एवं राज्य सरकार की आर से संचालित कार्यक्रमों, योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तिका में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिये चलायीं जा रहीं जन कल्याणकारी योजनाओं से कैसे लाभ अर्जित करें इससे संबंधित प्रपत्रों को भीं दिया गया।

मुझे आशा है कि उक्त संस्था की ओर से प्रकाशित कीं जाने वालीं पुस्तिका अपने उद्देश्यों के प्रति सफल सिद्ध होगीं। इसके सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं हैं।

(सचिन कुर्वे)

Scanned by CamScanner

एस.ए. मुरूगेशन
आई.ए.एस.
मुख्य विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

उत्तराखण्ड शासन

फोन : 01376–232603 (का.)
: 01376–232322 (नि.)
फैक्स : 01376–232080

अ.शा.प.सं. : ....

दिनांक : ..../200.....

संदेश

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मांउट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, दोणी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल द्वारा एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों यथा–महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम, महिला समाख्या टिहरी आदि विभागों की योजनाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। पुस्तिका में प्रकाशित सूचनाओं से जनपद के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित ज्ञानवर्धक व प्रेरणात्मक पहलुओं से प्रेरणा मिलेगी।

पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हैं।

(एस. ए. मुरूगेशन)

Scanned by CamScanner

एस.एस. चौहान
जिला विकास अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

फोन : 01376–232603 (का.)
: 01376–232322 (नि.)
फैक्स : 01376–232080

अ.शा.प.सं. : ....

दिनांक : ..../200.....

संदेश

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता है कि स्वयंसेवी संस्था मांउट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, घनसाली, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने संसाधनों से प्रकाशित की जा रही पुस्तिका ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगी। इस पुस्तिका में समाज कल्याण, चिकित्सा एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है, जिसकी वर्तमान समय में प्रचार–प्रसार हेतु नितान्त आवश्यकता है।

मैं ईश्वर से संस्था के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता हूं।

(एस. एस. चौहान)

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
NABARD

जिला विकास प्रबंधक
डी 7/1, टाईप IV,
नई टिहरी–249001
दूरभाष : 01376–232190
9412076390
ईमेल : ddmtehri@gmail.com

District Development Manager
D 7/1, Type IV,
New Tehri - 249001
Phone : 01376-232190
9412076390
Email : ddmtehri@gmail.com

ओ.पी. ढौंडियाल
जिला विकास प्रबंधक, टिहरी गढ़वाल

संदेश

यह सर्वमान्य सत्य है कि ज्ञान ही शक्ति है और जैसा कि जे एफ कैनेडी ने कहा है, परिवर्तन के दौर में तो शक्ति विशेषकर ज्ञान में ही है। अतः जनसमुदाय के सशक्तिकरण के प्रयासों का प्रारम्भ ज्ञान और सूचना के प्रबंधन (Information and Knowledge Management) से होना बहुत आवश्यक है।

ज्ञान और सूचना के स्रोत बिखरे पड़े हैं और इनको समेट पाना साधनहीन जनसमुदाय के लिये संभव नहीं है क्योंकि इसके लिये समय, संपर्क व धन जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस तरह की पहल समुदाय विकास से जुड़ी संस्थाओं के द्वारा ही की जा सकती है। जन विकास के लिये एक अच्छे 'ज्ञान और सूचना प्रबंधन' की कसौटी है कि वह विकास कार्यक्रमों के बारे में क्या, कहां, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर तुरंत तथा सुगम भाषा में दे सके।

यह प्रसन्नता का विषय है कि मांउट वैली डेवलपमेंट एसोसिएशन, ऑक्सफेम के सहयोग से 'ग्रामीणों हेतु प्रमुख विकास योजनायें' पुस्तिका का प्रकाशन कर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रही है। इस शुभ प्रयास की सफलता के लिये हार्दिक शुभकामनायें।

(ओ. पी. ढौंडियाल)

Scanned by CamScanner

❖ प्राक्कथन ❖

आज भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजित विकास को पांच दशक पूरे हो चुके हैं। इस समय हम इस दहलीज पर खडे हैं जहां पर 10वीं पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, ग्रामीण विकास के पांच दशक पूर्ण होने के बाद यदि हम उसका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि जहां एक ओर हमें कई उपलब्धियां प्राप्त हुई, वहीं दूसरी ओर विफलतायें भी कम नहीं रहीं। विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी, विकास कार्यक्रमों की जानकारियों का अभाव, गरीबी, भुखमरी तथा असमानतायें जस की तस बनी हुई हैं।

आठवीं तथा नवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इन विफलताओं को खोजा जा चुका है तभी तो इन पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों में इसकी स्पष्ट झलक दिखायी पड़ती है। रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, महिला विकास, पंचायती राज तथा विकास कार्यक्रमों में ग्रामीण जनों की भागीदारी पर विशेष जोर देना आदि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

विकास हेतु सरकार द्वारा अनेकानेक योजनायें चलाई जा रही हैं किन्तु धरातल में उसके सार्थक परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। काफी जांच पड़ताल व विमर्श के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि किसी भी कार्यक्रम या योजना की सफल होने की पहली शर्त होती है उसका व्यापक रूप से लक्ष्य समूहों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार। जब तक ग्रामीण विकास की योजनाओं की जानकारी पर्वतीय क्षेत्र के जन–जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक विकास योजनाओं में उनकी पूर्ण भागीदारी नहीं मिल पायेगी। जानकारी के अभाव में कोई भी योजना कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो वह वांछित परिणाम नहीं दे पायेगी।

उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए माउन्ट वैली डेवलेपमेंट एशोसिएशन द्वारा ग्रामीणों हेतु प्रमुख विकास योजनायें को एक साथ संकलित कर प्रकाशित कर जन–जन तक इनका प्रसारण करने का निर्णय लिया है ताकि आम जन तक योजनायें पहुंचे तथा वह उसका लाभ उठा सके।

प्रस्तुत पुस्तक को तैयार करने में हम अपने जनपद टिहरी गढ़वाल के ओजस्वी जिलाधिकारी श्री सचिन कुर्वे, आई0ए0एस0 के विशेष आभारी हैं जिनके विचारों से संस्था को इस तरह के प्रकाशन को तैयार करने की प्रेरणा मिली।

Scanned by CamScanner

ग्राम्य विकास की योजनाओं की स्पष्ट जानकारी देने के लिए जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एस. ए. मुरूगेशन का जिला विकास अधिकारी श्रीं एस. एस. चौहान कल्याण से सम्बन्धित योजनाओं के लिए हम अपने जिले का आभार व्यक्त करते हैं जिनके सहयोग से इस पुस्तक हेतु योजनाओं का एकत्रीकरण संभव हो पाया। संस्था आभारी है जनपद के जिला प्रबन्धक नावार्ड श्री ओ. पी. ढौडियाल का जिनका सहयोग व मार्गदर्शन संस्था को समय–समय पर मिलता रहता है। संस्था आभारी है कविता गांधी, रीजनल मैनेजर, मिर्जा फिरोज बेग, प्रोग्राम ऑफिसर, ऑक्सफॉम, इण्डिया, लखनऊ के सहयोग से इस पुस्तिका का प्रकाशन हुआ।

इस पुस्तिका के संकलन हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा जनपद में तृणमूल स्तर पर कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के ह्रदय से आभारी है। इन विभागों से प्राप्त सूचनाओं के बिना इस पुस्तिका का प्रकाशन संभव नहीं था।

साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे अपने कार्य क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, व्यक्तियों, माउन्ट वैली के शुभचिंतकों व साथियों का जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इस पुस्तिका को पूर्ण करने में सहयोग दिया।

आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका ग्राम्य विकास मे रूचि रखने वाले संगठनों, व्यक्तियों, संस्थानों व तृणमूल स्तर में कार्य करने वाले ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं हेतु उपयोगी सिद्ध होगी। इस बावत आपके विचार, सुझाव, व सकारात्मक प्रतिक्रियायें हमें इसके क्लेवर को और निखारने में सहयोग प्रदान करेगी।

Avtarsingh

अवतार सिंह नेगी
सचिव एवं मुख्य कार्यकारी
माउन्ट वैली डेवलेपमेंट एशोसिएशन
दोणी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल

Scanned by CamScanner

विषय सूची

अध्याय	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
प्रथम	**सामाजिक सुरक्षा की योजनायें**	12–56
	1. निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान	13
	2. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	17
	3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	20
	4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	25
	5. अनुसूचित जाति उत्पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता	28
	6. महिला कल्याण की अन्य योजनायें	29
	7. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	31
	8. पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति	33
	9. विकलांग छात्रवृत्ति	34
	10. अल्प संख्यक कल्याण छात्रवृत्ति	37
	11. समन्वित बाल विकास सेवा	38
	12. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	39
	13. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)	41
	14. प्रधानमंत्री रोजगार योजना	42
	15. ग्रामीण आवास योजनायें (इन्दिरा आवास योजना)	43
	16. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)	45
	17. ग्रामीण आवास की ऋण सह सब्सिडी योजना	46
	18. राष्ट्रीय बायोगैस योजना	47
	19. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	48
	20. उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)	49
	21. जन श्री बीमा योजना	50
	22. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	53

Scanned by CamScanner

अध्याय	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या

द्वितीय — महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनायें — 57–70
1. किशोरी शक्ति योजना — 58
2. किशोरी बालिका योजना — 59
3. समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.) — 60
4. बालिका समृद्धि योजना — 62
5. स्त्री शक्ति पुरस्कार — 64
6. राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार — 69

तृतीय — तकनीकी योजनायें — 71–88
1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) — 72
2. टी.टी.डी.सी. जैविक सरस खाद परियोजना — 73
3. ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास के लिये अभिनव कार्यक्रम — 74
4. ग्रामीण निर्मित केन्द्र — 76
5. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना — 77
6. पंचायती राज विभाग (अम्बेडकर योजना) — 78
7. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान — 79
8. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना– ग्रामीण पेयजल/ ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम। — 81
9. कृषि विभाग की योजनायें — 82
10. लघु सिचांई विभाग की योजनायें — 84
11. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) — 85
12. एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.) — 86
13. राष्ट्रीय जलागम विकास योजना (एन.डब्लू.डी.पी.) — 87

चतुर्थ — व्यावसायिक योजनायें — 89–120
1. खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनायें — 90
2. बैंक कन्सोर्शियम योजना — 91
3. ब्याज उपादान योजना — 92
4. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना — 93
5. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना — 113

Scanned by CamScanner

अध्याय	योजना का नाम	पृष्ठ संख्या
	6. उत्तरांचल राज्य विशेष राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना 2005	114
	7. प्रधानमंत्री रोजगार योजना – प्लस 2005	115
	8. हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन	117
	9. महिला डेरी योजना	119
पंचम	**शिक्षा विभाग की बालिका कल्याण योजनायें**	121–133
	1. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय	122
	2. प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)	124
	3. प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) कार्यक्रम	128
	4. बालिका शिक्षा	131
षष्ठम	**स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनायें**	134–140
	1. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	135
	2. जननी सुरक्षा योजना	139
सप्तम	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनायें**	141–145
	1. अन्नपूर्णा अन्न योजना	142
	2. अन्त्योदय अन्न योजना	143
	3. विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना	144
अष्टम	**पशु पालन विभाग की योजना**	146–148
नवम	**सूचना का अधिकार**	149–158
दषम	**नाबार्ड द्वारा संचालित योजनायें**	159–172
	1. किसान क्रेडिट कार्ड	160
	2. ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गोदामों हेतु आदर्श योजना	162
	3. डेरी और मुर्गीपालन वेंचर कैपिटल फंड	166
	4. उत्तरांचल ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना	168

Scanned by CamScanner

सामाजिक सुरक्षा की योजनायें

Scanned by CamScanner

निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान

योजना का उद्देश्य :
इस योजना का उद्देश्य निराश्रित विधवा को भरण–पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

लाभार्थी कौन :
समाज में ऐसी निराश्रित विधवा महिलाएं जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है व जिनकी मासिक आय 1000 रूपये से कम है तथा उनके लड़के की आयु 18 वर्ष से कम हो, इस योजना हेतु पात्र है।

योजना का स्वरूप :
यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित की जा रही है, इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि का वितरण 400 रूपये प्रतिमाह की दर से धनादेश (मनीआर्डर) के द्वारा संबंधित विधवाओं के स्थाई पते पर किया जायेगा।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :
इस योजना हेतु ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन किया जाता है इसके लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करना होता है।

अन्य एवं विशेष लाभ योजना के अन्तर्गत

पात्रता हेतु अभिलेख :

- आयु प्रमाणपत्र की फोटोकापी
- दो फोटो

Scanned by CamScanner

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

- ✶ ग्राम प्रधान
- ✶ विकासखंड के खंड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0)
- ✶ जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी

❖ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत विधवाओं के लिये

निराश्रित विधवा अनुदान के भरण–पोषण हेतु सहायक अनुदान का प्रार्थना–पत्र

(प्रतियों में भरा जायेगा)

फोटो

1. जिला .... तहसील ....
2. ब्लाक ....

   ग्राम पंचायत ....

   न्याय पंचायत ....
3. श्रीमती ....

   पत्नी स्व0 श्री ....

   पति की मृत्यु का .... स्थान .... दिनांक ....

   मृत्यु के पूर्व व्यवसाय .... मासिक आय ....
4. प्रार्थना पत्र देने की तिथि को निराश्रित विधवा की आयु ....
5. जाति / उपजाति ....
6. प्रार्थिनी के आश्रितों का विवरण :

क्र.सं	नाम	आयु	प्रार्थिनी से सम्बन्ध
1.			
2.			
3.			
4.			

Scanned by CamScanner

7. क्या प्रार्थिनी के किसी पुत्र या पौत्र की कोई आमदनी है। यदि हो तो उसका विवरण ....
मासिक आय ....

8. यदि प्रार्थिनी कोई कार्य करती है तो उसका विवरण ....व्यवसाय ....मासिक आय ....

9. यदि प्रार्थिनी के पास चल/अचल सम्पति है तो सभी स्रोतों से मासिक आय............. ....

10. क्या प्रार्थिनी किसी ऐसे गृह की संवासिनी है जहां निःशुल्क भरण–पोषण की व्यवस्था है, यदि हां तो गृह का पूर्ण विवरण ....

11. प्रार्थिनी को यदि अन्य श्रोत से कोई सहायता /अनुदान भरण–पोषण हेतु मिल रहा है तो उसका पूर्ण विवरण ....

12. उत्तराखण्ड प्रदेश में कब से रह रही है.. ....

13. क्या अपना मकान है अथवा किराये का विवरण ....

14. यदि किसी अन्य के साथ रह रही है तो उसका सम्बन्ध ....

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
अँगुठा निशान

मैं श्रीमती ....एतद्द्वारा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सभी उपरोक्त विवरण सत्य है। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण गलत है तो मुझे दी गयी अनुदान की राशि को मैं वापस कर दूंगी और जालसाजी के लिये मैं अपने विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य रहूंगी। तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई सम्पूर्ण अनुदान राशि राजस्व देयों की तरह वसूल कर ली जाये।

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर
अंगुठा निशान

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत .... ब्लाक .... जिला............................ के आदेश

1. ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो दिनांक ....को सम्पन्न हुई में इस प्रार्थना पत्र पर विचार हुआ।

2. यह पाया गया कि प्रार्थिनी योजना सम्बन्धि सभी शर्तें पूर्ण करती है।

अथवा

निम्न शर्तें पूर्ण नहीं करती

(क) ....

(ख) ....

(ग) ....

(घ) ....

3. ग्राम पंचायत की बैठक में प्रार्थिनी को नियमानुसार निराश्रित विधवा अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया और आयु की वरीयता में प्रतीक्षा सूची में क्रमांक .... पर दर्ज किया गया।

अथवा

प्रार्थना पत्र अपात्र होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर /मुहर
दिनांक :

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर /मुहर दिनांक

ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद

श्रीमती ....पत्नी स्व0 श्री ....

निवासी ....को प्रार्थना पत्र आज दिनांक ....को प्राप्त किया गया।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

योजना का उद्देश्य :

इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को दो बच्चों के लिए पूर्व प्रसव तथा बाद की देखभाल हेतु आर्थिक सहायता देना।

लाभार्थी कौन :

- ✶ इस योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली वह गर्भवती महिलायें होगी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- ✶ इस योजना का लाभ दो बच्चों तक ही मिलेगा।

योजना का स्वरूप :

प्रसव काल के दौरान प्रसव होने से दो या तीन माह पूर्व रू. 500.00 (पांच सौ) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ कैसे लें :

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना हेतु लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा चयन किये जाने के उपरांत एक नियत प्रपत्र पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन प्रेषित किया जाता है।

पात्रता हेतु अभिलेख :

- ✶ आयु प्रमाणपत्र
- ✶ बी.पी.एल. प्रमाणपत्र
- ✶ गर्भवती प्रमाणपत्र

Scanned by CamScanner

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

- ✶ ग्राम प्रधान
- ✶ खंड विकास अधिकारी
- ✶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना प्रार्थना–पत्र

विकास खण्ड / नगर क्षेत्र .... ग्राम सभा / वार्ड का नाम ....

1. आवेदिका का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. पूरा पता / मो0 .... पो0 ....
   विकास खण्ड .... तहसील .... जिला ....
4. आवेदिका की उम्र ....
5. आवेदिका के जीवित बच्चों की संख्या ....
6. आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अन्तर्गत आती है या नहीं ....
7. बच्चा पैदा होने की सम्भावित स्थिति ....

दिनांक .... लाभार्थी के हस्ताक्षर / निशाना अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में क्रम सं0 1 से 7 दी गई सभी सूचनायें सही हैं। आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन पत्र में दी गई सूचना गलत पाई जाय तो अनुदान की धनराशि वापस कर दूंगी।

लाभार्थी के हस्ताक्षर / निशाना अंगूठा

पता ....

Scanned by CamScanner

संस्तुति आख्या

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ....

पत्नी .... निवासी ....

....

की उम्र 19 वर्ष से अधिक है। इनके पास एक जीवित बच्चा है तथा इसके पश्चात् इन्होंने पुनः गर्भधारण किया है एवं बच्चे की सम्भावित जन्म तिथि .... है।

श्रीमती .... पत्नी ....

गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। इनको मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत 500 रू0 प्रदान किये जाने की संस्तुति दी जाती है।

हस्ताक्षर ए.एन.एम. / आंगनबाड़ी कार्यकत्री   गाम प्रधान / सभासद / सदस्य ग्रामीण निकाय

नाम ....   मुहर

स्वीकृति आख्या

श्रीमती .... पत्नी ....

निवासी .... को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना क अन्तर्गत 500 रू0 की धनराशि स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम ....

पदनाम ....

(मुहर सहित)

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

योजना का उद्देश्य :

इस योजना में उन वृद्धों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनकी देखभाल के लिये कोई नहीं होता है।

लाभार्थी कौन :

- ★ ऐसा व्यक्ति (महिला एवं पुरूष दोनों) जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- ★ व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो और उसके पास आय का नियमित साधन नहीं है या परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहयोग नहीं मिल रहा हो।

योजना का स्वरूप :

- ★ सरकार ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत रू. 400.00 प्रतिमाह की दर से पेंशन देती है।
- ★ छह महीने में कम से कम एक बार भुगतान जरूरी है।
- ★ पेंशन को सार्वजनिक बैठकों में दिये जाने का प्रावधान है और इन मामलों में यह नकद भी दी जा सकती है। अन्यथा, पेंशन लाभार्थी के वाणिज्यिक बैंक के खाते या डाकघर बचत खाते में जमा करा दी जाती है या मनीआर्डर द्वारा दी जाती है।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

इस कार्यक्रम के लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत द्वारा सभा की खुली बैठक में किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा चयन किये जाने के उपरांत नियत प्रपत्र पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

पात्रता हेतु अभिलेख :

* बी.पी.एल. प्रमाणपत्र
* आयु प्रमाणपत्र
* फोटो

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

* ग्राम प्रधान
* खंड विकास अधिकारी
* जिला समाज कल्याण अधिकारी

वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र

(ग्रामीण क्षेत्र)

ओ.ए.पी (1) पहली प्रति/दूसरी प्रति

फोटो

1. श्री/श्रीमती ....
पुत्र/पुत्री/पत्नी..
2. पूरा पता ....पो. ....
ग्राम पंचायत ....ब्लाक ....
तहसील .... जिला देहरादून
3. आयु ....वर्ष ....(प्रार्थना पत्र देने की तारीख को)
आयु का कोई प्रमाण –पत्र नहीं है प्रमाण की असल या नकल नत्थी है।
4. ये प्रार्थी के नीचे लिखे रिश्तेदार हैं और उनकी आयु दी जाती है:–
(क) पुत्र ....वर्ष ....
(ख) पति/पत्नी ....वर्ष ....
(क) पुत्र का पुत्र ....वर्ष ....
(ख) पति/पत्नी ....वर्ष ....
5. शिनाख्ती चिन्ह ....

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा शपथ

6. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि :–

क) मेरे गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है आमदनी रू. 1000/– से अधिक नहीं है।

ख) शारीरिक अक्षमता के कारण मैं अपना/अपनी जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हूँ।

ग) मैं विस्थापित तथा दूसरे प्रदेश का आवासी हूँ व उत्तराखण्ड प्रदेश में 3 माह से रह रहा /रही हूँ।

ध) मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पत्ति है जिसका अनूमानित मूल्य ....रू है।

ड) मैं उत्तराखण्ड का/की निवासी हूँ और 1 वर्ष से अधिक समय से उत्तराखण्ड में रहा/रही हूँ।

च) क्या पहले कहीं नौकरी की है? यदि हां तो विवरण दें...

छ) क्या आपको आर्थिक सहायता पेंशन भी मिलती है यदि हां तो प्रति माह कितनी ....

प्राथी के हस्ताक्षर व निशान
अंगूठा बायां/दायां

ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी ....
निवासी ....का प्रार्थना पत्र आज दिनांक ....
को प्राप्त किया गया।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत ....ब्लाक .... जिला देहरादून
के आदेश ....

1. ग्राम पंचायत की खुली बैठक जो दिनांक ....को सम्पन्न हुई में इस प्रार्थना पत्र पर विचार हुआ।
2. यह पाया गया कि प्रार्थी/प्रार्थिनी योजना सम्बन्धी सभी शर्ते पूर्ण करता है/करती है।

अथवा

निम्न शर्ते पूरी करती/करता है–

(क) ....
(ख) ....
(ग) ....
(घ) ....

Scanned by CamScanner

3. ग्राम पंचायत की बैठक में प्रार्थी/प्रार्थिनी को नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। और आयु की वरीयता में प्रतीक्षा सूची में नाम क्रमांक ....पर दर्ज किया गया।

अथवा

प्रार्थना पत्र अपात्र होने के कारण अस्वीकृत किया गया।

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर
एवं मुहर
दिनांक :

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर
दिनांक :

वृद्धावस्था/किसान पेंशन के लिए आवेदन पत्र

(शहरी क्षेत्र)

फोटो

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक ....

1. श्री/श्रीमती/कु...
2. पिता/पति का नाम ....
3. पूरा पता : मकान नं0 ....ग्राम /मौहल्ला ....
4. आवेदक की आयु .... वर्ष ....
5. आवेदक की मासिक आय ....
6. आवेदक की भूमि का विवरण ....
7. जाति ....
8. आवेदक के परिवार का विवरण :

क्र.सं	परिवार के सदस्यों का नाम व पता	आयु	आवेदक के साथ सम्बन्ध	मासिक आय	आवेदक उस पर आश्रित है या नहीं

Scanned by CamScanner

9. पहचान का चिन्ह

प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि :

क) मेरे गुजर–बसर को कोई जरिया नहीं है आमदनी रू 225/– प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

ख) शारीरिक अक्षमता के कारण मैं अपना गुजर–बसर करने में असमर्थ हूँ।

ग) मैं विस्थापित तथा दूसरे प्रदेश से आवसी हूँ तथा उत्तराखण्ड प्रदेश में तीन माह से रह रहा/रही हूँ।

घ) मेरे पास निम्नलिखित अचल सम्पति है जिसका कि अनुमानित मूल्य .... रूपया है।

ड) मैं उत्तराखण्ड प्रदेश का निवासी हूँ और एक वर्ष से अधिक समय से उत्तराखण्ड में रह रहा/रही हूँ।

च) मैं पहले नौकरी में था/थी जिसक कि विवरण निम्नानुसार है ....
....
....

छ) मुझको पूर्व में आर्थिक सहायता/पेंशन मिलती है जिसका कि विवरण निम्नानुसार है ....
....

(जो लागू न हो उसे काट दें)

आवेदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

आवेदक का नाम ....

Scanned by CamScanner

चिकित्सक/रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीकरण–ग्राम पंचायत/नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत का

प्रमाण पत्रा

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .... पत्नी/पुत्र/पुत्री/श्री ....का मेरे द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया या ग्राम पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत / नगर निगम के जन्म मृत्यु रजिस्टर की जांच की गयी तथा यह पाया गया कि इनकी आयु ....वर्ष है तथा यह आयु के आधार पर वृद्वावस्था / किसान पेंशन पाने की /के पात्र हैं।

हस्ताक्षर

पूरा नाम ....

राजकीय चिकित्साधिकारी / रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु पंजीयन/ ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत मोहर।

❖❖❖❖

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर प्रभावित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

लाभार्थी कौन :

✶ ऐसे मृतक के परिजन जो परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य (पुरूष या स्त्री)

Scanned by CamScanner

रहा हो और जो परिवार की कुल आय में बड़ा योगदान कर रहा था।

- ✶ मृतक की आयु 18 वर्ष से ज्यादा 65 वर्ष से कम हो।
- ✶ प्रभावित परिवार गरीबी रेखा से नीचे की सूची में होना चाहिए।

योजना का स्वरूप :

- ✶ परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को एकमुश्त रू. 10,000.00 का अनुदान मिलता है।
- ✶ मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु चाहे प्राकृतिक या आकस्मिक कारणों से हुई हो, सहायता की राशि रू. 10,000.00 ही होती है।
- ✶ यह राशि परिवार के उस सदस्य को दी जाती है जिसके बारे में स्थानीय पूछताछ के बाद पता चले कि वह अब घर का मुखिया होगा (वह मुखिया भी हो सकती है), इस योजना की सहायता राशि चैक के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। यह भी प्रयास किया जाता है कि सहायता राशि बैंक खाते के जरिये दी जाये।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

ग्राम पंचायत द्वारा इस हेतु जारी प्रमाण पत्र के साथ एक निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

- ✶ ग्राम प्रधान
- ✶ खंड विकास अधिकारी
- ✶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (नैशनल फैमिली बेनीफिट स्कीम) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र

फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता / पति का नाम ....
3. पूरा पता ग्राम .... पो0 ....
   वि0ख0.......................... तहसील .... जिला ....
4. मृतक का नाम .... जाति ....
5. मृतक का पूरा नाम ....
6. मृतक की तिथि समय व स्थान ....
7. मृत्यु का कारण ....
8. मृतक का पेशा ....
9. मृत्यु की दिनांक को मृतक की उम्र ....
10. मृतक के परिवार की वार्षिक / मासिक आमदनी ....
11. आवेदक का मृतक से सम्बन्ध ....
12. मृतक से आश्रित का विवरण ....

स्थान .... दिनाकं ....

आवेदक के हस्ताक्षर / निशान अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक परिवार का आय का मुख्य साधन था। मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन पत्र में जो सूचना दी गई है और गलत पाई जाय तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को वापस कर दूंगा / दूंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर / निशान अंगूठा

नोट : आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

1. मृतक परिवार के आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार / उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।
2. मृतक की उम्र का प्रमाण पत्र।
3. मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र। असामयिक मृत्यु होने की दशा में दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र (ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त)।

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

अनुसूचित जाति उत्पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता

योजना का उद्देश्य :

अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता देना।

लाभार्थी कौन :

अत्याचार उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवार।

योजना का स्वरूप :

- अनुसूचित जाति परिवार के कमाऊ व्यक्ति की हत्या अथवा स्थायी अपंगता में रूपया 2 लाख (रूपया दो लाख) न कमाने वाले व्यक्ति की स्थिति में रूपया एक लाख, बलात्कार के मामले में रू. 50,000 तथा अन्य मामलों में घटना की प्रकृति के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति के निर्बल व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी एवं उनके परिजनों के बीमारी के उपचार हेतु सहायता दी जाती हे। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्ति जिनकी मासिक आय 1000.00 रूपये से कम हो, की पुत्री की शादी हेतु 10,000.00 तथा बीमारी के उपचार हेतु 2000.00 रूपये की सहायता प्रदान की जाती है। शादी के मामले में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

योजना का लाभ कैसे लें :

अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता जिलाधिकारी महोदय द्वारा घटना घटित होने के तत्काल बाद प्रदान करने का प्राविधान है। अतः

Scanned by CamScanner

पीड़ित अनुसूचित जाति का परिवार जिलाधिकारी के पास पत्र द्वारा अथवा स्वयं जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जिलाधिकारी घटना की पुष्टि होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगें। उक्त धनराशि आबंटन उपलब्ध न होने की दशा में टी.आर. –27 के अर्न्तगत आहरित कर भुगतान करने का अधिकार है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

★ जिला समाज कल्याण अधिकारी

(इस योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए समाज कल्याण अनुभाग का दिनांक 17 अक्टूबर, 1995 का शासनादेश का अवलोकन करें, जो इस पुस्तक में दिया गया है।)

❖❖❖❖

महिला कल्याण की अन्य योजनायें

भारतीय संविधान की धारा 16 के अर्न्तगत महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाने के उद्‌देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के अर्न्तगत महिला कल्याण अनुभाग की स्थापना की गयी है। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने के उद्‌देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

1. 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार योजना – वे विधवा महिला जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है, उनके पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से राज्य सरकार द्वारा

Scanned by CamScanner

11000 रूपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है।

2. किसी भी वर्ग की विधवाओं को जो विधवा पेंशन पाने की पात्र हैं, को पुत्रियों की शादी करने हेतु 10,000 रूपये की सहयता अनुदान के रूप में दी जाती हैं।

3. **दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता** – दहेज प्रतिशेध I अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत शिकायतों की जांच के उपरान्त विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट, न्यायालय परिवाद है तथा उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र के आधार पर विवेचना के उपरान्त सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ऐसी परित्यक्त महिलाओं को 125 रूपये प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

4. **दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता** – दहेज से पीड़ित महिलाओं जिनकी मासिक आय 50 रूपये से कम है तथा जिनके पास अपने भरण पोषण हेतु आय के अन्य कोई स्रोत नहीं है उन्हें दहेज उत्पीड़न वाद कानूनी पैरवी हेतु अधिकतम 1000 रूपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता अनुमन्य की जाती है।

5. **राजकीय नारी निकेतन की स्थापना** – दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाओं की सहायता हेतु डाकपत्थर (देहरादून), थत्यूड, जौनपुर (टिहरी गढ़वाल) तथा नौगांव (उत्तरकाशी) में नारी निकेतन की स्थापना की गयी है। नारी निकेतन में इन महिलाओं को आवासीय सुविधा, भोजन, वस्त्र के साथ–साथ नौ माह का सिलाई–बुनाई एवं कढ़ाई तथा अक्षर ज्ञान आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

6. **बालिका निकेतन** – इस योजना के अर्न्तगत विभाग द्वारा अनाथ एवं

Scanned by CamScanner

निराश्रित किशोरी अवस्था की बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बालिका निकेतन अल्मोड़ा एवं देहरादून में संचालित हैं, जिन्हें आवसीय, भोजन, वस्त्र, एवं शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

7. **शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्र** – ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों की मलिन बस्तियों की महिलायें नित्य अपने कामकाज पर चली जाती हैं। ऐसी महिलाओं के बच्चों को पूर्व विद्यालय, शिक्षा तथा पोषाहार की सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से शिशुशाला एवं बालवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

8. **जिला शरणालय एवं प्रवेशालय** – इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक एवं नैतिक स्वास्थ्य उत्तर रक्षा सेवा के अर्न्तगत अनैतिक व्यापार प्रीवेन्स अधिनियम में की गयी व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से जिला शरणालय एवं प्रवेशालय की स्थापना की गयी है।

9. **राजकीय सम्प्रेक्षण गृह** – विभाग द्वारा अपेक्षित तथा अपचारी किशोरों को संरक्षण देने एवं उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से राजकीय संरक्षण गृहों की स्थापना की गयी है, गृहों में निरूद्ध बालकों को निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र, भोजन आदि प्रदान किया जाता है।

❖❖❖❖

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति

उद्देश्य :

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना।

Scanned by CamScanner

योजना/सहायता का विवरण :

- ★ योजना के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाती है तथा मासिक आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- ★ चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग की डिग्री/डिप्लोमा के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ प्रति वर्ष क्रमशः रू0 500/– तथा रू0 250/– की पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहयोग का प्रकार :

- ★ योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक रू0 25/–
- ★ कक्षा 6 से 8 तक रू0 40/–
- ★ अभिभावकों की मासिक आय रू 2500/– से कम होने पर कक्षा 9 से 10 तक रू0 60/– प्रतिमाह दिया जाता है।

लक्षित समूह :

- ★ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र छात्राओं हेतु कक्षा 1 से कक्षा 10 तक एवं चिकित्सा व इंजीनियरिंग की डिग्री व डिप्लोमा कक्षाओं के छात्र छात्रायें।

अन्य लाभ :

- ★ 10 वीं तथा उच्च कक्षाओं एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी अध्ययनरत छात्राओं को अभिभावकों की वार्षिक आय के आधार पर छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें :

- ★ जिला समाज कल्याण अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति

उद्देश्य :

पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ★ योजना के तहत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को जिनकी अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000 से कम हो (बच्चे कक्षा 1–8 में पढ़ते हो) कक्षा में सर्वोच्च अंकों के आधार पर कक्षाओं के हिसाब से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- ★ जिन अभिभावकों के बच्चे 9 से 10 कक्षा में पढ़ते हैं उनका मासिक आय 2500 से कम है, को कक्षाओं के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जानी है।

सहयोग का प्रकार/पात्रता/प्रक्रिया आदि :

- ★ योजना के तहत प्रत्येक बेसिक विद्यालय में कक्षा 3 से 5 तक प्रति कक्षा एक, कक्षा 6 में दो कक्षा 7–8 में प्रति कक्षा तीन इस प्रकार कुल 11 बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जाना अनुमन्य है।
- ★ छात्रवृत्ति की दर कक्षा 3–5 तक 25 रू0 6–8 तक 40 रूपये 9–10 में 50 रूपये प्रतिमाह है।

लक्षित समूह :

- ★ पिछड़ी जाति की छात्र–छात्राओं हेतु कक्षा 10 से पूर्व अध्ययनरत हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष / अन्य लाभ :

- ★ 10 वीं तथा उच्च कक्षाओं एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भी अध्ययनरत छात्राओं को अभिभावकों की वार्षिक आय के आधार पर छात्रवृत्ति/आर्थिक सहायता निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ★ जिला समाज कल्याण अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

विकलांग छात्रवृत्ति

उद्देश्य :

विकलांग छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना।

योजना/सहायता का विवरण :

★ इसके अन्तर्गत ऐसे विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिनके कि अभिभावकों की मासिक आय रू0 2000 से कम हो तथा जिनके पास विकलांगता का प्रमाण पत्र हो।

सहयोग का प्रकार :

विकलांग छात्राओं को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है।

★ कक्षा 1 से 5 तक रूपये 25/–

★ कक्षा 6 से 8 तक रूपये 40/–

★ कक्षा 9 से 12 तक रूपये 85/– प्रतिमाह

★ स्नातक एवं स्नाकोत्तर कक्षाओं व उच्च व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु रूपये 170/– प्रतिमाह दिया जाता है।

लक्षित समूह :

★ विकलांग छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जिनके कि अभिभावकों की मासिक आय रूपये 1000/– से कम हो।

विशेष / अन्य लाभ :

★ विकलांग छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित कर उनको रोजगार के लिए तैयार करना।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

★ जिला समाज कल्याण अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

विकलांग भरण–पोषण अनुदान हेतु आवेदन पत्र

(नेत्रहीन, मूकबधीर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र)

फोटो

प्रार्थी का नाम ....

पिता /पति का नाम ....

स्थाई पता ग्राम ....पो0 ....

विकास खण्ड .... जिला ....

जाति (यदि अनु. जाति/अनु. जनजाति के हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

प्रार्थी /प्रार्थिनी की आयु वर्षों में ....

प्रदेश जिसके निवासी हैं ....

उत्तराखण्ड में निवास की अवधि ....

प्रार्थी /प्रार्थिनी के स्वास्थ्य की स्थिति की बाधिता के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

प्रार्थी /प्रार्थिनी निराश्रित है यदि हां तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ....

प्रार्थी /प्रार्थिनी की चल–अचल सम्पति का विवरण ....

प्रार्थी /प्रार्थिनी की मासिक आय ....

प्रार्थी /प्रार्थिनी को अन्य सहायता ....

प्रार्थी/प्रार्थिनी को अन्य सहायता राज्य अनुदान/भारत सरकार/गैर संगठन से प्राप्त होती है यदि हां तो उंल्लख करें ....

प्रार्थी /प्रार्थिनी द्वारा शपथ पत्र

मैं प्रमाणित करता /करती हूँ कि :

1. मेरे गुजर–बसर का कोई जरिया नहीं है और न ही किसी प्रकार की कोई आय है।
2. मुझे शासन द्वारा कोई सहायता या पेन्शन नहीं मिलती है।

Scanned by CamScanner

3. मैंने इससे पूर्व शासन को आर्थिक सहायता हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है।

4. प्रार्थना पत्र में जो सूचनायें दी गई हैं सत्य है ये गलत सिद्ध हों तो अनुदान की धनराशि सरकार की सम्बन्धित नियमावली के अनुसार वापिस करने के लिए बाध्य होऊँगा/होऊँगी।

5. मेरा कोई पुत्र अथवा पौत्र अथवा निकट सम्बन्धी नहीं है जो मेरे भरण–पोषण में सहायता प्रदान करता है।

प्रार्थी / प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों हेतु ग्राम सभा का प्रस्ताव

दिनांक .... को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव सं0 .... में

श्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....

निवासी ....पो0 ....विकासखण्ड ....

जनपद .... को विकलांग पेंशन स्वीकृति हेतु चयनित किया गया है।

इनकी मासिक आय .... ह।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं मुहर

ग्राम प्रधान
के हस्ताक्षर एवं मुहर

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–
जिला समाज कल्याण अधिकारी

Scanned by CamScanner

अल्प संख्यक कल्याण छात्रवृत्ति

उद्देश्य :

अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ यह योजना अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु है तथा सहायता के रूप में कक्षावार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक रूपये 25/– कक्षा 6 से 8 तक रूपये 40/–
- ✶ कक्षा 9 से 10 तक रूपये 60/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

लक्षित समूह :

- ✶ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो कक्षा 1 से कक्षा 10 की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्रायें।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ छात्रवृत्ति आसानी से वितरित की जाने हेतु विद्यालय स्तर गठित समिति तथा कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति वितरण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को प्रदान किया गया है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ✶ जिला समाज कल्याण अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

समन्वित बाल विकास सेवा

उद्देश्य :

गर्भवती तथा धात्री महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण एवं अस्वस्थता के प्रति जागरूकता पैदा करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण एवं अस्वस्थता के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- ✶ जन्म से 6 वर्ष तक के आयु की बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढझना तथा मानसिक शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव डालना।
- ✶ माताओं में बच्चों की देखभाल की क्षमता विकास करना।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ आंगनबाडी कार्यकात्रियों द्वारा सर्वेक्षण के उपरान्त गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व 0–6 वर्ष के बच्चों को चिन्हित कर चयनित किया जाता है।
- ✶ बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना।
- ✶ बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित विभागों के बीच प्रभावशाली समन्वय बनाना।

लक्षित समूह :

- ✶ इस योजना के तहत गर्भवती, धात्री महिलायें एवं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे सम्मलित हैं।

Scanned by CamScanner

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ योजना के तहत विशिष्ट सेवाओं के अंतर्गत पूरक आहार, स्वास्थ्य परीक्षण, संदर्भ सेवायें।
- ✶ प्रतिरक्षण/टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ✶ आगनबाड़ी केन्द्र/बाल विकास परियोजना अधिकारी

❖❖❖❖

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उद्देश्य :

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, यौन जनित रोगों आदि पर जागरूकता प्रदान करना।

योजना/सहायता का विवरण :

योजना के तहत निम्न परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं –

- ✶ आर.सी.एच. कार्यक्रम
- ✶ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम
- ✶ मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
- ✶ क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम
- ✶ कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम
- ✶ अन्धता निवारण कार्यक्रम

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

- ★ **आर.सी.एच. कार्यक्रम** – इस कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल, टीकाकरण, परिवार नियोजन, एड्स के प्रति जागरूकता आदि है।
- ★ **पोलियो उन्नमूलन कार्यक्रम** – प्रत्येक वर्ष अक्टूबर से जनवरी के मध्य अलग–अलग चरणों में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
- ★ **मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम/क्षय नियंत्रण कार्यक्रम** – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मं क्षयरोग के उपचार की पूर्ण निःशुल्क व्यवस्था है।
- ★ **कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम** – कुष्ठ के रोगियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, जिला अस्पताल से निःशुल्क दवाईयों को दिये जाने की व्यवस्था है।
- ★ **अन्धता निवारण कार्यक्रम** – मोतिया बिन्दु का निःशुल्क ऑपरेशन।

लक्षित समूह :

- ★ गर्भवती मातायें एवं शिशुओं हेतु इस योजना के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

विशेष / अन्य लाभ :

- ★ महिलाओं एवं शिशुओं की देखभाल के अतिरिक्त अन्य बीमारियों का इलाज जिला अस्पताल, स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर किया जा रहा है तथा घर तक की सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ★ चिकित्सा विभाग

Scanned by CamScanner

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वरोजगार के द्वारा तीन वर्षों के भीतर गरीब रेखा से ऊपर उठना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ सामान्य जाति का होने पर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत और अधिकतम रू0 7500/–
- ✶ अनु0 जाति/जनजाति का होने पर लागत का 50 प्रतिशत और अधिकतम रू0 10000/–
- ✶ स्वयं सहायता समूह में प्रति सदस्य रू0 10000/– दिया जायेगा जो कि अधिकतम 1.25 लाख होगा।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ बैंक द्वारा समूह के बचत के सापेक्ष चार गुना बैंक ऋण की सुविधा दी जायेगी।
- ✶ बैंक द्वारा चक्रीय कोष के रूप में प्रथम ग्रेडिंग पर यदि समूह की बचत रूपये 5000/– तक है तो रू 5000/–
- ✶ यदि समूह की बचत 5 से 10 हजार के बीच बचत धनराशि होने की दशा में बचत के सापेक्ष अनुदान दिया जायेगा, जो कि रूपये 10 हजार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- ✶ सामान्य मृत्यु पर 5 हजार रूपये का भुगतान उनकी परिवार को किया जाता है।
- ✶ बीमा द्वितीय ग्रेडिंग पर किया जाता है।

Scanned by CamScanner

लक्षित समूह :

- ✶ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ सामूहिक स्वरोजगारी बीमा अन्तर्गत समूह की स्वरोजगारी को वित्त पोषण दिवस से 5 वर्ष की अवधि हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा दुर्घटना से मृत्यु पर रू0 10 हजार तथा सामान्य मृत्यु पर 5000/—
- ✶ प्रीमियम की धनराधि सरकार द्वारा देय होती है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ✶ मुख्य विकास अधिकारी
- ✶ खण्ड विकास अधिकारी
- ✶ ग्राम्य विकास अधिकारी

❖❖❖❖

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

उद्देश्य :

शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार सहायता प्रदान करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु ऋण सीमा 2 लाख तक व्यवसाय के लिए 1 लाख रू0 तक निर्धारित है इसमें 15 प्रतिशत अधिकतम रू0 15000 प्रति उद्यमी की दर से अनुदान देय है।
- ✶ ऋण वापस करने की अवधि 3 से 7 वर्ष है।

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

- ✶ शिक्षित बेरोजगार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन किया जाता है।
- ✶ जहां पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा गठित एक समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच व आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाते हैं। सफल आवेदकों को बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त होता है।

लक्षित समूह :

- ✶ 18–20 आयु वर्ग का शिक्षित बेरोजगार/अनु0 जाति/ अनु. जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष सुनिश्चित की गयी है।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ योजना के तहत बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन, व्यवसाय सहित कृषि एवं सभी आर्थिक व्यवसायों में लघुतर उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार को रोजगार सहायता प्रदान की जाती है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ✶ महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र

❖❖❖❖

ग्रामीण आवास योजनायें (इन्दिरा आवास योजना)

उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले आवासहीन परिवार, भूमिहीन परिवार एवं कच्ची आवासों को अर्ध पक्के आवासों में बदलना।

Scanned by CamScanner

योजना / सहायता का विवरण :

- ✶ नये आवास निर्माण / उच्चीकरण हेतु हेतु सहायता एकमुश्त या दो किस्तों में परन्तु रूपये 3000/– का अंतिम भुगतान मकान, शौचालय तथा धुआंरहित चूल्हा का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात दिया जाता है।
- ✶ कुल निधियों का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण पर तथा 20 प्रतिशत आवासों के सुधार उच्चीकरण हेतु निर्धारित।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ कच्चे आवासों को अर्ध पक्के या पक्के आवासों में बदलना।
- ✶ मैदानी क्षेत्रों में स्वच्छ शौचालय तथा धुआंरहित चूल्हा सहित अधिक 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकान के निर्माण पर रूपये 22500/– एवं पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों हेतु रूपये 25000/– का अनुदान दिया जाता है।
- ✶ ढांचा गत एवं सामान्य सुविधाओं हेतु मैदानी एवं पर्वतीय /दुर्गम क्षेत्रों में रूपये 2500/– का अनुदान दिया जाता है।

लक्षित समूह :

- ✶ गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले आवासहीन परिवार / भूमिहीन परिवार।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ ठेकेदारों एवं विभागीय निर्माण पर पूर्ण प्रतिबन्ध एवं मकानों का डिजायन लाभार्थी की इच्छा द्वारा तय होता है।
- ✶ मकान का कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर हो।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें :

- ✶ खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)

उद्देश्य :

गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले आवासहीन परिवार, भूमिहीन परिवार एवं कच्ची आवासों को अर्ध पक्के आवासों में बदलना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ नये आवास निर्माण/उच्चीकरण हेतु हेतु सहायता एकमुश्त या दो किस्तों में परन्तु रूपये 3000/– का अंतिम भुगतान मकान, शौचालय तथा धुआंरहित चूल्हा का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात दिया जाता है।
- ✶ कुल निधियों का 80 प्रतिशत नये आवासों के निर्माण पर तथा 20 प्रतिशत आवासों के सुधार उच्चीकरण हेतु निर्धारित।

सहयोग का प्रकार/पात्रता/प्रक्रिया आदि :

- ✶ शिक्षित बेरोजगार द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन किया जाता है।
- ✶ जहां पर जिला उद्योग केन्द्र द्वारा गठित एक समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच व आवेदकों के साक्षात्कार लिए जाते हैं। सफल आवेदकों को बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त होता है।

लक्षित समूह :

- ✶ गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले आवासहीन परिवार/भूमिहीन परिवार।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ योजना के तहत ग्रामीण जरूरतमंद समुदाय को आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

संपर्क अधिकारी/विभाग –

- ✶ मुख्य विकास अधिकारी
- ✶ खण्ड विकास अधिकारी।

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

ग्रामीण आवास की ऋण सह सब्सिडी योजना

उद्देश्य :

आवास उपलब्ध करवाना।

योजना/सहायता का विवरण :

★ अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये 10,000/– प्रति परिवार है। योजना के अन्तर्गत प्रति पविार अधिकतम रूपये 40,000/– ऋण वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिया जाना अनिवार्य है।

★ समग्र आवास योजना के अंतर्गत भी आवासहीन परिवारों हेतु आवास के साथ साथ उन लोगों की भागीदारी से पर्यावरण विकास किया जाना।

सहयोग का प्रकार :

★ कुल निधियों का 60 प्रतिशत निधियों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु निर्धारित।

★ शेष 40 प्रतिशत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीबतम परिवार।

लक्षित समूह :

★ ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आमदनी रूपये 32 हजार तक हो।

विशेष / अन्य लाभ :

★ लाभान्वित होने वाले गांव महानगरों व बड़े शहरों से कम से कम 20 किमी0 तथा छोटे व मझोले नगरों से 5 किमी0 दूर होने चाहिये।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें :

★ मुख्य विकास अधिकारी

★ खण्ड विकास अधिकारी।

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय बायोगैस योजना

उद्देश्य :

ग्रामीणों परिवारों की ईंधन, रोशनी की समस्या के समाधान हेतु योजना चलायी जा रही है।

योजना/सहायता का विवरण :

★ प्रत्येक बायोगैस संयंत्र के लिए रूपये 3500/– अनुदान देय होगा जो संयंत्र से प्रथम बार गैस निकलने के बाद लाभार्थी को दिया जायेगा। यदि इसे शौचालय से जोड़ा जाय तो 500/– रूपये अतिरिक्त धनराशि देय होगा।

सहयोग का प्रकार :

★ योजना के तहत बायोगैस संयत्र से ग्रामीण को रोशनी एवं ईंधन के रूप में, पौधों हेतु खाद धुंए से बचाव, लकड़ी की समस्या से समाधान घर व रसोई की सफाई में आसानी आदि।

लक्षित समूह :

★ ग्रामीण क्षेत्रों के ईंधन की समस्या का समाधान होने के साथ–साथ धुएं की समस्या भी कम हो जाती है।

विशेष / अन्य लाभ :

★ बायोगैस संयंत्र से ईंधन की समस्या का समाधान होने के साथ–साथ धुएं की समस्या भी कम हो जाती है।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें :

★ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

★ खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

उद्देश्य :

वनों की कटाई रोकना, ईंधन बचाना, महिलाओं की सेहत ठीक रखना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ योजना के तहत स्थायी उन्नत चूल्हों में लाभार्थी परिवार को रूपये 50/- अनुदान।
- ✶ उन्नत चुल्हों में सामान्य परिवार के लाभार्थी को अधिकतम रू0 40/- अनुदान।
- ✶ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु रूपये 50/- अनुदान दिया जाता है।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ ऐसे क्षेत्र जहां ईंधन एवं जलांऊ लकड़ी की कमी हो, के निवासियों हेतु।
- ✶ इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य सभी ग्रामीण आवास योजनाओं का चयन किया जाता है।

लक्षित समूह :

- ✶ ऐसे क्षेत्र जहां ईंधन एवं जलावन लकड़ी की कमी हो।
- ✶ इन्दिरा आवास योजना तथा अन्य सभी ग्रामीण आवास योजनाओं के इच्छुक लाभार्थियों हेतु।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ वनों की कटाई से पर्यावरण एवं रोजगार तथा महिला स्वास्थ्य की स्थिति सुधारना।

Scanned by CamScanner

★ स्वतः रोजगार कार्यकर्ता को उठाउ चूल्हे वार व्यक्तिगत तथा 20/– प्रति चूल्हा प्रोत्साहन राशि।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

★ खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

उद्देश्य :

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना।

योजना/सहायता का विवरण :

★ सोलर घरेलू बत्ती–संयत्र की वर्तमान में कीमत लगभग रूपये 12000/– है। अनुदान के बाद इसकी कीमत रूपये 4850/– प्रति संयत्र पड़ती है।

★ सोलर लालटेन– कुल मूल्य 3000/–, अनुदान के बाद मूल्य 1450/–।

★ सोलर कुकर – 1675/–।

★ सोलर वाटर हीटर – कुल मूल्य 22000, अनुदान के बाद मूल्य रूपये 16000/–।

★ सोलर स्ट्रीट लाइट संयन्त्र कीमत 5000 प्रति लाइट

★ सुधारित घराट– बियरिंग युक्त घराट व अलटरनेटर/जनरेटर डिवाइस अनुदान पर।

सहयोग का प्रकार :

★ योजना के तहत गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना।

Scanned by CamScanner

★ जरूरतमंद ग्रामीणों को राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करना होता है।

लक्षित समूह :

★ ऊर्जा स्रोतों कभी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी।

विशेष / अन्य लाभ :

★ परम्परागत ऊर्जा विहीन क्षेत्रों के लोगों हेतु यह उपयोगी योजना है। विभिन्न सोलर यंत्रों के अतिरिक्त लघु जल विद्युत परियोजनायें।

★ मानव मल पर आधारित बायोगैस संयंत्र सहित शौचालय काम्पलैक्स का निर्माण भी किया जाता है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

★ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

❖❖❖❖

जन श्री बीमा योजना

सरकार कई विकास योजनायें गरीबों के लिए चलाती हैं, पर इनका फायदा सिर्फ वो ही लोग उठा पाते हैं जिनको जानकारी होती हैं। लगभग 60 प्रतिशत पात्र लोग ही योजनाओं का लाभ उठा पाते हें। सही जानकारी ना होने के कारण सरकारी योजनायें पूरी तरह जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में जरूरी है, आखिरी पात्र व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाना। यहां पर हम आपको ऐसी ही एक योजना 'जन श्री' बीमा योजना के बारे में बता रहे हैं।

Scanned by CamScanner

उत्तरांचल सरकार ने 31 अक्टूबर 2002 को यह योजना शुरू की। टिहरी जनपद में रहने वाले 3 लाख छियत्तर हजार परिवार जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, उन सभी परिवारों के मुखियाओं का बीमा कराकर सरकार ने उनको बीमा सुरक्षा दी है। टिहरी जिले में 59,028 हजार बी0पी0एल0 परिवारों को इसका लाभ मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन श्री बीमा हेतु सरकार चार करोड़ रूपये हर साल बीमा कम्पनी को देती है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है इसकी जानकारी गांव–गांव तक पहुंचाना जिससे पात्र व्यक्ति लाभ उठा सकें।

बीमा पात्रता :

- ✶ उत्तरांचल के सभी बी.पी.एल. परिवारों के 18 साल से 59 साल की उम्र के सभी मुखिया जन श्री बीमा योजना के सदस्य होंगे। मुखिया से मतलब है जिसके नाम से परिवार का राशन कार्ड है।
- ✶ परिवार के पुरूष मुखिया के उत्तरांचल से बाहर निवास करने की दशा में महिला मुखिया को योजना का लाभ मिलेगा।

बीमा योजना के लाभ :

- ✶ बीमा योजना लागू होने के बाद किसी भी बी.पी.एल. परिवार के मुखिया की सामान्य मौत पर नामित व्यक्ति को 20 हजार रूपये की धनराशि मिलेगी।
- ✶ यदि मौत दुर्घटना के कारण होती है तो 50 हजार रूपये मिलेगा।
- ✶ दुर्घटना में हमेशा के लिए अपंग (दो आंख या दो हाथ पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम) होने पर 50 हजार रूपये का क्लेम मिलेगा।
- ✶ आंशिक अपंगता (एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम) होने पर 25 हजार रूपये का भुगतान बीमा कम्पनी देगी।
- ✶ दुर्घटना होने पर एफ.आई.आर. दर्ज करानी जरूरी है।
- ✶ 60 की उम्र पार कर चुके मुखिया को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

Scanned by CamScanner

योजना के कुछ और फायदे :

★ इस योजना के सदस्यों के कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले दो बच्चों तक शिक्षा सहयोग के लिए छात्रवृत्ति भी मिलेगी 100 रू0 प्रतिमाह प्रति छात्र।

★ छात्रवृत्तियों की संख्या कम होने के कारण बच्चों का चयन वरीयता के आधार पर होगा।

योजना के लिए जिम्मेदार कौन :

★ इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने 'उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम' को जिम्मेदार बनाया है। इसका कार्यालय देहरादून में है।

★ हर जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी इस योजना को देखेंगे।

कहां से मिलेंगे व कहां जमा होंगे बीमा क्लेम के फार्म :

★ मुखिया की मौत पर बीमा क्लेम का दावा फार्म ब्लाक मुख्यालय में सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पास मिलेगा।

★ क्लेम फार्म को भरकर सभी जरूरी कागजात लगाकर समाज कल्याण विभाग में ही जमा करना होगा।

★ समाज कल्याण विभाग आपके पूरे भरे हुए फार्म को उत्तरांचल शासन को भेजेगा। जो इस फार्म को बीमा कम्पनी को भेजेगा।

★ बीमा कम्पनी जांच के बाद दावा करने वाले के बैंक खाते में चैक से बीमा की धनराशि भेज देगी।

बीमा क्लेम का दावा कैसे करना होगा : पात्र मुखिया की मौत होने की दशा में उत्तराधिकारी को दावा फार्म के साथ निम्न कागजात जरूर लगाने होंगे।

★ मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

★ बी.पी.एल. कार्ड की सत्यापित छायाप्रति।

Scanned by CamScanner

* परिवार रजिस्ट्रर की नकल।
* दावा करने वाले का बैंक खाता संख्या व बैंक का नाम।

सरकार ने आपको बिना पूछे आपका बीमा कराकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी हैं। अब बारी आपकी है कि आप बी.पी.एल. परिवार इसका लाभ उठायें। यदि आप इस योजना के पात्र लाभार्थी नहीं भी हैं, तो भी आपसे हमारा निवेदन है कि आप अपने आस–पास के पात्र परिवारों को यह जानकारी जरूर दें।

ज्यादा जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

* ग्राम प्रधान,
* पंचायत मंत्री,
* सहायक समाज कल्याण अधिकारी,
* जिला समाज कल्याण अधिकारी,
* उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, भवन संख्या 100, फेज 1 बसंत विहार, देहरादून (फोन : 0135–2765228) से।

❖❖❖❖

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

उत्तरांचल राज्य के टिहरी, चम्पावत व चमोली जनपदों में सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना" चलायी जा रही है। टिहरी जनपद की सभी ग्राम पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। क्या है यह योजना, आइयें इसे जानें :–

योजना का उद्देश्य :

गांव के हर परिवार के 18 साल से ज्यादा के सभी सदस्यों को जो अकुशल

Scanned by CamScanner

शारीरिक काम करने के इच्छुक हों, उनको हर वित्तीय साल में 100 दिन के रोजगार की गारन्टी देना।

योजना की खास बातें :

- ❖ यह एक कार्यक्रम न होकर कानून है जो देता है हर वयस्क बेरोजगार को श्रम रोजगार की गारन्टी।
- ❖ पंचायत इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- ❖ काम में पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने के लिए आपको सूचना मांगने का भी हक है।
- ❖ योजना में ठेकेदारी प्रथा व मशीनों का प्रयोग नहीं होगा।
- ❖ पात्र इच्छुक बेरोजगार को ग्राम पंचायत में पंजीकरण के बाद 5 साल के लिए जॉब कार्ड मिलेगा।
- ❖ जॉब कार्ड कानूनी दस्तावेज है जो आपको रोजगार गारन्टी का हक देगा। योजना हेतु पंजीकरण साल भर होगा।
- ❖ रोजगार घर से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में मिलेगा।
- ❖ इच्छुक अपंग आवेदन कर्ता को भी क्षमता अनुसार श्रम का काम दिया जायेगा, महिला को पुरूषों के बराबर की मजदूरी मिलेगी तथा महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रावधान है।

जिम्मेदार कौन ?

- ✶ पंचायत स्तर पर प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी योजना को लागू करने, श्रमिकों का चयन, पंजीकरण, जॉब कार्ड व निर्माण कार्यो को कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- ✶ जिला स्तर पर – जिला अधिकारी, तहसील स्तर पर – उप जिला अधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर – बी0डी0ओ0 तथा ग्राम पंचायत स्तर पर – सचिव ग्राम पंचायत।

Scanned by CamScanner

वही आवेदक लाभ पा सकेंगे

जो ग्राम पंचायत के स्थाई मूल निवासी हों तथा उनका नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज हो, तथा स्वरोजगारी 2002 की बीपीएल सूची में हों।

काम के स्थान पर मिलेंगी सुविधाएं

- ✶ प्राथमिक स्वास्थ्य सहायता, पानी व शेड व्यवस्था।
- ✶ महिला मजदूरों के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे होने पर उनकी देख–रेख हेतु एक अतिरिक्त महिला/वृद्धा विकलांग श्रमिक की सुविधा।
- ✶ काम के दौरान घायल होने पर मजदूर को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
- ✶ कार्य में बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने पर आधी मजदूरी देय होगी।
- ✶ काम के दौरान मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में कम से कम 10,000 रूपए की अनुग्रह राशि का भुगतान होगा।

बेरोजगार भत्ते का भुगतान :

पंजीकरण के 15 दिन के भीतर रोजनगार ना मिलने पर न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई हिस्सा व 30 दिन बाद आधे हिस्से के रूप में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जो काम नहीं करेगा वह भत्ते का हकदार नहीं होगा।

शिकायत समाधान प्रक्रिया :

ग्राम पंचायत, विकास खण्ड व जिला स्तर पर शिकायत पंजिकाओं का रख रखाव करना होगा। बी0डी0ओ0 तथा डी0एम0 नियमित रूप से इन शिकायतों का समाधान निश्चित समय पर करेंगे।

Scanned by CamScanner

मूल्यांकन :

सम्पादित कामों, उपलब्ध कराए रोजगार एवं मजदूरी भुगतान आदि का मूल्याकंन ग्राम सभा की खुली बैठकों में होगा।

योजना के अर्न्तगत होने वाले काम :

जल संरक्षण, भूमि सुधार, वनीकरण, बाढ नियन्त्रण, नहर निर्माण, कच्ची सड़कों का निर्माण, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि तक सिंचाई सुविधा एवं सरकार द्वारा तय अन्य काम। लघु सिमान्त हेतु सिंचाई एवं भूमि सुधार और औद्योगिक विकास हेतु योजनाओं के चयन में प्राथमिकता।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

- ग्राम प्रधान,
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी से।

❖❖❖❖

लोकतंत्र की अवधारणा सही मायनों में तभी आ पायेगी
जबकि राष्ट्रीय विधान तथा राजनैतिक नीतियों के सम्बन्ध में
संयुक्त रूप से पुरूषों तथा महिलाओं द्वारा समान
रूचि एवं तत्परता से निर्णय लिये जायें।

— महिलायें तथा राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में
अन्तर्संसदीय परिषद का प्रस्ताव, 1992

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनायें

Scanned by CamScanner

किशोरी शक्ति योजना

योजना का उद्देश्य :

किशोर शक्ति योजना किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आर्थिक विकास को केन्द्र में रखकर बनाई गई है। किशोरियों को स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार का ज्ञान, परिवार कल्याण, भाषा व गणिता का ज्ञान, गृह कार्यों में दक्षता, निर्णय लेने की क्षमता में विकास, वातावरण के प्रति जागृति आदि व्यक्तित्व विकास के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

लाभार्थी कौन :

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अविवाहित किशोरियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनकी आयु 11 से 18 वर्ष के बीच हो।

योजना का स्वरूप :

केन्द्र सहायतित किशोरी शक्ति योजना को उत्तरांचल राज्य के 40 विकास खण्डों में स्वीकृत किया गया है। इन योजनाओं में ग्यारह से अठारह वर्ष की अविवाहित, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर उनके सर्वांगीण विकास हेतु प्रशिक्षण दिया ज़ाता है। जिसमें उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार का ज्ञान, परिवार कल्याण, भाषा व गणित का ज्ञान, गृह कार्यो में दक्षता, निर्णय लेने की क्षमता में विकास, वातावरण के प्रति जागृति, व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाकर उनके आत्म विश्वास को जागृत किया जाता है।

Scanned by CamScanner

किससे सम्पर्क करें :
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ., आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क करें।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :
किशोरी शक्ति योजना, योजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित क्षेत्रों की सभी किशोरियों के लिए है। इसके अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में गांव की सभी किशोरियों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। अतः इस योजना के लिए अपने गांव के आंगनबाड़ी केन्द्र की कार्यकत्री से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

किशोरी बालिका योजना

योजना का उद्देश्य :
किशोरी बालिका योजना का उद्देश्य भी किशोरियों के व्यक्तितत्व का विकास के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना है ताकि उनमें आत्मविश्वास पैदा हो।

लाभार्थी कौन :
इस योजना के अर्न्तगत भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अविवाहित किशोरियों को लाभान्वित किया जायेगा जिनकी आयु 11 से 18 वर्ष के बीच हो।

योजना का स्वरूप :
विश्व बैंक सहायतित किशोरी बालिका योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

Scanned by CamScanner

संचालित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर तीन किशोरियों की दर से अनुपूरक पोषाहार देने का निर्णय लिया गया है। किशोरियों हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण द्वारा आर्थिक उत्थान एवं आत्मविश्वास, सृजन आदि विषयों को क्षेत्र–विशेष की आवश्यकता–आंकलन के आधार पर सम्मिलित करते हुये इन योजनाओं को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाना प्रस्तावित है। 15 विकासखण्डों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से, स्वशक्ति एवं स्वयंसिद्धा आच्छादित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से तथा शेष विकास खण्डों में बाल विकास परियोजनाओं में स्वैच्छिक संगठनों / बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से यह योजनायें संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

किससे सम्पर्क करें :

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ., आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क करें।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

किशोरी शक्ति योजना को चयनित क्षेत्रों में पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र पर तीन किशोरियों की दर से अनुपूरक पोषाहार दिया जाता है। यह योजना केवल चयनित क्षेत्रों में चलायी जानी है जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन ग्राम पंचायत की सहायता से विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

समन्वित बाल विकास सेवाएं सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में संचालित की जा रही हैं, इसके अर्न्तगत प्रत्येक गांव व कस्बों को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।

Scanned by CamScanner

उद्देश्य :

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण एवं अस्वस्थता के प्रति जागरूकता पैदा करना।

लाभार्थी कौन :

गर्भवती एवं धात्री महिलायें तथा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे।

योजना के अन्तर्गत क्या प्रावधान हैं :

कार्यक्रम के अर्न्तगत मुख्यतया निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाता है :

- ✶ जन्म से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना।
- ✶ बच्चों में सही मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना।
- ✶ बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोड़ने की प्रवृति को कम करना।
- ✶ माताओं में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य तथा आधार संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखें,
- ✶ बाल विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय बनाना।

कार्यक्रम की विशिष्ट सेवायें :

1. पूरक आहार
2. स्वास्थ्य परीक्षण
3. संदर्भ सेवायें
4. प्रतिरक्षण / टीकाकरण
5. पोषण व स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा
6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

Scanned by CamScanner

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

आगंनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा सर्वेक्षण के उपरान्त सभी गर्ववती तथा धात्री महिलाओं व 0–6 वर्ष के बच्चों को चिन्हित कर चयनित किया जाता है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित की जा रही है यदि किसी पात्र महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो तो वह अपने गांव की आंगनबाड़ी कार्यकत्री या महिला एवं बाल विकास सुपरवाइजर से संर्पक कर सकती है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए डी.पी.ओ., सी.डी.पी.ओ., आंगनबाड़ी सुपरवाइजर या आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सम्पर्क करें।

बालिका समृद्धि योजना

योजना का उद्‌देश्य :

1. स्त्री –पुरूष की सामाजिक असमानता का निराकरण करना।
2. बालिका के जन्म पर बालिका तथा माता के प्रति परिवार एवं समाज के पारम्परिक विकृत सोच को बदलना।
3. बालकों के समान ही बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिलाना।
4. बालिकाओं का 100 प्रतिशत स्कूलों में पंजीकरण तथा पूर्ण शिक्षा।
5. भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या व बाल विवाह को हतोत्साहित कर इसकी प्रभावी रोकथाम करना।
6. बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाकर व रोजगार परक आयवर्धक गतिविधियों में लगा कर आत्म निर्भर बनाना।

लाभार्थी कौन :

बालिका समृद्धि योजना में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में 15 अगस्त, 1997 अथवा उसके उपरान्त जन्म लेने

Scanned by CamScanner

वाली बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी। बालिका समृद्धि योजना के अर्न्तगत लाभ केवल दो बालिकाओं के जन्म तक दिया जा सकता है।

योजना का स्वरूप :

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित यह योजना 02 अक्टूबर, 1997 को प्रारम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य है कन्याओं के प्रति समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करना। इस योजना के अर्न्तगत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में प्रथम 02 कन्याओं के जन्म पर रूपये 500/– बैंक खाते/डाकघरों में कन्याओं के नाम से जमा कराये जाते हैं तथा रूपये 300/– से 1000/– तक की छात्रवृत्ति कक्षा दस तक की शिक्षा हेतु प्रदान की जाती हें पूर्व में यह योजना जिला ग्राम्य अभिकरण द्वारा संचालित थी, तत्पश्चात आई.सी.डी.एस द्वारा नोडल विभाग के रूप में संचालित की गयी।

वित्तीय सहायता अनुदान :

बालिकायें निम्न लाभ पाने की अधिकारी होंगी :

1. बालिका के जन्म पर रू. 500/– का एक मुश्त अनुदान।
2. जब 15–8–1997 को अथवा बाद में जन्मी कन्या विद्यालय जाने लगेगी तो हर कक्षा में उत्तीर्ण होने पर निम्न प्रकार से छात्रवृत्ति मिलेगी।

कक्षा	छात्रवृत्ति की धनराशि
1 से 3	रू. 300/– वार्षिक प्रति कक्षा
4	रू. 500/– वार्षिक
5	रू. 600/– वार्षिक
6 एवं 7	रू. 700/– वार्षिक प्रति कक्षा
9 एवं 10	रू. 1000/– वार्षिक प्रति कक्षा

Scanned by CamScanner

धनराशि राज्य सरकार के नामित अधिकारी तथा बालिका के संयुक्त नाम से नजदीकी बैंक/डाकघर में खाता खोल कर उच्चतम् ब्याज वाली योजनाओं में जमा कराई जायेगी।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

योजना हेतु ग्राम पंचायतें तथा नगरीय क्षेत्रों की स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने क्षेत्रान्तर्गत लाभार्थियों का चयन करती हैं। इसके उपरांत एक निर्धारित प्रपत्र पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क करें :

- ग्राम प्रधान
- खंड विकास अधिकारी
- जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्त्री शक्ति पुरस्कार

भारत की स्वतंत्रता से पूर्व तथा उसके पश्चात, भारतीय महिलाओं ने विभिन्न भूमिकायें निभायी हैं और कई क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त की है। इन महिलाओं की उपलब्धियां बहुमूल्य इस कारण भी हैं क्योंकि बहुधा साहस एवं दृढ़ता के बल पर कठिनाइयों का सामना करते हुए इन्होंने सफलता प्राप्त की है।

यह आवश्यक है कि ऐसी सफलता की कहानियों को सामाजिक मान्यता प्रदान की जाय ताकि यह महिलायें आगामी पीढ़ी के लिये आदर्श बन सकें। ऐसी मान्यतायें वर्तमान सामाजिक मानसिकता को परिवर्तित करने तथा महिलाओं की बहुमुखी भूमिकाओं को भारतीय समाज में स्वीकृति एवं प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करेंगी।

Scanned by CamScanner

यह पुरस्कार महिलाओं की सकारात्मक छवि को उभारने तथा सती जैसी प्रथाओं एवं नकारात्मक सोच के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं की व्यक्तिगत उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने पांच राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह वार्षिक पुरस्कार स्त्री शक्ति पुरस्कार नाम से जांने जायेंगे। पुरस्कार के अन्तर्गत एक लाख रूपये और एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार उन महिलाओं को दिया जायेगा जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हो:

1. कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं एवं बालकों को सहारा तथा पुनर्वास देने का कार्य किया हो, जैसे– निराश्रित, विधवायें, वृद्ध, विकलांग, दुराचार एवं कलह के शिकार आदि।
2. शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
3. स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन।
4. महिलाओं को कृषि एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहारा देने का कार्य, जिसमें दैनिक कार्यों से उपजे उत्पीड़न को रोकने हेतु तकनीक का प्रसार सम्मिलित है।
5. पर्यावरण सुरक्षा।
6. सामुदायिक एवं राजनीतिक सहभागिता हेतु महिला सशक्तिकरण।
7. स्वास्थ्य, जिसमें स्वदेशी चिकित्सा पद्धति का प्रसार सम्मिलित है, सम्बन्धित कार्य।
8. कला, मीडिया (इलैक्ट्रोनिक एवं जनसंचार सहित), सामुदायिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से महिला आधारित मुद्दों पर जागरूकता एवं संचेतना का प्रसार।

यह पुरस्कार भारतीय इतिहास में अपने व्यक्तिगत साहस एवं सत्यनिष्ठा के लिये प्रसिद्ध निम्नांकित विशिष्ट महिलाओं के नाम पर होंगे

- देवी अहिल्या बाई होलकर
- कान्नी
- माता जीजाबाई
- रानी गैदल्यू जेलियांग
- रानी लक्ष्मीबाई।

Scanned by CamScanner

राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से नामांकन प्राप्त करने की विधि :

1. प्रत्येक राज्य सरकार एक स्क्रीनिंग समिति गठित करेगी, जिसमें राज्य महिला आयोग, राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण क्षेत्र में कार्यरत दो–तीन विशिष्ट स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं सचिव, महिला कल्याण सम्मिलित होंगे। माननीय मंत्री, महिला कल्याण इस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। समिति राज्य स्तर पर नामांकनों को आमंत्रित करेगी तथा इस समिति के अध्यक्ष हो सकते है। समिति राज्य स्तर पर नामांकनों को आमंत्रित करेगी तथा पांच चयनित नाम महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार को भेजेगी।

2. केन्द्र सरकार स्तर पर प्रमुख समाचारपत्रों में नामांकनों के आमंत्रण हेतु एक विज्ञप्ति जारी होगी, जिसमें आम जनता द्वारा नामांकन मुख्य सचिव, राज्य सरकार तक पहुंचाने हेतु एक तिथि निश्चित की जायेगी। विज्ञप्ति में पुरस्कार के क्षेत्र तथा अर्हता के मानदण्ड भी संक्षिप्त में दिये जायेंगे।

चयन की प्रक्रिया :

प्रत्येक राज्य द्वारा निश्चित प्रारूप पर पांच नामांकन भेजे जायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के माननीय राज्य मंत्री (महिला एवं बाल विकास) की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय स्तरीय स्क्रीनिंग समिति प्राप्त नामांकनों का मूल्यांकन करेगी। इस समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग – सदस्य
2. अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग – सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड – सदस्य
4. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
5. सचिव, ग्राम विकास अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य

Scanned by CamScanner

6. दो राष्ट्रीय स्तरीय नामित विशिष्ट स्वैच्छिक संगठन/व्यक्ति – सदस्य
7. संयुक्त सचिव, (डब्ल्यू.डी) महिला एवं बाल विकास विभाग – सदस्य –सचिव

(राष्ट्रीय चयन समिति अपने विशेषाधिकार पर राज्य सरकारों की संस्तुतियों के अलावा अन्य महिलाओं के नाम पर भी विचार कर सकती है।)

चयन हेतु मानदण्ड :

1. नामांकित महिला की आयु 30 वर्ष से अधिक हो तथा वह नामांकन की तिथि को जीवित हो।
2. नामांकित महिला सम्बन्धित क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हो।
3. नामांकित महिला की सम्बन्धित क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों का सुस्पष्ट अभिलेखीकरण उपलब्ध होना चाहिये।
4. नामांकित महिला की विशिष्ट उपलब्धियां प्रमाणन–योग्य होनी चाहिए, जिनका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन भी किया जा सके।
5. ऐसी महिलाओं को वरीयता देनी चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में लम्बे संघर्ष एवं विडम्बनाओं से जूझकर सफलता प्राप्त की है।

यह पुरस्कार अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर नई दिल्ली में वितरित होंगे।

चयनित महिला द्वारा पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जायेगा। पुरस्कृत महिला एवं उसके एक सहायक द्वारा व्यय किया गया यात्रा एवं दैनिक भत्ता का भुगतान, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–

जिला परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास

Scanned by CamScanner

❖ आवेदन पत्र

स्त्री शक्ति पुरस्कार हेतु संस्तुत महिला का विवरण

1. नाम :..

2. जन्मतिथि (सत्यापित) :...

3. जन्म स्थान :..

4. शैक्षिक योग्यतायें (प्रमाण–पत्रों सहित) ....

5. दूरभाष संख्या : ....

6. वर्तमान पता : ....

7. उपलब्धि का क्षेत्र:..

8. महिला की उपलब्धि किस प्रकार उत्कृष्ट आंकी गयी है :..........................
....

9. महिला के जीवन का संक्षिप्त विवरण, प्रैस विज्ञप्ति एवं प्रमाण पत्रों आदि सहितः ....

10. संस्तुतकर्ता (सरकारी अथवा अन्य एजेन्सी, विवरण सहित) :........................

11. राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश प्रशासन की टिप्पणी :..........................

Scanned by CamScanner

राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार

उत्तराखंड राज्य के पूर्व तथा उसके पष्चात राज्य की महिलाओं ने विभिन्न भूमिकायें निभायी हैं और कई क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त की है। इन महिलाओं की उपलब्धियां बहुमूल्य इस कारण भी हैं क्योंकि बहुधा साहस एवं दृढ़ता के बल पर कठिनाईयों का सामना करते हुए इन्होंने सफलता प्राप्त की है। यह आवष्यक है कि ऐसी सफलता की कहानियों को सामाजिक मान्यता प्रदान की जाय ताकि ये महिलाएं आगामी पीढ़ी के लिए आदर्ष बन सकें। ऐसी मान्यतायें वर्तमान सामाजिक मानसिकता को परिवर्तित करने तथा महिलाओं को बहुमुखी भूमिकाओं को समाज में स्वीकृत एवं प्रोत्साहन प्रदान करने में मदद करेंगी।

उद्देश्य

* महिलाओं की सकारात्मक छवि को उभारने तथा उनके प्रति नकारात्मक सोच के प्रभाव को कम करना।
* विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की व्यक्तिगत उपलिब्धयों को मान्यता प्रदान करना।

लाभार्थी कौन

उत्तराखंड सरकार द्वारा इस राज्य स्तरीय पुरस्कार को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह वार्षिक पुरस्कार राज्य स्त्रीषक्ति तीलू रौतेली पुरंस्कार नाम से जाने जायेंगे। यह पुरस्कार उन महिलाओं एवं किषोरियों को दिया जायेगा जिन्होंने निम्न में से किसी भी क्षेत्र में विषिष्ट कार्य किया हो :

1. कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं एवं बालकों को

Scanned by CamScanner

सहारा तथा पुनर्वास देने का कार्य किया हो, जैसे : निराश्रित, विधवायें, वृद्ध, विकलांग, दुराचार एवं कलह के षिकार आदि।

2. षिक्षा एवं प्रषिक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल की हो, अभिनव प्रयोग किये हों।

3. महिला स्वयं स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन का कार्य किया हो।

4. महिलाओं को रोजगारोन्मुख क्षेत्र में, विषेषकर कृषि एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में सहारा देने का कार्य, जिसमें दिनचर्या से उपजे उत्पीड़न को रोकने हेतु तकनीक का प्रसार सम्मिलित है।

5. समुदाय आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं से जुडे मुद्दों के प्रति जागरूकता एवं चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया हो।

6. विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह को रोकने का कार्य किया हो।

7. ऐसी महिलायें / किषोरी जिन्होंने रूढ़िवादिता या अपनी परम्परायें तोड़ी हो व अपने आप में सफलता को सिद्ध किया हो।

8. ऐसी बेसहारा जिसने परिवार के अभाव में अपने भाई बहनों को पढ़ा–लिखा कर सफ़लता दिलाई है।

9. मीडिया / पत्रकारिता, प्रषासन, गैर सरकारी संगठन, साहित्य, समाजसेवा, कारपोरेट जगत, खेल, राजनीति, संगीत एवं नृत्य, विभिन्न कला क्षेत्र जैसे चित्रकला / वास्तुकला, अभियान्त्रिकी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे क्षेत्रों में विषिष्टता हासिल की हो।

Scanned by CamScanner

तकनीकी योजनायें

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये आधार भूत ढांचा विकसित करना।

योजना/सहायता का विवरण :

★ कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध 50 प्रतिशत राशि जिला एवं क्षेत्र पंचायत को प्राप्त होगी।

★ जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के बीच 40:60 में वितरित किया जाएगा शेष 50 प्रतिशत राशि (खाद्यान्न सहित) एस.जी.आर.वाई. के तहत ग्राम पंचायतों प्राप्त होगी।

सहयोग का प्रकार :

★ योजना के तहत– मजदूरी के भाग के रूप में 5 किग्रा0 प्रति श्रम दिवस की दर से खाद्यान्न तथा शेष मजदूरी नगद दी जायेगी। मजदूरी भुगतान में पुरूष महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा।

★ प्राथमिक कार्य के रूप में मृदा एवं नमी संरक्षण, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई, पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्वार आदि किये जा सकते हैं।

लक्षित समूह :

★ वे सभी ग्रामीण गरीब जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो शाररिक एवं अकुशल कार्य कर सकते हैं, व इसके इच्छुक हैं।

Scanned by CamScanner

विशेष / अन्य लाभ :

✶ रोजगार हेतु महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षित है।

✶ कम से कम श्रम पर 60 प्रतिशत धन खर्च किया जायेगा।

✶ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की योजना हेतु 22.5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक निर्धारण धनराशि

संपर्क अधिकारी / विभाग :

✶ मुख्य विकास अधिकारी

✶ खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

टी.टी.डी.सी. जैविक सरस खाद परियोजना

उद्देश्य :

गरीब परिवारों को जैविक खाद के उत्पादन संबंधी तकनीकी व कुशलता का हस्तान्तरण कर उनके आय के स्रोत बढाना।

योजना / सहायता का विवरण :

परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत भारत सरकार का व 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंशदान है।

सहयोग का प्रकार :

✶ उत्तरांचल के 10 जनपदों में संचालित इस परियोजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले स्वरोजगार को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

Scanned by CamScanner

★ योजनानर्तगत प्रत्येक जिले में एक विपणन एवं तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है।

लक्षित समूह :

★ गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार (बी.पी.एल.)

विशेष / अन्य लाभ :

★ जैविक सरस खाद परियोजना के द्वारा स्वरोजगार उत्पन्न कर ग्रामीण आर्थिक स्थिति को ठीक करना।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

★ विकास खण्ड कार्यालय

★ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

❖❖❖❖

ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास के लिये अभिनव कार्यक्रम

उद्देश्य :

ग्रामीण आवास एवं पर्यावरण विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों को दिये गये मानकों के आधार पर संचालित करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ कृषि जलवायु के उतार चढाव में और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम ग्राम वासियों क लिए आर्दश श्रेणी विकसित करना है।
- ✶ परियोजना के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठन को अधिकतम रूपये 20 लाख तथा अन्य संस्थानों को अधिकतम रूपये 50 लाख का अनुदान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ इस अभिनव कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा परियोजना संबंधी सहायता मान्यता प्राप्त शिक्षण/तकनीकी संस्थान प्रौद्योगिक संवर्द्धन नियमित निकाय, आदि जो ग्रामीण आवास निर्माण एवं पर्यावरण विकास में विश्वसनीय हो आवेदन कर सकते हैं।

लक्षित समूह :

- ✶ योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवासों को पर्यावरण अनुकूल तथा तकनीकी रूप से विकसित करने हेतु मान्यता प्राप्त संगठन।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ परियोजना के संचालन हेतु गैर सरकारी संगठनों को अधिकतम रूपये 20 लाख तथा अन्य संस्थानों को अधिकतम रूपये 50 लाख का अनुदान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

मुख्य विकास अधिकारी

खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

ग्रामीण निर्मित केन्द्र

उद्देश्य :

प्रोद्यौगिकी हस्तान्तरण, सूचना का प्रसार, कौशल प्रशिक्षण विकसित करना, कम लागत के पर्यावरण अनुकूल सामग्री का निर्माण करना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ग्रामीण निर्मित केन्द्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार अधिकतम रूपये 15.00 लाख अनुदान स्वीकृत कर सकती है।
- जिसमें भूमि विकास, भवन निर्माण, उपकरण क्रय, प्रशिक्षण तथा अन्य की व्यवस्था आदि की जायेगी।

सहयोग का प्रकार :

- ग्रामीण निर्मित केन्द्रों हेतु लगभग 1.2 से 2 एकड़ तक की भूमि की आवश्यकता होती है।
- अन्य ढांचा गत गतिविधियों हेतु 200 वर्ग मीटर तक का निर्मित क्षेत्र होना चाहिए।

लक्षित समूह :

- ग्रामीण निर्मित केन्द्र की स्थापना राज्य सरकारों, ग्रामीण विकास ऐजेन्सियों, गैर सरकारी संगठन, निजी उद्यमी, व्यवसायिक संस्थायें, स्वायत संस्थानों और नियमित निकायों को सहायता दी जा सकती है।

विशेष / अन्य लाभ :

- प्रोद्यौगिकी हस्तान्तरण, सूचना का प्रसार, कौशल प्रशिक्षण विकसित करना।

Scanned by CamScanner

* कम लागत के पर्यावरण अनुकूल सामग्री का निर्माण।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

* मुख्य विकास अधिकारी।

❖❖❖❖

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

उद्देश्य :

500 से अधिक जनसंख्या वाले वह गांव जो सडक मार्ग से नहीं जुड़े हैं।

योजना का विवरण :

* इस योजना के लिए सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी विभाग का निर्धारण किया जाता है।
* योजना से ग्रामीण सम्पर्कता, आर्थिक क्रिया कलाप एवं सुविधाओं का विकास

सहयोग का प्रकार :

* योजना के तहत 500 से अधिक जनसख्या वाले वह गांव जो सडक मार्ग से नहीं जुडे हैं। सडक निर्माण हेतु क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित मार्गो का अनुमोदन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में किया जायेगा।

लक्षित समूह :

* 500 से अधिक जनसंख्या वाले वे गांव जो सडक मार्ग से दूर हैं।

Scanned by CamScanner

विशेष :

★ प्रधानमंत्री रोजगार योजना बन जाने से ग्रामीण सम्पर्कता, आर्थिक क्रिया–कलापों एवं सुविधाओं का विकास होगा।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

★ खण्ड विकास अधिकारी

★ मुख्य विकास अधिकारी

❖❖❖❖

पंचायती राज विभाग (अम्बेडकर योजना)

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं जैसे खडंजा, नाली, पंचायतघर, आदि का निर्माण कर ग्रामीण सुविधायें बढ़ाना।

योजना का विवरण :

★ योजना के तहत अम्बेडकर गांव में 500 मीटर खडंजा / नाली निर्माण हेतु शासन द्वारा रूपये 90,000 / – अनुदान।

★ रूपया 10.000 / – का अंशदान ग्राम पंचायत द्वारा वहन करना होता है। पंचायत घर निर्माण हेतु भी शासन से स्वीकृति के पश्चात धनराशि अनुदान दिया जाता है।

सहयोग का प्रकार :

★ योजना के तहत ग्राम पंचायत के प्रस्तावनुसार जरूरतमंद समुदाय हेतु प्राथमिकता के आधार पर योजना का कार्य किया जाता है।

Scanned by CamScanner

★ प्रत्येक वर्ष राज्य वित्त आयोग द्वारा विकास कार्यो हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। इस धनराशि से ग्राम पंचायतें प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य करते है।

लक्षित समूह :

★ योजना के तहत अम्बेडकर गांव, ऐसी ग्राम पंचयतें जिनमें एस.जी.आर.वाई. एवं वित्त आयोगों द्वारा सबसे कम अनुदान दी जाती है।

विशेष / अन्य लाभ :

★ ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल योजना की मरम्मत, शौचालय निर्माण, ए.एन.एम. सेंटर निर्माण, ग्राम पंचायत अधिकारी आवास, पंचायत घर निर्माण, सी.सी. मार्ग आदि निर्माण।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

★ जिला पंचायत राज अधिकारी।

❖❖❖❖

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान

उद्देश्य :

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के द्वारा ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य एवं स्थिति सुधारना।

योजना का विवरण :

★ योजना के तहत वित्तीय सहायता एवं अनुदान के रूप में एक घर के लिये आधारित कम लागत इकाई शौचालय पर 1200 रूपये दिये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

- ★ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता सृजन तथा समस्या ग्रस्त क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर पर्यावरणीय स्वच्छता में सहायता घरेलू शौचालय का निर्माण महिलाओं के लिये स्वच्छ परिसर का निर्माण करना।
- ★ योजना हेतु पचांयत एवं विकासखण्ड स्तर पर आवेदन करना होता है।

लक्षित समूह :

- ★ ग्राम पंचायत के अन्दर जरूरतमंद ग्रामीण समुदाय।
- ★ महिलाओं के लिए स्वच्छ सेनिटरी परिसर।

विशेष / अन्य लाभ :

- ★ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के द्वारा ग्रामीण समुदाय को अनुकूल एवं स्वच्छ वातावरण का लाभ
- ★ बालवाड़ियों/आंगनवाडियों के लिये शौचालय निर्माण।
- ★ विद्यालय स्वच्छता।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ★ जिला पंचायत राज अधिकारी।

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
ग्रामीण पेयजल/ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ योजना के तहत निधि का न्यूनतम 10 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल, 25 प्रतिशत जल संरक्षण, जल एकत्रीकरण आदि, और
- ✶ शेष 75 प्रतिशत का उपयोग राज्य, गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के निवारण आदि किया जाना चाहिए।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ योजना के तहत परियोजनाये शुरू करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर पेयजल।
- ✶ मरूभूमि विकास के तहत पशुओं के लिए प्रति पशु 30 लीटर अतिरिक्त पानी, प्रति 250 व्यक्ति पर पेयजल व्यवस्था तथा पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में नियत दायरे में स्रोत का उपलब्ध होना।

लक्षित समूह :

- ✶ ग्रामीण क्षेत्र जहां कि पेयजल की समस्या है गुणवत्ता युक्त पेयजल की आपूर्ति करना।

Scanned by CamScanner

विशेष / अन्य लाभ :

- ★ गुणवत्ता युक्त पेयजल के अलावा मरूभूमि विकास कार्यक्रम सूखा प्रभावित क्षेत्र।
- ★ जल अल्पता/सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल सरंक्षण वर्षा जल एकत्रीकरण, पेयजल योजनाओं की सतत्शीलता आदि संबंधी कार्य किये जाते हैं।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ★ मुख्य विकास अधिकारी
- ★ खण्ड विकास अधिकारी

❖❖❖❖

कृषि विभाग की योजनायें

उद्देश्य :

ग्रामीण समुदाय को कृषि सेवाओं की जानकारी एवं सहायता प्रदान करना।

योजना/सहायता का विवरण :

अनुदान के रूप में योजना के तहत –

- ★ सघन कृषि एवं बहुफसली योजना हेतु रूपये 100/– की राज्य सहायता।
- ★ कृषि रक्षा सुदृढीकरण योजना हेतु व्यय का रूपये 50 से 75 प्रतिशत
- ★ महिला तकनीकी हस्तानान्तरण योजना हेतु पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को शैक्षणिक भ्रमण।
- ★ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत बीजों, रसायनों के क्रय पर 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 800/– का अनुदान।

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि को बढावा देते हेतु –

- ✶ सघन कृषि एवं बहुफसली योजना।
- ✶ कृषि रक्षा सुदृढीकरण योजना।
- ✶ महिला तकनीकी हस्तानरण योजना।
- ✶ तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।
- ✶ एकीकृत धान्य विकास योजना व एकीकृत नाशी जीव प्रबन्धन।
- ✶ मैक्रोमोड योजना।
- ✶ मृदा परीक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

लक्षित समूह :

- ✶ ग्रामीण क्षेत्र के किसान जिन्हें कि कृषि क्षेत्र में अच्छे उत्पादन सुविधाओं की आवश्यकता है।

विशेष / अन्य लाभ :

- ✶ इस योजना के तहत लाभार्थी को कृषि उपज बढाने हेतु सुविधायें प्रदान की जाती हैं फलस्वरूप उत्पादन में बढोत्तरी के साथ किसानों का जीवन स्तर सुधारना है।
- ✶ जनजाति कृषकों को भी 50 प्रतिशत अनुदान में दिया जायेगा।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

- ✶ कृषि विभाग
- ✶ मुख्य कृषि अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

लघु सिचांई विभाग की योजनायें

उद्देश्य :

लघु एवं सीमान्त कृषकों की कृषि उपज बढाने हेतु निजी एवं सामूहिक सिंचाई साधन विकास के लिए।

योजना/सहायता का विवरण :

- ★ योजना के तहत 1, हाईड्रम निर्माण 2, गूल निर्माण 3, हौज निर्माण।
- ★ व्यक्तिगत कृषक लाभार्थी को सिंचाई साधनों के विकास हेतु 50 प्रतिशत अनुदान जोकि अधिकतम रूपये 5000 तक अनुमन्य है दिया जाता है।

सहयोग का प्रकार :

- ★ योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उपज बढाने हेतु अनुदान/सहायता दी जाती है।

लक्षित समूह :

- ★ ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस योजना के तहत लाभान्वित।

विशेष / अन्य लाभ :

- ★ योजना के तहत हाईड्रम योजना को चलाने हेतु किसी प्रकार की बाहय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पडती है।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ★ लघु सिंचाई विभाग

Scanned by CamScanner

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.)

उद्देश्य :

इस कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, चारागाह आदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के नियोजित विकास के कार्य किये जाते हैं।

योजना/सहायता का विवरण :

* इस कार्यक्रम हेतु 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
* धनराशि नियत मानकों के तहत प्रति हैक्टेयर रूपये 6000.00 की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

सहयोग का प्रकार :

* पारिस्थितिकी संतुलन की पुर्नस्थापना।
* ग्रामीण समुदाय का आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि तथा लाभान्वित तथा संसाधन विहीन की आर्थिक सामाजिक दशा में सुधार।
* योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों हेतु एक वाटरशैड के लिए उपलब्ध धनराशि में से 1 लाख रिवाल्विंग फंड रखना होगा जिसे प्रति समूह 10 हजार रूपये 6 माह की अवधि हेतु।

लक्षित समूह :

* 500 हैक्टेयर के चयनित जलागम, क्षेत्र के अंतर्गत निवास करने वाले समस्त परिवार।

Scanned by CamScanner

विशेष :

- ✶ जल, जंगल, जमीन, आदि के सुनियोजित विकास से ग्रामीणों के पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का विकास होता है।
- ✶ दैनिक कार्य सम्पादन हेतु जलागम विकास समिति बनेगी जो एक्ट 1860 में पंजीकृत होगी।
- ✶ पांच वर्षीय कार्य योजना।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

- ✶ जलागम प्रबन्धन
- ✶ कृषि भूमि संरक्षण विभाग

❖❖❖❖

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लू.डी.पी.)

उद्देश्य :

इस कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, चारागाह आदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के नियोजित विकास के कार्य किये जाते हैं।

योजना / सहायता का विवरण :

- ✶ इस कार्यक्रम हेतु 91.67 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से तथा 8.33 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

✶ ग्रामीण समुदाय के लोगों की बंजर भूमि के विकास हेतु सूखा प्रवण कार्यक्रम जलागम सीमान्तर्गत किया जायेगा।

लक्षित समूह :

✶ कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, चारागाह आदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के नियोजित विकास के कार्य।

विशेष / अन्य लाभ :

✶ सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम की तरह ही इस योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों को सहायता प्रदान की जाती है।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

✶ जलागम प्रबन्धक

❖❖❖❖

राष्ट्रीय जलागम विकास योजना (एन.डब्लू.डी.पी.)

उद्देश्य :

इस कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, चारागाह आदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के नियोजित विकास के कार्य किये जाते हैं।

योजना/सहायता का विवरण :

★ योजना के तहत बनाये गये विभिन्न मानकों के आधार पर धनराशि प्रति हैक्टेयर पर रूपये 6000/– की दर से उपलब्ध करायी जाती है।

सहयोग का प्रकार :

★ सूखा प्रवण विकास कार्यक्रम की तरह ही इस योजना के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों को सहायता प्रदान की जाती है।

लक्षित समूह :

★ इस कार्यक्रम के तहत जल, जंगल, जमीन, चारागाह आदि मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के नियोजित विकास के कार्य किये जाते हैं।

विशेष / अन्य लाभ :

★ योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों हेतु एक वाटरसैड के लिए उपलब्ध धनराशि में से 1 लाख रिवाल्विंग फण्ड रखना होगा जिसे प्रति समूह 10 हजार रूपये 6 माह की अवधि हेतु दिया जायेगा।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

★ जलागम प्रबन्धक

❖❖❖❖

व्यावसायिक योजनायें

Scanned by CamScanner

खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनायें

उद्देश्य :

स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना।

योजना का विवरण :

- ✱ रोजगार के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में लगा ऐसा उद्योग जहां की आबादी 50 हजार से अधिक न हों।
- ✱ रूपये 50 हजार प्रति व्यक्ति पूंजी विनियोग से अधिक न हो।

सहयोग का प्रकार :

- ✱ योजना के तहत– खनिज आधारित वनाधाारित, कृषि आधारित, बहुलक और रसायन आधारित– मामबत्ती, अगरबत्ती रबड़ वस्तुओं का निर्माण आदि।
- ✱ लघु उद्योग, वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर) एवं इंजीनियरिंग और गैर परम्परागत ऊर्जा उद्योग आदि स्वरोजगार अपनाये जाते हैं।

लक्षित समूह :

- ✱ ग्रामीण/बेराजगारों हेतु ।

विशेष :

- ✱ ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार के द्वारा आत्म निर्भरता।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- ✱ जिला ग्रामउद्योग अधिकारी

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

बैंक कन्सोर्शियम योजना

उद्देश्य :

योजना के तहत ग्रामउद्योग को प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

योजना/सहायता का विवरण :

- ✶ रूपये 25 लाख तक की इकाईयों की स्वीकृति बोर्ड के द्वारा की जायेगी एवं ऋण 17 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर स्वीकृत किया जाता है।
- ✶ व्यक्तिगत उद्यमी हेतु रूपये 10 लाख तक की सीमा निश्चित है।
- ✶ 10 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट संस्था/समिति को स्वीकृत होंगे।
- ✶ ऋण अदायगी 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी तथा ऋण की अदायगी एक वर्ष बाद से प्रारम्भ होती है।

सहयोग का प्रकार :

- ✶ स्वरोजगार हेतु उद्यमी को जिला ग्राम उद्योग अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- ✶ 10 लाख के ऋण पर 25 प्रतिशत तथा 25 लाख तक प्रस्ताव पर 10 प्रतिशत ब्याज रहित मार्जिन मनी दी जाती है जो अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाती है।
- ✶ अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलायें तथा पर्वतीय क्षेत्र के उद्यमियों के लिये 30 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाती है तथा अंशदान 5 प्रतिशत होता है।

Scanned by CamScanner

लक्षित समूह :

★ व्यक्तिगत उद्यमी ग्रामीण, शिक्षित बेरोजगार एवं परम्परागत कारीगर, पंजीकृत ग्रामोद्योग सहकारी समितियां, पंजीकृत/समाजसेवी संस्थायें।

विशेष / अन्य लाभ :

★ ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों हेतु मार्जिन मनी योजना के तहत आयवर्धन का साधन उपलब्ध कराना।

संपर्क अधिकारी/विभाग –

★ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

❖❖❖❖

ब्याज उपादान योजना

उद्देश्य :

गांवों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

योजना/सहायता का विवरण :

★ बैंकों से रूपये 2 लाख तक की पूंजी निवेश इकाईयों हेतु ऋण स्वीकृत करा कर 4 प्रतिशत से अधिक ब्याज की धनराशि उपादन के रूप में अनुमन्य है।

सहयोग का प्रकार :

★ लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 से अधिक न हो।

Scanned by CamScanner

* मुख्य रूप से शिक्षित बेराजगार युवक जो Over Age हो चुके है, आई.टी. आई. पालीटैक्निक के उत्तीर्ण छात्र छात्रायें तथा ट्राइसेम या अन्य सरकारी योजनाओं में प्रशिक्षण आदि आवेदन करने के पात्र हैं।

लक्षित समूह :

* व्यक्तिगत उद्यमी ग्रामीण, शिक्षित बेरोजगार एवं एवं परामपरागत कारीगर।

विशेष लाभ :

* स्वरोजगार में रूचि रखने वाली ग्रामीण महिलायें भी आवेदन कर सकती है।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

* जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

❖❖❖❖

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना

उद्देश्य :

राज्य में पर्यटन विकास एवं बेरोजगार को स्वरोजगार प्रदान करना।

योजना का विवरण :

* इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम ऋण सीमा रूपये 10 लाख सुनिश्चित हैं।
* परियोजना लागत का 20 प्रतिशत धनराशि या अधिकतम 2 लाख रूपये की शासकीय सहायता।

Scanned by CamScanner

सहयोग का प्रकार :

★ स्वरोजगार के रूप में अपनाये जाने वाले व्यवसायों में – 1. परिवहन व्यवसाय, 2. यात्रा मार्ग पर रैस्टोरंट, 3. गैराज, 4. साधना केन्द्र, 5. होटल, 6. पेइंग गेस्ट रूम, 7. साहसिक पर्यटन, 8. टैक्सी, 9. पी.सी.ओ.।

★ आवेदनों की स्वीकृति जिला अधिकारी के अधीन चयन कमेठी के द्वारा की जायेगी।

लक्षित समूह :

★ समस्त बेरोजगार।

विशेष लाभ :

★ अनुसूचित जाति हेतु 17 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति 4 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों हेतु 2 प्रतिशत व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 4 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है।

संपर्क अधिकारी/विभाग –

★ जिला अधिकारी

★ जिला पर्यटन अधिकारी

❖ आवेदन पत्र

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण/राज सहायता हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में

....

....

....

....

....

महोदय,

मैं/हम .... पुत्र श्री .... निवासी .... तहसील .... डाकघर .... जिला .... उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रू0 .... शब्दों में .... धनराशि स्वीकृति हेतु निवेदन करता हूं/करते हैं कि तथा इस संदर्भ में वांछित आवश्यक सूचना निम्न प्रकार से आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है :–

1. योजना का नाम :..
2. उद्यमी/उद्यमियों का नाम व स्थाई पता : ....
3. आयु (जन्म तिथि सहित) :..
4. योजना क्रियान्वयन का स्थल एवं पता :..
5. अनुभव : ....
6. आवेदक की शैक्षिक योग्यता : ....
7. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/ :...
   अनुसूचित जनजाति का सदस्य है?
   (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा
   प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

Scanned by CamScanner

8. क्या आवेदक रोजगार कार्यालय :..
में पंजीकृत है? (यदि हां तो पंजीकरण
संख्या व रोजगार कार्यालय का नाम)

9. शिक्षित बेरोजगार महिलाओं और ऐसे :..
व्यक्ति जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित
किसी विश्वविद्यालय में पर्यटन का
एक विषय के रूप में अध्ययन किया
हो और ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की हो
का विवरण।

10. योजना के लिये भवन/भूमि की उपलब्धता का विवरण जिन योजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता है के लिये पूर्व से ही भू–स्वामी होना आवश्यक है :–

(क) भूमि का क्षेत्रफल :..

(ख) भूमि/भवन के स्वामित्व का :..
प्रमाण–पत्र जो स्थानीय अथवा
सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो

11. योजना का नक्शा :..

12. योजना का आगणन :..

(क) योजना की अनुमानित लागत :..

(ख) उद्यमी का अंशदान :..

(ग) वांछित ऋण राशि :..

13. आवेदक/परिवार की मासिक आय :..
सभी श्रोतों से (परिवार का तात्पर्य
पति/पत्नी तथा माता/पिता से है)

14. प्रस्तावित योजना की संक्षिप्त प्रोजेक्ट :..
रिपोर्ट (परिशिष्ट–1 में दिये गये विवरण
के अनुसार)

15. योजना के लिये प्रस्तावित रोजगार के :..
अवसर कितने लोगों को दिये जाने की
सम्भावना है।

Scanned by CamScanner

16. योजना हेतु कुल अनुमानित धनराशि की आवश्यकता :...
17. प्रस्तावित कार्यस्थल में इसी प्रकार का कार्यकलाप करने वाली अन्य संस्थाओं/फार्मों की संख्या व विवरण :...
18. प्रस्तावित योजना से होने वाली अनुमानित प्रतिवर्ष आय :...
19. बैंक व शाखा का नाम जहां से ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। :...
20. क्या आवेदक या परिवार के किसी सदस्य द्वारा पूर्व में किसी वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लिया गया है। यदि हां, क्या वसूली तहसील/न्यायालय के माध्यम से हुई थी :...
21. पूर्व में लिये गये ऋण के सापेक्ष आवेदक द्वारा बन्धक रखी गई सम्पति/वस्तु का विवरण :...
22. अन्य विवरण यदि कोई हो तो पुष्टि आधार पर इंगित किया जाय :...

....

आवेदक का प्रमाण–पत्र

(1) प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनायें व तथ्य सत्य हैं तथा किसी भी सूचना को छुपाया नहीं गया है।

2– किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हूं, न पूर्व में डिफाल्टर रहा हूं।

3– मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई वाद/कार्यवाही नहीं चल रही है।

4– इस आवेदन–पत्र के सन्दर्भ में जो भी सूचनायें आपके द्वारा मांगी जायेंगी उन्हें मेरे/हमारे द्वारा आपको उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5— आप या आप द्वारा अधिकृत कोई भी अभिकरण विभाग हमारे उद्योग/योजना से सम्बन्धित हमारे पूंजी, लेखे व सृजित इकाई आदि का निरीक्षण कर सकते हैं।

(2) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण तथा उपादान की राशि को मैं/हम शासन द्वारा निर्धारित नियमों/विनियिमों के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण तथा उपादान की राशि को उसके लिये निर्धारित नियमों व उप नियम सहित स्वीकार करता हूं/ करते हैं तथा इस योजना के अन्तर्गत समय–समय पर शासन के विभाग द्वारा भी जो नियम लागू किये जायेंगे वे मुझे मान्य होंगे।

(3) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत ऋण एवं राज सहायता की राशि का उपयोग मात्र पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिये किया जायेगा। ऋण व राज सहायता की राशि का उपयोग/राशि से निर्मित पर्यटन योजना का उपयोग पर्यटन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में किया जाता हुआ पाये जाने पर समस्त धनराशि उपादान की राशि सहित, की वसूली मुझसे कर ली जाय। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक : ....

स्थान : .... आवेदक के हस्ताक्षर :..................................

आवेदक का नाम :..................................

पूरा पता :..................................

विशेष ध्यानाकर्षण :–

आवेदन–पत्र को दो प्रतियों में भरकर निम्नलिखित संलग्नकों (सत्यापित–प्रतिलिपि) सहित सम्बन्धित जिले के पर्यटक कार्यालय, पर्यटक स्वागत केन्द्र अथवा चिन्हित पर्यटक आवास गृहों में जमा करायें :–

1— जन्मतिथि/आयु प्रमाण–पत्र।

2— शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र।

3— तकनीक/पर्यटन विषयक विशेष ज्ञान के प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)।

4— अनु0जा0/अनु0ज0जा0/अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)

5— उत्तराखण्ड के मूल/स्थाई निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।

Scanned by CamScanner

6– पूर्व अनुभव प्रमाण–पत्र (यदि लागू हों)
7– पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण–पत्र।
8– भूमि सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
9– परिशिष्ट–1 पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट।
10– नोटरी द्वारा शपथ–पत्र (परिशिष्ट–2)

....

परिशिष्ट–1
प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(बस एवं टैक्सी संचालन हेतु)

1. क्रय किये जाने वाले वाहन का मेक तथा प्रकार :..
2. वाहन में बैठने की क्षमता : ....
3. प्रयुक्त ईंधन :..
4. ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिये लाइसेंस की :..
स्थिति क्या है तथा कब तक समाप्त होगा
5. क्या संस्थापना के स्थान पर वाहन की : ....
सर्विसेज व मरम्मत की सुविधा है ?
6. आवेदक का इस क्षेत्र में पिछला अनुभव : ....
7. कितने कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे :..
8. यदि आवेदक के पास पूर्व में भी वाहन हो :..
उनका विवरण (जैसे किस्त, निर्माण वर्ष, लागत मूल्य, वर्तमान अनुमानित मूल्य, उससे होने वाली आय, उनकी प्रतिभूति पर कोई ऋण लिया गया हो तो उसका विवरण)
9. प्रतिमास आय (अनुमानित) :
(क) माह का वाहन से सड़क पर :..
परिचालन के दिनों की संख्या

Scanned by CamScanner

(ख) प्रतिदिन तय की जाने वाली :..
कि0मी0 दूरी की संख्या
(ग) प्रति कि0मी0 भाड़ा/दर :..
(घ) कुल मासिक आय :..

10. प्रतिमाह व्यय (अनुमानित)

1– प्रतिमाह ईंधन पर व्यय (अनुमानित) = $\frac{XYZ}{N}$

X- माह में वाहन चलने के दिनों की संख्या :..
Y- प्रतिदिन तय की गई कि0मी0 दूरी :..
Z- प्रतिलीटर ईंधन का मूल्य :..
N- वाहन द्वारा एक लीटर में तय :..
की गई कि0मी0 दूरी

2. मोटर–यान अधिनियम तथा नगर :..
पालिका के अधीन अन्य कर

3. बीमा किस्त :..

4. अनुरक्षण व्यय :..

5. कर्मचारियों का वेतन :..

6. अन्य व्यय :..

7. कुल व्यय (1+2+3+4+5+6) :..

8. शुद्ध आय :..
(9(घ)–10(7) :..

9. इस योजना से उत्तराखण्ड के पर्यटन :..
उद्योग व पर्यटकों को होने वाले लाभ
का विवरण

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–1

योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश (फास्ट फूड सैन्टर्स की स्थापना)

1. योजना हेतु प्रस्तावित स्थल :..

2. स्थान का पर्यटन की दृष्टि से महत्व : ....

3. योजना स्थल की निकटतम बस अड्डे, :..
रेलवे स्टेशन तथा हवाई पट्टी/अड्डे से दूरी

4. यात्रियों/पर्यटकों का अनुमानित :..
आवागमन प्रतिदिन

5. योजना पर होने वाले व्यय का : ....
व्यौरेवार अनुमान
(क) भवन निर्माण : ....
(ख) फर्नीचर/साज–सज्जा/ : ....
किचन उपकरणों (विस्तृत विवरण
सहित) की खरीद पर होने
वाला व्यय
(ग) कार्यकारी पूंजी : ....
(घ) अन्य व्यय : ....

6. योजना से होने वाली अनुमानित : ....
मासिक आय (अनुमानित आय के
सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)

7. योजना का अनुमानित मासिक व्यय : ....
1. कच्चा माल व ईंधन
2. कर्मचारियों पर वेतन व्यय
3. अन्य व्यय

8. शुद्ध लाभ (6–7) :..

9. इस योजना के क्रियान्वयन से कितने :..
अन्य लोगों को रोजगार प्राप्त होगा

Scanned by CamScanner

10. योजना का नक्शा व आगणन :..

11. प्रस्तावित योजना का सारांश जिसमें :..
पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से
सम्बन्धित इस योजना का मुख्य
उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

परिशिष्ट–1

योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

(छोटी–छोटी मोटेलनुमा 8–10 कक्षीय इकाईयों की स्थापना)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है :..
2. स्थान का पर्यटन यातायात की दृष्टि से महत्व : ....
3. वास्तविक योजना के लिये आधारभूत सुविधायें :..
उपलब्ध हैं या नहीं ?
(क) पानी : ....
(ख) बिजली : ....
(ग) मोटर मार्ग : ....
(घ) स्थान का आर्थिक ढांचा : ....
(ङ) पोस्ट आफिस/तार दूरभाष : ....
(च) चिकित्सा सुविधा : ....
4. यात्रियों/पर्यटकों का अनुमानित :..
आवागमन प्रतिदिन/मासिक आधार पर
5. योजना पर होने वाले व्यय का व्यौरेवार अनुमान :

Scanned by CamScanner

(क) भवन निर्माण : ....

(ख) मशीनें तथा साज–सज्जा : ....

किचन उपकरण एवं संयत्र (मशीन/उपकरण/संयत्र की लागत रू0 0.50 लाख या अधिक होने पर कोटेशन लगाने आवश्यक होंगे)

(ग) कार्यकारी पूंजी : ....

(घ) अन्य व्यय : ....

6. प्रस्तावित योजना से रोजगार सृजन : ....
के अवसर का विवरण

7. योजना का नक्शा व आगणन : ....

8. प्रतिमाह होने वाली अनुमानित आय : ....
(अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)

9. प्रतिमाह होने वाला अनुमानित व्यय

1. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय : ....
2. बिजली/दूरसंचार आदि के बिल भुगतान पर व्यय : ....
3. कार्यशील पूंजी : ....
4. अन्य व्यय : ....

10. शुद्ध लाभ (8–9) : ....

11. प्रस्तावित योजना का सारांश जिसमें : ....
पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्राथी के हस्ताक्षर/नाम

....

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देश (मोटर वर्कशॉप की स्थापना)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है :...
2. स्थान का पर्यटन यातायात की दृष्टि से महत्व : ....
3. मोटर गैराज/वर्कशाप में प्रदान की जाने वाली सुविधायें :..........................
4. मोटर गैराज/वर्कशाप का क्षेत्रफल :...
5. मोटर गैराज/वर्कशॉप की स्थापना पर होने वाले व्यय : ....
   (क) मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण : ....
   (यदि स्वयं की भूमि पर निजी तोर पर तैयार किया जाना है)
   (ख) मशीन व संयत्र खरीदने पर व्यय : ....
   (मशीन/उपकरण/संयत्र की लागत रू0 0.50 लाख या अधिक होने पर कोटेशन लगाने आवश्यक होंगे)
   (ग) विद्युतीकरण व पेयजल व्यवस्था पर व्यय : ....
   (घ) अन्य व्यय : ....
6. प्रतिमास होने वाली कुल अनुमानित आय : ....
   (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)
7. प्रतिमास होने वाली अनुमानित व्यय : ....
   (क) मैकेनिकों/कार्मिकों का वेतन : ....
   (ख) बिजली पर व्यय : ....
   (ग) मशीन व कुल पुर्जों पर व्यय : ....
   (घ) अन्य व्यय : ....
   (ङ) कुल अनुमानित व्यय (क.ख.ग.घ.) : ....
8. शुद्ध आय (6–7(ङ)) :...
9. इस योजना के क्रियान्वयन द्वारा उत्तराखण्ड :...

Scanned by CamScanner

में पर्यटन के विकास तथा पर्यटकों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में विवरण

प्रार्थी के हस्ताक्षर / नाम

....

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

(पी0सी0ओ0 सुविधायुक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रैस्टोरेन्ट निर्माण)

1. योजना का प्रस्तावित कार्य स्थल का विवरण : ....
2. प्रस्तावित स्थल पर पर्यटकों का प्रतिदिन अनुमानित आवागमन : ....
3. प्रस्तावित स्थल का यातायात की दृष्टि से महत्व : ....
4. प्रस्तावित स्थल पर पूर्व से स्थापित पी0सी0ओ0 / एस0टी0डी0 बूथ तथा रेस्टोरेन्ट की संख्या : ....
5. पी0सी0ओ0 / एस0टी0डी0 सुविधा प्रतिदिन कितने घण्टे तक पर्यटकों / यात्रियों को सुलभ रहेगी। : ....
6. पर्यटक / यात्रियों को उत्तराखण्ड के विभिन्न पर्यटक स्थलों के विषय में जानकारी किस प्रकार से उपलब्ध कराई जायेगी। : ....
7. इस योजना के अन्तर्गत पर्यटकों / यात्रियों को जलपान सहित ही खान–पान की सुविधा प्रदान करने तथा उत्तराखण्ड के परम्परागत व्यंजनों को तैयार करवाने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी : ....
8. योजना से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। : ....

Scanned by CamScanner

9. योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला ब्यौरेवार : ....
अनुमानित व्यय
1. पी0सी0ओ/एस0टी0डी0 कनैक्शन आदि पर व्यय : ....
2. साज–सज्जा/(उपकरण/किचन उपकरण : ....
आदि पर व्यय व मशीन की कीमत रू0 0.50 लाख
अथवा उससे अधिक होने पर कोटेशन लगाने होंगे)
3. कार्यकारी पूंजी : ....
4. अन्य व्यय : ....
5. कुल व्यय (1+2+3+4) : ....

10. योजना के क्रियान्वयन होने के उपरांत होने :..............................
वाली मासिक आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध
में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)

11. अनुमानित मासिक व्यय :..............................
(क) कर्मचारियों के वेतन पर व्यय : ....
(ख) टेलीफोन/बिजली के बिल आदि : ....
का भुगतान पर व्यय
(ग) अन्य व्यय : ....

12. शुद्ध आय (10–11) :..............................

13. योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा :..............................
दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य
उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(टैन्टेज आवासीय सुविधाओं की स्थापना)

1. योजना निम्न स्थलों में से किस स्थान पर प्रस्तावित है :–
(क) रिवर राफटिंग क्षेत्र :..
(ख) यात्रा परिपथ :..
(ग) ट्रेकिंग मार्ग :..
(घ) अल्पज्ञात पर्यटक स्थल :..
(ङ) अन्य :..

2. प्रस्तावित स्थल का पर्यटन की दृष्टि से महत्व : ....

3. टैन्टेज आवासीय सुविधा के अन्तर्गत प्रदान :..
की जाने वाली अन्य सुविधाओं यथा विद्युत आपूर्ति, प्रसाधन, खान–पान सुविधा, दूरसंचार सुविधा आदि का विवरण

4. इस योजना को किस भूमि/भूखण्ड पर :..
क्रियान्वित किया जायेगा

5. योजना के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार सृजन : ....

6. योजना पर होने वाली अनुमानित व्यय : ....
(क) टैन्टों की खरीद :..
(ख) मशीन/साज–सज्जा/उपकरणों की :..
खरीद पर होने वाला व्यय
(मशीन/उपकरण की लागत रू0 0.50 लाख या उससे अधिक होने पर कोटेशन लगाने होंगे)
(ग) अन्य व्यय :..
(घ) कुल व्यय (क.ख.ग.) :..

7. योजना क्रियान्वयन होने पर होने वाली मासिक : ....
आय (अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार /तर्क इंगित करें)

Scanned by CamScanner

8. अनुमानित मासिक व्यय : ....
1. कर्मचारियों के वेतन पर व्यय : ....
2. बिजली/दूरसंचार आदि सेवाओं पर व्यय : ....
3. अन्य व्यय : ....

9. शुद्ध लाभ (7–8) : ....
10. टैन्टेज आवासीय सुविधा के अन्तर्गत किये गये सुरक्षा उपाय : ....
11. प्रस्तावित योजना पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने में किस प्रकार सहायता कर सकती है। : ....
12. योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो। : ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश (स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है : ....
2. प्रस्तावित स्थल का पर्यटन की दृष्टि से महत्व : ....
3. विक्रय केन्द्र में बिक्री की जाने वाली मुख्य सोविनियर वस्तुएं : ....
4. सोविनियर वस्तुओं की आपूर्ति कहां से की जायेगी : ....
5. इस योजना के प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा : ....
6. विक्रय केन्द्र स्थल निजी अथवा किराये पर है : ....

Scanned by CamScanner

7. सोविनियर शॉप बनवाने पर होने वाला अनुमानित व्यय : ....
(क) फर्नीचर / साज–सज्जा :....................
(ख) सोविनियर वस्तुओं की खरीद पर होले वाला व्यय :....................
(ग) अन्य व्यय :....................

8. प्रतिमास होने वाली कुल अनुमानित आय : ....
(अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार / तर्क इंगित करें)

9. प्रतिमास होने वाला कुल अनुमानित व्यय : ....

10. मासिक आय (8–9) :....................

11. इस योजना क्रियान्वयन द्वारा उत्तराखण्ड में :....................
पर्यटन उद्योग / सोविनियर उद्योग को होने वाले फायदे / बढ़ावा के सम्बन्ध में टिप्पणी

प्रार्थी के हस्ताक्षर / नाम

....

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश

(साहसिक पर्यटन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरणों का बचाव कार्य हेतु उपयोग में आने वाले उपकरणों सहित क्रय/रख–रखाव)

1. प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत विधा का नाम :.................... एवं विस्तृत विवरण

2. कैम्पिंग स्थल का नाम : ....
(यदि संबन्धित विधा हेतु कैम्पिंग साईट की : .... आवश्यकता हो)

3. प्रस्तावित स्थल का साहसिक पर्यटन की :.................... दृष्टि से महत्व

4. प्रस्तावित स्थल का मुख्य मोटर मार्ग से दूरी :....................

Scanned by CamScanner

5. उपकरणों के क्रय करने से सम्बन्धित ब्यौरेवार व्यय : ....
विवरण (कोटेशन एवं तुलनात्मक विवरण सहित)
1. उपकरणों का नाम व लागत : ....
2. टैन्टेज, किचन आदि पर होने वाला व्यय : ....
3. कार्यकारी पूंजी : ....
4. अन्य व्यय : ....
5. कुल व्यय (1+2+3+4) : ....

6. योजना से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा : ....

7. योजना से होने वाली अनुमानित मासिक आय : ....
(अनुमानित आय के सम्बन्ध में ठोस आधार/तर्क इंगित करें)

8. अनुमानित मासिक व्यय : ....

9. शुद्ध लाभ (7–8) : ....

10. योजना का सारांश जिसमें पर्यटन को : ....
बढ़ावा दिये जाने से सम्बन्धित इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

परिशिष्ट–1

प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु दिशा निर्देश (साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्रों का विकास)

1. योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है : ....

2. स्थान का प्राकृतिक/पर्यटन की दृष्टि से महत्व : ....

3. योजना स्थल की निकटतम बस अड्डे, : ....
रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डे से दूरी

Scanned by CamScanner

4. वास्तविक योजना के लिये आधारभूत सुविधायें : ....
उपलब्ध हैं या नहीं ?
(क) पानी : ....
(ख) बिजली : ....
(ग) मोटर मार्ग : ....
(घ) पोस्ट ऑफिस / दूरभाष केन्द्र : ....
5. इस योजना से प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से कितने : ....
लोगों को रोजगार प्राप्त होगा
6. योजना पर होने वाले व्यय का ब्यौरेवार अनुमान : ....
(क) भवन निर्माण : ....
(ख) आयुर्वेद चिकित्सा / योग आदि हेतु यदि : ....
उपकरणों की आवश्यकता है तो उन पर होने
वाला व्यय
7. योजना का नक्शा व आगणन : ....
8. साधना कुटीर / योगध्यान केन्द्र में दी जाने : ....
वाली सुविधायें
क. योगा / मेडीटेशन प्रशिक्षण : ....
ख. चिकित्सा सुविधा : ....
1. आयुर्वेद : ....
2. हर्बल : ....
3. नैचुरोपैथी : ....
4. अन्य सुविधायें : ....
9. इन केन्द्रों से होने वाली अनुमानित आय : ....
10. प्रतिमाह होने वाला अनुमानित व्यय : ....
11. शुद्ध लाभ (9—10) : ....
12. प्रस्तावित योजना का सारांश जिसमें : ....
पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने से
सम्बन्धित इस योजना का मुख्य
उद्देश्य इंगित किया गया हो

प्रार्थी के हस्ताक्षर / नाम

....

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट–2

नोटरी द्वारा सत्यापित किये जाने वाले शपथ–पत्र का प्रारूप

शपथ–पत्र

(सौ रूपए के नान–जूडिशियल पेपर पर)

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....
.... निवासी ....
घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैं बेरोजगार हूं/नहीं हूं मैं प्रस्तावित पर्यटन योजना हेतु पूरी पूंजी स्वयं लगाने में असमर्थ हूं।
2. मैं .... क्षेत्र का पिछले .... वर्षों से स्थाई निवासी हूं।
3. मेरे परिवार (माता/पिता, पति/पत्नी) की कुल वार्षिक आय समस्त स्रोतों से मिलाकर रू0 .... है।
4. मैं किसी भी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं हूं तथा न ही पूर्व में रहा हूं।
5. मैं उक्त योजना के अन्तर्गत सभी नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/नाम

....

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

योजना/सहायता का विवरण :

* इस योजना के तहत अनुसूचित ज़ाति/जनजाति/पर्वतीय क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का अधिकतम 7500 रूपये शासकीय अनुदान देय है।
* ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार महिला कास्तकारों को तीन माह का प्रशिक्षण एवं रू0 250 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती हैं।

सहयोग का प्रकार :

* योजना के तहत प्रशिक्षण के उपरान्त न्यू मॉडल चर्खा दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति की कतायी वाली महिलाओं को 10 प्रतिशत धनराशि देनी होती है।
* रोजगार हेतु यदि आवश्यकता रूपये 1 लाख की है तो जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विचार कर ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
* रूपये 1 लाख से रूपये 25 लाख तक के व्यवसाय हेतु मुख्यालय खादी बोर्ड, देहरादून, वित्त समिति को आवेदन प्रेषित करना होगा।

लक्षित समूह :

* ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगार महिलायें।

विशेष / अन्य लाभ :

* महिलाओं की आत्मनिर्भरता हेतु रोजगार उपलब्ध कराकर आर्थिक स्थिति मजबूत करना।

संपर्क अधिकारी :

* जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

Scanned by CamScanner

उत्तरांचल राज्य विशेष राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना 2005

उद्देश्य :

योजना का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लघु दूरस्थ क्षेत्रों में लघु स्तरीय उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उद्योग स्थापना के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है।

योजना का विवरण :

* इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत प्रदत्त सहायता से इतर दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में :
* 1 अप्रैल 2005 के पश्चात स्थापित नये अथवा पर्याप्त विस्तार/विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण करने वाली लघु/लघुत्तर इकाईयों के द्वारा मशीनरी एवं अन्य ढांचागत पर किये गये स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 1.00 लाख रूपये तक होगी राज्य पंजी निवेश प्रोत्साहन के रूप में राज्य शासन, औद्योगिक विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

सहयोग का प्रकार :

* इकाई को प्रदेश के संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम के रूप में प्रस्तावित अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत होना आवश्यक होगा। स्व वित्त पोषित उद्योगों को भी योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त होगी।
* इस योजना के अन्तर्गत दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का तात्पर्य राज्य सरकार की ''ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली– 2005'' में

Scanned by CamScanner

विनिर्दिट / परिभाषित दूरस्थ क्षेत्रों से हैं। रूपये 50000 / – से अधिक का अनुदान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टड एकाउन्टेंट / चार्टड इंजीनियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

लक्षित समूह :

* राज्य के बेरोजगार।

विशेष / अन्य लाभ :

* राज्य में दिनांक 1 अप्रैल 2005 के पश्चात स्थापित होने वाली लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों तथा पूर्व से स्थापित लघु लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं उपक्रमों का पर्यापत विस्तार, विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को यह सुविधा प्राप्त होगी।

संपर्क अधिकारी / विभाग :

* जिला उद्योग केन्द्र

❖❖❖❖

प्रधानमंत्री रोजगार योजना – प्लस 2005

उद्देश्य :

प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित सफल एवं अनुभवी लाभार्थियों को लघु उद्योग / लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों को बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

* स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण–पत्र / उत्पादन प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner

योजना का विवरण :

- ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक ऋणी से स्वीकृत सहायता पर एक ही बार में ली जाने वाली 2.5 प्रतिशत गारण्टी फीस की राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 50000/– होगी प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।
- उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनापत्तियों की प्रमाणित प्रतियां।
- वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा स्वीकृत/वित्तीय ऋण प्रमाण पत्र (यदि ऋण लिया हो)।

सहयोग का प्रकार आदि :

- प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित राज्य के ऐसे लाभार्थी, जो बैंक ऋण का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हों तथा जिनका पिछले तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड अच्छा हो तथा जो अपने लघु उद्योग/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम की स्थापना एवं विस्तार करना चाहता हो।
- अन्य किसी प्रकार का उद्योग जो बैंक के अन्तर्गत पात्रता रखता हो वह स्वयं ही इस योजनान्तर्गत पात्र होंगे।
- स्थाई पूंजी निवेश संबंधी तिथिवार, मदवार निवेशित व्ययों की सूची एवं बिल वाउचर संलग्न करना है।

लक्षित समूह :

- राज्य के बेरोजगार।

विशेष / अन्य लाभ :

- बैंक के अन्तर्गत आच्छादित इकाईयों के दावे त्रैमासिक रूप से तैयार कर संकलित विवरण राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

संपर्क अधिकारी/विभाग :

- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

❖❖❖❖

Scanned by CamScanner

हार्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन

1. क्षेत्र विस्तार लागत का 50 प्रतिशत अनुदान सीमा रूपये 13000 प्रति हैक्टेयर।

2. **जल स्रोतों का सृजन :** एक हैक्टर औद्यानिक क्षेत्र की सिंचाई हेतु रूपये 1.00 लाख प्रति टैंक, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख प्रति 10 हैक्टेयर सामुदायिक क्षेत्र सिंचाई हेतु।

3. **ऑन फार्म जल प्रबन्धन :** टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) हेतु 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 28500.00 प्रति हैक्टेयर।

- फव्वारा सिंचाई (स्प्रिक्लर) 50 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 15000.00 प्रति हैक्टेयर।
- प्लास्टिक मल्च 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 7000.00 प्रति हैक्टेयर।
- हरित गृह (ग्रीन हाऊस) लागत का 40 प्रतिशत (रूपये 200 प्रति वर्गमीटर के आधार पर) अधिकतम रूपये 40000.00 जो भी कम हो। यह सुविधा 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए है। पुष्पों के लिए फोगिंग, तापक्रम एवं प्रकाश आदि सुविधाओं के साथ रू0 1.50 लाख प्रति 500 वर्गमीटर ग्रीन हाउस।
- शैडनेट लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 14.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 500 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी है।
- ओला अवरोधक जाली (एन्टी हैलनैट) लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 500 प्रति पौध अधिकतम 50 पौधे प्रति लाभार्थी।
- पक्षी अवरोधक जाली (बर्ड प्रोटैक्शन नैट) लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 2000.00 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो।

4. **ऑन फार्म हैण्डलिंग यूनिट :** लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 50000.00 प्रति लाभार्थी।

Scanned by CamScanner

5. **रोपण सामग्री का उत्पादन निजी क्षेत्र में एकीकृत बहुशस्य (मल्टीक्राप) पौधशाला** : बड़ी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 8.00 लाख प्रति पौधालय, छोटी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 1.50 लाख प्रति पौधालय।

6. हर्बल गार्डन के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 1.50 लाख।

7. उत्तक सम्वर्धन (टिश्यू कल्चर) इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख।

8. **तकनीकी हस्तान्तरण** : सात दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के अंदर रूपये 1500.00 प्रति कृषक प्रदेश से बाहर रूपये 2500.00 प्रति कृषक। प्रशिक्षकों का राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु कुल व्यय अधिकतम सीमा रूपये 50000.00 प्रति प्रशिक्षणार्थी।

9. **जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन (आर्गेनिक फार्मिग)** : रूपये 10000.00 प्रति हैक्टेयर। प्रमाणिकता हेतु कुल व्यय का 90 प्रतिशत या रूपये 5.00 लाख जो कम हो रूपये प्रतिवर्ष, केंचुए खाद इकाई की स्थापना हेतु रूपये 30000.00 प्रति इकाई।

10. **कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन (एग्रीकल्चर इक्वीपमैंट)** : कृषक प्रशिक्षण हेतु रूपये 1000.00 प्रति कृषण। हस्तचालित उपकरणों हेतु रूपये 1500.00 प्रति इकाई।

- ★ शक्ति चालित उपकरणों (पांवर ऑपरेटेड) हेतु जैसे कि स्प्रेयर, प्रूनिंगसा आदि रूपये 5000.00 प्रति इकाई। पॉवर ट्रिलर हेतु रूपये 45000.00 प्रति इकाई।
- ★ डीजल इंजन हेतु रूपये 9000.00 प्रति इकाई।

11. **एकीकृत कीट प्रबन्ध** : रूपये 1000.00 प्रति हैक्टेयर।

- ★ निजी क्षेत्र में बायो कन्ट्रोल प्रयोगशाला हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रूपये 40.00 लाख प्रति इकाई।

Scanned by CamScanner

* कीट व रोगों के पूर्वासचेतक (डिजीज एण्ड पोस्ट फॉर कास्टिंग) इकाई स्थापना के लिए रूपये 4.00 लाख प्रति इकाई।
* निजी क्षेत्र में प्लांट हैल्थ क्लीनिक स्थापना हेतु रूपये 5.00 लाख प्रति इकाई।
* पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रूपये 5.00 लाख प्रति इकाई।

12. **मधुमक्खी विकास** : लागत का 50 प्रतिशत या रू0 250.00 प्रति कालोनी और रूपये 350.00 प्रति मौन बक्सा एवं सामग्री।
13. **महिला विकास** : रूपये 1000.00 प्रति महिला को पांच दिन के प्रशिक्षण हेतु।

* स्वयं सहायता समूह हेतु रूपये 5000.00 प्रति महिला समूह।

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्र, जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

महिला डेरी योजना

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने तथा उनमें नेतृत्व विकास की भावना विकसित करने हेतु वर्ष 1994–95 में महिला डेरी विकास परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में लागू हैं तथा योजना मूलतः भारत सरकार की परियोजना है, जिसे भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रदेष सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा है। परियोजना का मुख्यालय अल्मोड़ा में है। परियोजनान्तर्गत महिलाओं की शत प्रतिषत भागीदारी सुनिष्चित की जाती है तथा इन दुग्ध समितियों का संचालन प्रबंध व्यवथा तथा पर्यवेक्षण आदि कार्य महिलाओं द्वारा किये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

ग्रामीण महिलाओं को जहां एक ओर दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध विपणन की उचित व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है वहीं दूसरी ओर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अन्य आय–अर्जन कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्राथमिक पषुचिकित्सा, चारा बीज, मिनी–किट किचिन गार्डन पैकेज स्वास्थ्य कम प्रसूति क्रेच केन्द्रों की स्थापना, सुलभ शौचालय, धूम्र रहित चूल्हा, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन बायो जैविक खाद, आयरन व फौलिक एसिड टेबलेट वितरण आदि के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

सम्पर्क अधिकारी :
परियोजना निदेशक
महिला डेरी परियोजना, उत्तराखंड
जिला अल्मोड़ा
(दूरभाष 05962–233047

लोकतंत्र की अवधारणा सही मायनों में तभी आ पायेगी जबकि राष्ट्रीय विधान तथा राजनैतिक नीतियों के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से पुरूषों तथा महिलाओं द्वारा समान रूचि एवं तत्परता से निर्णय लिये जायें।

– महिलायें तथा राजनीतिक शक्ति के सम्बन्ध में
अन्र्तसंसदीय परिषद का प्रस्ताव, 1992

शिक्षा विभाग की बालिका कल्याण योजनायें

Scanned by CamScanner

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

योजना का उद्देश्य :

कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :–

1. पुरूष एवं महिलाओं के साक्षरता दर के अन्तर को कम करना।
2. विद्यालयी सुविधा से वंचित 10–14 वर्ष वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना।
3. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के अपवंचित वर्ग की बालिकाओं को आवासीय विद्यालय प्रदान करना।

लाभार्थी कौन :

योजना के अन्तर्गत विद्यालयी सुविधा से वंचित 10–14 वर्ष वर्ग की बालिकाएं जिसमें मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के उपेक्षित वर्ग की बालिकाएं हैं।

योजना का स्वरूप :

योजना के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं :–

1. विद्यालय से बाहर रह गयी बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जायेगा।
2. ब्लॉक/जनपद स्तर पर अभिभावकों का संवेदनीकरण किया जायेगा एवं जन–जागरण चलाया जायेगा।
3. अभिभावकों से व्यक्गित सम्पर्क करके उनके साथ परामर्श किया जायेगा।
4. प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु अभिभावक समिति का गठन किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

5. हॉस्टल एवं भवन निर्माण पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था हेतु किराये के भवन एवं अन्य व्यवस्था की जायेगी।
6. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालन किसी संस्था (मैनेजमेन्ट ऐजेन्सी) के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु अपवंचित समूह की बालिकाओं को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।
2. के0जी0बी0वी0 में उन्हीं छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा जो सम्प्रति विद्यालय जाने से वंचित है अथवा शालात्यागी बालिकाएं हों।
3. इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्रदान की जायेगी।
4. इन विद्यालयों में 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति व अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिये जाने की योजना है।

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

चयनित जनपद के अन्तर्गत खुलने वाले बालिका आवासीय विद्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में 75 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं।

प्रस्तावित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की सूचि

क्र.सं	जनपद	विकाखण्ड
1.	अल्मोडा	लमगड़ा धौलादेवी
2.	बागेश्वर	कपकोट
3.	चमोली	धाट
4.	चम्पावत	चम्पावत

Scanned by CamScanner

5.	देहरादून	कालसी
6.	हरिद्वार	नारसन रूड़की भगवानपुर बहादराबाद लक्सर बाजपुर
7.	नैनीताल	ओखलकाण्डा
8.	पौड़ी	थलीसैण
9.	पिथौरागढ़	गंगोलीहाट
10.	टिहरी	जौनपुर भिलंगना थौलदार प्रतापनगर नरेन्द्रनगर
11.	उद्यमसिंह नगर	सितारगंज
12.	उत्तरकाशी	नौगांव चिन्यालीसौड़ पुरोला मोरी

प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)

योजना का उद्देश्य :

एन.पी.ई.जी.ई.एल. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा अपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य –

Scanned by CamScanner

* शिक्षा से वंचित बालिकाओं को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करना।
* बालिकाओं के लिए शिक्षा की पहुँच तथा धारण की सुविधा का विकास करना।
* महिलाओं तथा बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना।
* नवाचारी कार्यक्रमों द्वारा बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना तथा सक्षम बनाना।

कार्यक्रम क्रियान्वयन का क्षेत्र :

* शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे विकास खण्ड, जिनकी महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर 46.58 प्रतिशत से कम तथा पुरुष एवं महिला साक्षरता का अन्तर राष्ट्रीय औसत दर 21.7 प्रतिशत से अधिक हो।

  (वर्ष 2001 की विकास खण्डवार साक्षरतादर प्राप्त न होने के कारण उत्तराखण्ड में वर्ष 1991 की राष्ट्रीय औसत महिला खण्डवार साक्षरता दर 30.62 से कम तथा पुरुष महिला साक्षरता का राष्ट्रीय औसत अन्तर 27.25 प्रतिशत अधिक है, के अनुसार विकास खण्डों का चयन किया गया है।)
* ऐसे विकास खण्ड जिनकी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम से कम 5 प्रतिशत है तथा इन जातियों में महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम है।
* शहरी मलिन बस्तियाँ।

लाभार्थी कौन :

* विद्यालय न जाने वाली बालिकाएं।
* पाठशाला त्यागी बालिकाएं।
* अधिक आयु वर्ग की, वे बालिकाएं जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा पूरी नहीं की है।

Scanned by CamScanner

- ★ कामकाजी बालिकाएं।
- ★ अनुपस्थित रहने वाली बालिकाएं।
- ★ निम्न शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर वाली बालिकाएं।
- ★ सामाजिक अपवंचित वर्ग की बालिकाएं।

योजना का स्वरूप :

बालिकाओं के लिए आदर्श संकुल विद्यालयों की स्थापना : अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बालिका बाहुल्य स्थानों में 5–10 विद्यालयों/गांवों के लिए 01 आदर्श संकुल विद्यालय की स्थापना।

आदर्श संकुल विद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान :

1. अनावर्तक अनुदान

- ★ अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण शौचालय, पेयजल संयोजन एवं बिजली आदि कार्यों के लिए रु. 2.00 लाख का अनुदान।
- ★ शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तकालय, साज–सज्जा सामग्री, खेल की सामग्री एवं जीवन उपयोगी कौशलों को सीखाने के लिए रु. 30,000/– का अनुदान।

2. आवर्तक अनुदान

आदर्श संकुल विद्यालय में निम्नांकित कार्यक्रमों के संचालन के लिए अधिकतम रु. 60,000/– का अनुदान प्रति वर्ष दिया जा रहा है।

- ★ आदर्श संकुल विद्यालय के रख–रखाव, अल्पकालिक अनुदेशकों के रखे जाने हेतु (1000 रूपये प्रतिमाह पर अधिकतम 3 माह तक के लिए) अधिकतम रु. 20,000/– का अनुदान।
- ★ संकुल स्तर के अध्यापक/विद्यालय को बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन, ठहराव, एवं सम्प्राप्ति स्तर प्राप्त करने पर रु. 5,000/– का पुरस्कार।
- ★ छात्र मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ब्रिज कोर्स तथा वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल संचालित करने हेतु रु. 20,000/– का अनुदान।

Scanned by CamScanner

* मुक्त विद्यालय के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु रु.50,000/– प्रतिवर्ष।
* अधिकतम 20 अध्यापकों के लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण हेतु रु. 4000/–
* समुदाय के सहयोग से शिशु शिक्षा केन्द्र खोलने हेतु रु. 5000/– आवर्ती तथा 1000/अनावर्ती अनुदान प्रति केन्द्र की दर से (अधिकतम दो केन्द्रों हेतु)
* छात्र मूल्यांकन, निदानात्मक, शिक्षण, सेतु पाठ्यक्रम एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के लिए रू. 20 हजार का प्रावधान है।
* राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करने, अनुपूरक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था तथा संचालित किये जाने वाले कार्यों के लिए शुल्क व्यवस्था हेतु अधिकतम रू. 50 हजार का प्राविधानहै।
* सर्व शिक्षा अभियान में समस्त बालिकाओं को रू. 150/– की दर से निःशुल्क पाठ्यक्रम देने का प्राविधान है। निःशुल्क पाठ्पुस्तक की अवशेष ध् ानराशि से स्टेशनरी, स्लेट, वर्क, बुक, गणवेश तथा दुर्गम क्षेत्रों में रक्षक प्रदान किया जा सकता है।
* समुदाय को बालिकाओं के नामांकन,धारण एवं सम्प्राप्ति स्तर बढ़ाने में गतिशील करने हेतु विविध कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए प्रथम वर्ष रूपये 35 हजार, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में रूपये 20 हजार तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में रूपये 10 हजार का प्राविधान है।

सामुदायिक सहभागिता :

जनपद एवं संकुलों में समुदाय को बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति एवं शैक्षिक सम्प्राप्ति के प्रति जागरुक करने के लिए प्रथम वर्ष में रु. 35,000/– द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में रु. 20,000/– तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में रु. 10,000/– का प्राविधान है।

योजना का क्रियान्वयन :

* कार्यक्रम का संचालन 36 न्यून महिला साक्षरता वाले विकास खण्डों में किया जा रहा है।

Scanned by CamScanner

★ चयनित विकास खण्डों में 430 आदर्श संकुल विद्यालय चयनित किये गये हैं।

★ एन.पी.ई.जी.ई.एल. के अन्तर्गत राज्य, जिला, विकास खण्ड एवं संकुल स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं , अध्यापकों और समुदाय को गतिशील करके एवं जनसहभागिता से किया जाना है।

★ वर्ष 2006–07 में रूपये 350.828 लाख का बजट अनुमोदित किया गया।

प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) कार्यक्रम

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का ई0सी0सी0ई0 के रूप में संचालन

प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र का उद्‌देश्य

बालिकाओं में शिक्षा के प्रतिशत की कमी को देखते हुए बालिका शिक्षा को बढ़ाने के उद्‌देश्य से प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (ई0सी0सी0ई0) कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। जिला प्राथमिक कार्यक्रम एवं सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा संचालित 4154 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों के रूप में चलाया जा रहा है। इस योजना का मूल उद्‌देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को विद्यालयी शिक्षा प्रदान की जाये। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती विद्यालय में दाखिला लें तथा उनके छोटे भाई–बहनों की देखभाल स्थापित किये जाने वाले ई0सी0सी0आई0 केन्द्रों में की जाय। प्रत्येक बालिका की पहुंच में विद्यालय हो, बालिकाओं का विद्यालय में धारण बना रहे एवं उन्हें गुणात्मपरक शिक्षा प्रदान की जा सके। सभी बालिकाओं का शाररिक एवं मानसिक विकास करने, आत्मविश्वास में वृद्धि

Scanned by CamScanner

करने, सामाजिक वृद्धि तथा क्षमता विकास हेतु भी उपरोक्त केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। यह केन्द्र 3–6 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व तैयारी करवाता है।

केन्द्रों का संचालन :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में समेकित बाल विकास परियोजना के साथ समन्वय कर ई0सी0सी0ई0 केन्द्र आंगनबाड़ी केन्द्रों के साथ ही संचालित किये जाते हैं। ई0सी0सी0आई0 केन्द्र एवं प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में विद्यालय के साथ संचालित होते हैं व दोनों का संचालन समय भी एक ही है। ई0सी0सी0आई0 केन्द्रों के संचालन में उन स्थानों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जहां बालिकाओं की शालात्यागी दर अधिक है।

कार्ययोजना

इन केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केन्द्र संचालन के समय से 1 घंटा अतिरिक्त समय केन्द्र पर रूककर अगले दिवस की कार्ययोजना तैयार करती है व सप्ताह में 3 दिन अभिभावकों से सम्पर्क करती हैं।

सामग्री विवरण :

उपरोक्त केन्द्रों को अनावर्तक मद से रू. 5000.00 एकमुश्त खेल–खिलौने हेतु तथा आवर्तक मद से रू. 1500.00 आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

प्रशिक्षण

प्रत्येक कार्यकत्री एवं सहायिका को 5 दिवसीय आरम्भिक प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से करवाया जाता है एवं प्रत्येक वर्ष में 5 दिवसीय पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया जाता है। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण उत्तराखंड सेवा निधि द्वारा सम्पादित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

(ग) केन्द्रों के लिए वित्तीय प्रावधान :

परियोजनान्तर्गत ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों को रु0. 5000/– अनावर्तक अनुदान एक मुश्त खेल–खिलौने हेतु एवं आवर्तक मद से रु0. 1500/– प्रतिवर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।

- ★ रु0. 5000/– एवं 1500/– से केन्द्र के लिए सामग्री, खेल–खिलौने आदि क्रय किये जाते है।
- ★ सामग्री क्रय करने हेतु धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के खाते में प्रेषित की जाती है तथा उन्ही के माध्यम से सामग्री क्रय की जाती है।

(घ) केन्द्र संचालन का स्थल :

- ★ ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का संचालन प्राथमिक विद्यालय के परिसर में किया जा रहा है।
- ★ ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के संचालन के लिए अतिरिक्त कक्षा–कक्ष निर्मित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(ङ.) केन्द्रों का अनुश्रवण :

- ★ केन्द्रों के सफल संचालन एवं कार्यकर्तियों पर प्रशिक्षण के प्रभाव/क्रियान्वयन, केन्द्र संचालन में होने वाली कठिनाईयों के अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।
- ★ इससे अतिरिक्त राज्य सन्दर्भ समूह एवं डायट मेन्टर्स द्वारा केन्द्र/कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाता है। प्राप्त सुझावों के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन किया जाता है।
- ★ वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यक्रम रिब्यू बैठक की जाती है। जिसमें कार्यक्रम से जुड़े अभिकर्मी, कार्यकर्तियाँ, अनुश्रवण कर्ता आदि प्रतिभाग करते है। बैठक में प्राप्त सुझावों को आगामी वर्ष हेतु बनायी जाने वाली कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाता है।

Scanned by CamScanner

2. एन0जी0ओ0 द्वारा संचालित बालवाड़ियाँ :

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखण्ड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान द्वारा बालवाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।

3. शिक्षा गारण्टी योजना के साथ ई0सी0सी0ई0 :

* जिन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है। वहाँ पर शिक्षा गारण्टी योजना (ई0जी0एस0) के साथ ई0सी0सी0ई0 केन्द्र संचालित किये जा रहे है।
* कार्यकर्ती को रु0 500/– प्रतिमाह तथा सामग्री हेतु धनराशि एवं प्रशिक्षण ई0सी0सी0ई0 कार्यकर्तियों के समान ही दिया जा रहा है।

बालिका शिक्षा

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु बालिकाओं को केन्द्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालिका शिक्षा नवाचारी कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है।

उद्‌देश्य :

* समाज में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना।
* प्रारम्भिक स्तर पर लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करना।
* स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं, विशेष रूप से वंचित वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में लाने, विद्यालय में ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
* शिक्षा प्रणाली को बालिकाओं के अनुरूप बनाना व शालात्याग की दर को न्यूनतम करना।

Scanned by CamScanner

योजना का स्वरूप :

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु राज्य स्तर पर कार्यशाला, रिव्यू बैठक, जिला समन्वयक (बा.शि.) की समीक्षा बैठक, राज्य संदर्भ समूह की बैठक, एक्सपोजर बैठक, संदर्भ समूह द्वारा क्षेत्र भ्रमण, प्रकाशन एवं अभिलेखीकरण, अध्ययन, मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण (ममता) आदि कार्यक्रम किये जायेंगे।

वय वर्ग की बालिकाओं का चिन्हीकरण :

प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 6–11 वय वर्ग की बालिकाओं का चिन्हीकरण बाल गणना के माध्यम से किया जाता है।

योजना के अन्तर्गत हस्तक्षेप :

- स्कूल चलो अभियान
- समितियों एवं संदर्भ समूह का गठन
- निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण
- प्रारम्भिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा केन्द्रों की स्थापना
- ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण
- अध्यापक प्रशिक्षण
- कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण
- जिला बालिका शिक्षा समन्वयक का अभिमुखीकरण
- राज्य संदर्भ समूह का गठन

अद्यतन स्थिति :

1. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम :

- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के सम्वर्द्धन हेतु राष्ट्रीय महिला समाक्षरता दर (1991) से न्यून साक्षरता दर वाली 85 न्याय पंचायतें, जिसमें बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव कम है तथा ड्राप आउट (शालात्मक) अधिक है, का चयन किया गया है।

Scanned by CamScanner

- ★ चयनित आदर्श संकुलों में यूनीसेफ द्वारा विकसित मीना फिल्म का प्रदर्शन मां बेटी मेलों का आयोजन, बाल मेलों का आयोजन तथा वी.ई.सी. के लिंग संवेदीकरण हेतु कार्यशालाओं का आयोजन, चयनित महिलाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- ★ इसके अन्तर्गत माता शिक्षक एवं प्रेरक संघों (ममता) का गठन तथा सदस्यों के प्रशिक्षित का प्रावधान है।
- ★ माता शिक्षक एवं प्रेरक संघ (ममता) के प्रशिक्षण हेतु आशा माड्यूल विकसित किया गया है।
- ★ आदर्श संकुल में उक्त कार्यक्रमों के संचालन से बालिकाओं के नमांकन, ठहराव में वृद्धि एवं शालात्याग में कमी, विद्यालयों में नियमित उपस्थिति में वृद्धि तथा शिक्षा के अवरोधक का निवारण किया जाता है।
- ★ ममता द्वारा विद्यालयों में चाहर दीवार का निर्माण, मैदान का समतलीकरण, पेयजल की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, शिक्षण में सहयोग तथा बालिकाओं के नामांकन, उपस्थिति में सहयोग दिया जाता है।

2. सर्व शिक्षा अभियान :

बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की शिक्षा सम्वर्द्धन हेतु नवाचार कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल मेंलों, माँ–बेटी मेलों, कार्यशाला, ममता समूह का गठन एवं प्रशिक्षण, फल प्रसंस्करण का प्रशिक्षण, ग्लास पेटिंग, एडवेंचर स्पोर्टस, कराटे, योग, ताइक्वान्डों, फल संरक्षण, सिलाई, पेन्टिंग प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :–
उप जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की योजनायें

Scanned by CamScanner

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में आच्छादित हैं।

योजना का उद्देश्य :

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म दर एवं शिशु मृत्यु दर कम करना तथा जनसंख्या वृद्वि रोकना है।

लाभार्थी कौन :

विवाहिता, गर्भवती एवं धात्री महिलाऐं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थी होंगी।

योजना का स्वरूप :

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सन् 1997–98 से चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आर.सी.एच. इम्पावर्ड कमेटी का गठन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती माताओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल, सम्पूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रमों सुधार एवं एड्स के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं यौन जनित रोगों तथा प्रजनन तंत्र संक्रमण के संबंध में दम्पतियों को शिक्षित किया जाता है।

इस कार्यक्रम के संचालन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा धन आबंटित किया जाता है जिसका उपयोग ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों के भवननिर्माण, मरम्मत, विद्युत एवं जलापूर्ति एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर उपरोक्त सुविधायें प्रदान करने में किया जाता है।

संबंधित विभाग :

यह कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

Scanned by CamScanner

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें :

यह परियोजना भी समस्त प्रदेश में संचालित की जा रही है और सभी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। यदि किसी पात्र महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो तो वह ए.एन.एम. या निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकती हैं।

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मृत्यु प्रमाण पत्र

(जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 एवं उत्तराखण्ड जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 2003 के नियम 8/13 के अन्तर्गत जारी)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न सूचनाएं मूल जन्म पंजिका से उद्धत की गई है जो कि तहसील .... जनपद .... उत्तराखण्ड के .... (स्थानीय क्षेत्र) की पंजिका है। मृतक का नाम ....

मृतक के स्थाई निवास का पता ....

पिता/पति का नाम ....

लिंग ....

मृत्यु का दिनांक ....

मृत्यु का स्थान ....

माता का नाम ....

पंजीकरण संख्या ....

पंजीकरण का दिनांक ....

दिनांक .... जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर

मृत्यु का कारण सम्बन्धी कोई जानकारी जो पंजिका में है, धारा–17 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनतर्गत नहीं दी जाएगी।

Scanned by CamScanner

निशुल्क आवेदन पत्र

अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों/उनके परिजनों की गम्भीर बिमारी के इलाज हेतु एवं उनके व निराश्रित विधवाओं की पुत्री की शादी हेतु आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जाति .... उपजाति ....
4. स्थाई निवास का पता : ....
5. आयु ....
6. समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ....
7. किस रोग से ग्रस्त हैं जिसके इलाज हेतु अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, हेतु मेडिकल प्रमाण–पत्र राजकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त हो।
8. परिवार के आश्रितों की संख्या .... आजीविका ....
9. पुत्री की शादी की निश्चित तिथि ....
10. पुत्री की उम्र (प्रमाण–पत्र सहित) ....
11. लड़के की उम्र (प्रमाण–पत्र सहित) ....

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मुझे व मेरे परिवार के किसी सदस्य को उक्त योजना में पूर्व में कोई अनुदान/सहायता प्राप्त नहीं हुई है। यदि उक्त विवरण असत्य पाया जाय तो अनुदान/सहायता में प्रदान की धनराशि राजस्व वसूली की भांति वापस की जाय, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर/अं0नि0

स्थान ....

(यहां पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।)

नोट :– 1. क्रमांक 3, 5, 6, 7, 9, 10 व 11 से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

2. शादी वाले आवेदक क्रमांक 7 का कॉलम न भरें।

3. बीमारी वाले आवेदक क्रमांक 9 व 10 न भरें।

4. अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। जिसकी सूचना आवेदक को नहीं दी जायेगी।

5. यह आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के साथ ही स्वतः समाप्त हो जायेगा।

Scanned by CamScanner

सं...........................

No. ....

Form-5

उत्तराखण्ड सरकार

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले स्थानीय निकाय का नाम)

जन्म प्रमाण–पत्र / BIRTH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा उत्तराखण्ड जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) .... तहसील ....

जिला .... राज्य .... के रजिस्टर में उल्लिखित है।

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (local area/local body) .... of tahsil/ block... of District .... of State/ Union territory ....

नाम / Name ....

लिंग / Sex ....

जन्म तिथि / Date of Birth ....

जन्म स्थान / Place of Birth ....

माता का नाम / Name of Mother ....

पिता का नाम / Name of Father ....

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता / Address of parents at the time of birth of the child ....

माता पिता का स्थायी पता / Permanent address of parents ....

पंजीकरण संख्या / Registration No......................... पंजीकरण दिनांक / Date of Registration ....

टिप्पणी / Remarks (if any) ....

जारी करने की तिथि / Date of issue ....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर / Signature of the issuing authority

प्राधिकारी का पता / Address of the issuing authority

मोहर / Seal

Scanned by CamScanner

जननी सुरक्षा योजना

योजना का उद्देश्य :

यह योजना सुरक्षित प्रसव एवं स्वस्थ बच्चे के जन्म से संबंधित है। अस्पताल में गर्भवती महिला सुरक्षित होती है तथा उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होता है। प्रसव के बाद नवजात शिशु की सही देखभाल होती है तथा शिशु मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। योजना के सफल क्रियान्वयन से शिशु एवं मातृ–मृत्यु की दर में कमी आयेगी।

लाभार्थी कौन :

यह योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की गर्भवती महिला के लिये लागू की गयी है। योजना का लाभ उन सभी गर्भवती महिलाओं को दिया जायेगा जिनके द्वारा किसी भी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में प्रसव कराया जायेगा। जिसमें वी0पी0एल0 प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

गर्भवती महिला यदि किसी मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय (प्राइवेट अस्पताल अथवा नर्सिंग होम) में प्रसव कराती है तो लाभार्थी को गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (वी0पी0एल0) का प्रमाण पत्र देना होगा।

योजना का स्वरूप

अस्पताल में प्रसव कराने पर गर्भवती महिला को ग्रामीण क्षेत्र में 1400/– तथा शहरी क्षेत्र में 1000/– नकद दिया जायेगा। इस कार्य में सहायक व्यक्ति को

Scanned by CamScanner

अस्पताल तक जाने में किराया–भाड़ा आदि व्यय की पूर्ति होगी। अस्पताल में पंजीकरण कराने के बाद घर पर प्रसव होने की दशा में मात्र 500/– ही मिलेंगे। गर्भवती को प्रसव हेतु स्वास्थ्य केन्द्र तक ले जाने तथा उसके साथ ठहरने के लिए एक व्यक्ति को सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। आशा कार्यकर्त्री तथा ग्रामीण दाई की सेवाएं सहायक व्यक्ति के रूप में प्राप्त की जा सकती है। कृपया योजना के लाभ हेतु अपने क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ए.एन.एम. अथवा आशा से सम्पर्क करें।

समानता, विकास तथा शांति के लक्ष्यों को महिलाओं की सक्रिय सहभागिता तथा निर्णायक स्तरों पर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को समावेश किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

– प्लेटफार्म फॉर एक्शन, चतुर्थ विश्व महिला गोष्ठी,
बीजिंग (पैकिंग), चीन, 1995

Scanned by CamScanner

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनायें

Scanned by CamScanner

अन्नपूर्णा अन्न योजना

योजना का उद्देश्य :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असहाय वृद्धजनों को खाद्यान्न सुरक्षा देना।

लाभार्थी कौन :

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे वृद्धजन जो पेंशन के हकदार हों लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल पा रही हो।

योजना का स्वरूप :

यह योजना केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है जिसे राज्य सरकार व भारतीय खाद्य निगम के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित व कियान्वित किया जाता है। जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा द्वारा चयनित लाभार्थी को प्रतिमाह 10 कि.ग्रा. खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है। इस योजना में प्रत्येक लाभार्थी को एक कार्ड मिलता है जिसे दिखा कर वह सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से वहां की स्थानीय जरूरत के अनुसार खाद्यान्न चावल या गेहूं हासिल कर सकता है।

योजना का लाभ कैसे लें :

ग्राम पंचायतों द्वारा लाभार्थियों का चयन कर इसकी सूचना जिला पूर्ति अधिकारी को दी जाती है। जिला पूर्ति अधिकारी मानकों के आधार पर लाभार्थी को हरे रंग का राशन कार्ड प्रदान करता है।

Scanned by CamScanner

अन्त्योदय अन्न योजना

योजना का उद्‌देश्य :

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले निर्धनतम परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लाभार्थी कौन :

ऐसे निर्धनतम परिवार जो दो जून तक की रोटी की यवस्था करने में भी असमर्थ हों इस योजना के लिए लाभार्थी होंगे।

योजना का स्वरूप :

अक्टूबर 2001 से भारत सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवारों में भी निर्धनतम परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु अन्त्योदय अन्न योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत रू.2 प्रति किलोग्राम गेहूं तथा रू. 3 प्रति किलोग्राम चावल दिये जाते हैं।

योजना का लाभ कैसे लें :

अन्त्योदय अन्न योजना में गुलाबी रंग का राशन कार्ड प्रदान किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक कार्यालय प्रत्येक राशन कार्ड का मूल्य रू. 3 लेकर निगर्मित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना हेतु लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पंचायत/पालिका के द्वारा किया जाएगा। अतः एक सादे कागज पर ग्राम पंचायत को या नगर पंचायत/पालिका को आवेदन कर सकते हैं जिस पर अपने क्षेत्र के वार्ड मेम्बर से इस आवेदन पर संस्तुति अवश्य करवा लें।

Scanned by CamScanner

विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना

योजना का उद्देश्य :

योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना जो बिलकुल ही निराश्रित हैं या ऐसे असाध्य रोग से ग्रसित हैं जिनका इलाज संभव नहीं है या एकल स्त्री या एकल पुरूष निराश्रित जीवन यापन कर रहे हों या जनजाति के परिवार जो खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित हों।

लाभार्थी कौन :

निराश्रित विधवाएं, निराश्रित अनुसूचित जनजाति के परिवार, एकल स्त्री एवं एकल पुरूष परिवार जो खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित हैं तथा असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले परिवार, इस योजना हेतु लाभार्थी होंगे।

योजना का स्वरूप :

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या – 196/2001 में केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिये गये थे कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत समाज के असहाय एवं निराश्रित वर्ग के लोगों को भी अन्त्योदय अन्न योजनाओं के लाभ से आच्छादित किया जाय। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना ;।।ल्ध्द्ध शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत विधवाओं, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले परिवारों, एकल पुरूष/एकल स्त्री, जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

योजना का लाभ कैसे लें :

निराश्रित विधवाएं, निराश्रित अनुसूचित जनजाति के परिवार, एकल स्त्री एवं एकल पुरूष परिवार जो खाद्यान्न सुरक्षा से बंचित हैं तथा असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले परिवार इस योजना हेतु लाभार्थी होंगे।

Scanned by CamScanner

राशन वितरण योजना एक नजर में ...

क्या आप जानते हैं ?

- राशन की दुकान हर दिन रविवार को छोड़कर खुलनी चाहिये।
- यदि आप राशन कार्ड के अनुसार सम्पूर्ण राशन एक बार में नहीं ले पा रहे हो तो आप किस्तों में भी ले सकते हैं।
- आपको सस्ते गल्ले की दुकान से हर माह राशन मिलना चाहिए।
- तौल पूर्णतया ठीक हो।

गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए पीला कार्ड

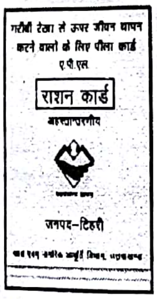

12 किग्रा0 गेहूं	– मू0 6.80 प्रति किग्रा0
23 किग्रा0 चावल	– मू0 8.45 प्रति किग्रा0
मिट्टी तेल 5 ली0 (बिना गैस धारक)	– मू0 9.55 से 10.55 तक
03 लीटर सिंगल गैस धारी	

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सफेद कार्ड

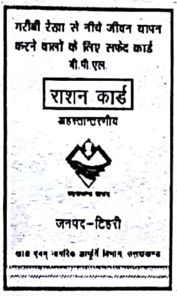

10 किग्रा0 गेहूं	– मू0 4.65 प्रति किग्रा0
25 किग्रा0 चावल	– मू0 6.15 प्रति किग्रा0
मिट्टी तेल 3 ली0 (गैस धारक)	– मू0 10.25 प्रति लीटर
मिट्टी तेल 5 ली0 (बिना गैस धारक)	– मू0 10.25 प्रति लीटर
700 ग्रा0 चीनी (प्रति व्यक्ति/यूनिट)	– मू0 13.50 प्रति किग्रा0

गरीबी रेखा से नीचे अतिनिर्धन व्यक्तियों के लिए गुलाबी कार्ड (इसे अन्त्योदय कार्ड भी कहते हैं)

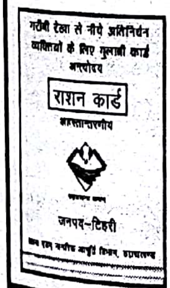

10.450 किग्रा0 गेहूं	– मू0 2.00 प्रति किग्रा0
24.550 किग्रा0 चावल	– मू0 3.00 प्रति किग्रा0
मिट्टी तेल 3 ली0 (गैस धारक)	– मू0 9.55 से 10.55 तक
मिट्टी तेल 5 ली0 (बिना गैस धारक)	– मू0 9.55 से 10.50 तक
700 ग्रा0 चीनी (प्रति व्यक्ति/यूनिट)	– मू0 13.50 प्रति किग्रा0

अन्नपूर्णा ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था के पात्र हैं लेकिन पेंशन सुविधा नहीं मिल रही है उनको हरा रंग के राशन कार्ड दिया जायेगा

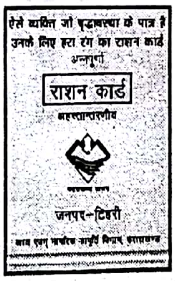

10 किग्रा0 चावल – मुफ्त
प्रति कार्ड प्रति माह

यदि उपरोक्त न हो तो आप शिकायत करें :
ग्राम पंचायत प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, जिलाधिकारी, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष फोरम, खाद्य रसद आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त

Scanned by CamScanner

पशु पालन विभाग की योजना

Scanned by CamScanner

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशु चिकित्सा, बधियाकरण, पशु प्रजनन, कुक्कुट पालन एवं भेड़ एवं ऊन विकास के लिए भेड़ पालन तथा चारा विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। पशुपालकों को इन कार्यक्रमों की जानकारी एवं आवश्यक सुविधायें प्रदान करने हेतु जनपद में 22 पशु चिकित्सालयों, 46 पशु सेवा केन्द्रों, 5 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, 1 सघन कुक्कुट विकास परियोजना, 3 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 1 बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 1 शशक प्रजनन प्रक्षेत्र तथा 21 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है। पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाने हेतु समय–समय पर टीकाकरण किया जाता है। स्थानीय पशुपालकों से अपेक्षा की जाती है कि समयान्तर्गत अपने पालतू पशुओं का टीकाकरण करवा लें।

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम :

पशुपालन विभाग द्वारा वर्तमान में क्षेत्रीय पशुपालकों का उन्नत नस्ल के पशुओं की प्राप्ति हेतु कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम उत्तराखण्ड लाइव स्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे अच्छी नस्ल के पशु उत्पन्न हो सकें और दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके।

डेयरी, मुर्गी पालन क्षेत्रों के लिये उद्यम पूंजी निधि (डेयरी पौल्ट्री बेंचर कैपीटल फण्ड योजना) :

भारत सरकार ने डेयरी और मुर्गी पालन क्षेत्रों हेतु बेंचर कैपीटल के लिये निधि स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की है ताकि इन दोनों क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां करने के लिये उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण/बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान किया जा सके।

इन योजनाओं का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन के लिये आधुनिक डेयरी फार्म की स्थापना, ग्रामीण स्तर पर असंगठित क्षेत्र में दुग्ध के विपणन हेतु प्रसंस्करण, मुर्गी पालन हेतु प्रजनन फार्म की स्थापना, पौल्ट्री फीड की स्थापना अण्डों की ग्रेडिंग, पैकिंग इकाई स्थापित करना तथा पौल्ट्री उत्पादों का विपणन सम्मिलित है।

Scanned by CamScanner

इस योजना के अन्तर्गत परियोजना व्यय का 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। 40 प्रतिशत धनराशि बैंकों के द्वारा सामान्य कृषि ब्याज दरों पर उपलब्ध होगी तथा 10 प्रतिशत धनराशि मार्जन मनी के रूप में वहन की जायेगी। बैंक ऋण की नियमित अदायगी पर बैंक ऋण के ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। परियोजना लागत निम्न प्रकार प्रस्तावित है –

दुग्ध उत्पादन योजना :

1.	पशुओं की 10 इकाई आधुनिक उपकरणों सहित	3 लाख
2.	दुग्ध यंत्रों/दुग्ध मापक कुलिंग यूनिट (2000 ली0) क्षमता	15 लाख
3.	दुग्ध प्रसंस्करण उपकरणों का क्रय	10 लाख
4.	दुग्ध उत्पादों का परिवहन	20 लाख
5.	दुग्ध उत्पादों के लिये कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था	25 लाख
6.	निजी पशु चिकित्सालयों की स्थापना	
	1– सचल	2 लाख
	2– स्थिर	1.5 लाख

मुर्गी पालन योजना :

1.	मुर्गी प्रजनन फार्म की स्थापना	30 लाख
2.	फीड मिक्सिंग गोदाम की स्थापना	16 लाख
3.	मुर्गी उत्पादों का विपणन	25 लाख
4.	ग्रेडिंग पैकिंग स्टोरेज निर्यात क्षमता सहित	80 लाख
5.	बूचड़खाना	5 लाख
6.	केन्द्रीय उत्पादन इकाईयां (12,500 मुर्गियां प्रति)	20 लाख

उपरोक्त योजना का लाभ किसानों, निजी उद्यमियों, संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के समूहों को प्राप्त होगा। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी विकास खण्ड मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी तथा बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें :

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी

Scanned by CamScanner

सूचना का अधिकार

Scanned by CamScanner

सूचना का अधिकार कानून

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अक्टूबर 05 से प्रभाव में आ गया है। अब कोई भी नागरिक जनहित से जुड़े विषयों पर सरकारी अथवा सरकार से वित्त पोषित संगठनों से वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों और शासन तंत्र के बीच परस्पर संवाद व सूचनाओं के आदान–प्रदान की एक नई व्यवस्था है। इसके अपने कुछ नियम और प्राविधान हैं जो अधिनियम में ही निर्देशित हैं। सूचना के अधिकार का प्रयोग कैसे करें इसे समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि इस अधिनियम के अधीन सूचना की परिभाषा क्या है, अभिलेख में क्या–क्या सामग्री सम्मिलित है और सूचना के अधिकार के अन्तर्गत नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है? इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि सूचना के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा गठित संस्थागत ढांचे के मुख्य अधिकारी कौन हैं और उनकी भूमिका क्या है?

सूचना का अर्थ

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 'सूचना' का तात्पर्य ऐसी सभी समग्री से है जो किसी शासकीय/अर्धशासकीय अधिष्ठान, सार्वजनिक उपक्रम या लोक प्रधि ाकारी के कार्यालय के अभिलेखों में निहित होती है। इस प्रकार सूचना के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों के अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञाप, आदेश, परिपत्र, सलाह, शासनादेश, प्रेस विज्ञप्ति, संविदाओं से संबंधित कागजात, लागबुक, माडल, नमूने, आंकड़े आदि सम्मिलित हैं। अर्थात सूचना के अन्तर्गत इनमें से किसी एक या सभी सामग्रियों को प्राप्त किया जा सकता है।

अभिलेख का अर्थ

सूचना के अधिकार के संदर्भ में 'अभिलेख' (रिकार्ड) का तात्पर्य किसी दस्तावेज,

Scanned by CamScanner

पाण्डुलिपि, फाइल, माइक्रोंफिच, या फेसिमील के रूप में उपलब्ध दस्तावेज, तस्वीर और चित्रों अथवा कम्प्यूटर या अन्य तरीकों से उत्पादित किसी सामग्री से है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अन्तर्गत किसी निर्णय कार्य, अभिलेख या दस्तावेज का निरीक्षण करने का अधिकार, दस्तावेजों के टिप्पणी, उदधरण या प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकार, सार्वजनिक उपयोग के लिए वितरित की जाने वाली या निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट आदि के रूप में संग्रहित सूचना प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है।

सूचना कैसे प्राप्त करें

नागरिकों द्वारा सूचना के अधिकार के प्रयोग को व्यवहारिक बनाने के लिये प्रत्येक विभाग, सार्वजनिक उपक्रम व लोग प्राधिकरणों की प्रशासनिक इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों व सहायक लोक सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है। जैसा कि इन पदाधिकारियों के पदनाम से स्पष्ट है, इनका मुख्य कृत्य नागरिकों के सूचना के अनुरोधों को प्राप्त करना व अनुरोधों पर सूचना उपलब्ध करना है। इस तरह लोक सूचना अधिकारी 'लोक' की सूचना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है।

छोटे कार्यालयों में जहां लोक सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं हों, वहां नागरिकों के सूचना के अनुरोधों को प्राप्त कर उन्हें उचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारियों को भेजने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं।

किसी भी विभाग से कोई सूचना प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि सूचना का

Scanned by CamScanner

विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधि
अनुरोध पत्र उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधि
कारी को प्रस्तुत किया जाय। यदि सूचना का अनुरोध पत्र डाक से भेज रहे हों तो
उसे संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को सम्बोधित होना चाहिए। किस
विभाग के किस कार्यालय में कौन लोक सूचना अधिकारी है यह जानने के लिए
जिला अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा
सकता है। सभी विभागों व लोक प्राधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर यथा शासन या
सचिवालय स्तर, विभागाध्यक्ष या निदेशालय स्तर, मण्डर स्तर, जिला स्तर और
उपजिला या ब्लॉक स्तरों पर लोक सूचना अधिकारी व अपील अधिकारी नामित हैं।
उत्तरांचल सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in के RTI पोर्टल से भी इसकी
जानकारी प्राप्त हो सकती है।

लोक सूचना अधिकारी के दायित्व

लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह नागरिकों की सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही कर तत्काल या 30 दिन के अन्दर–अन्दर वांछित सूचना को उपलब्ध करा दें। यदि कोई अनपढ़ अपंग या नेत्रहीन व्यक्ति अनुरोध पत्र लिखने में असमर्थ हो तो उसके अनुरोध पत्र को तैयार करने और सभी औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद उसे पंजीकृत करने की व्यवस्था करना भी लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है।

यही नहीं, यदि क़िसी अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना का कुछ भाग किसी दूसरे विभाग या कार्यालय में उपलब्ध हो तो लोक सूचना अधिकारी का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने विभाग से संबंधित सूचना अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराते हुए शेष सूचना के लिए अनुरोधपत्र को संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को प्रेषित कर दे और इसकी सूचना लिखित रूप में अनुरोधकर्ता को भेज दे।

Scanned by CamScanner

सूचना के लिए अनुरोध

किसी विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में लिखित रूप में अनुरोध पत्र 10/– रूपये आवेदन शुल्क के साथ उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को देना होगा। यदि अनुरोधकर्ता गरीबी की सीमा रेखा के नीचे आय वर्ग का है तो कोई शुल्क देय नहीं है।

आवेदन पत्र सरल और संक्षिप्त होना चाहिए। आवेदन पत्र को कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया को लचीला रखा गया है। फिर भी आवेदन पत्र में कुछ आवश्यक सूचनाओं का होना जरूरी है : जैसे– अनुरोधकर्ता का नाम, पत्राचार या सम्पर्क का पता, इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण, आवेदन शुल्क जमा करने का प्रमाण, अनुरोधकर्ता यदि गरीबी रेखा से नीचे आये वर्ग का हो तो उसका प्रमाण और अनुरोध पत्र जमा करने की तिथि। अनुरोध पत्र पर अनुरोधकर्ता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी अवश्य होना चाहिए। सूचना क्यों चाहिए इसका उल्लेख करना जरूरी नहीं है।

सूचना शुल्क

दस रूपये आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भी सूचना को इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर आने वाले व्यय के वहन के लिए अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध करने पर आने वाले व्यय के विवरण के साथ आंकलित अतिरिक्त शुल्क की सूचना अनुरोधकर्ता को दे सकता है। अतिरिक्त शुल्क की दरें सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है जिसका विवरण बाक्स में दिया गया है।

अतिरिक्त शुल्क मांगने के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारी अनुरोधकर्ता को यह भी सूचित करेगा कि यदि शुल्क के आंकलन के संबंध में अनुरोधकर्ता को कोई असहमति या शिकायत है तो वह इसके लिए विभागीय अपील अधिकारी के पास

Scanned by CamScanner

अपील कर सकता है। उस पत्र में संबंधित अपील अधिकारी का नाम व पता, भी दिया जायेगा।

शुल्क का भुगतान

सूचना के लिए निर्धारित शुल्क

- आवेदन शुल्क रू0 10 प्रति आवेदन पत्र।
- अभिलेख/सूचना की छाया प्रति देने पर A3 या A4 साइज के पृष्ठ का रू0 2 अन्य कागज पर वास्तविक खर्च।
- अभिलेखों (फाइलों) का निरीक्षण करने के लिए प्रयास एक घण्टा हेतु कोई शुल्क नहीं। उसके उपरान्त प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु रू0 5 शुल्क।
- डिस्केट/फलापी पर सूचना मांगने पर रू0 50 प्रति फलापी/डिस्केट शुल्क।
- किसी मुद्रित प्रकाशन हेतु उसका निर्धारित मुल्य।
- निरीक्षण करने या सैम्पल/मॉडल लेने की दशा में उसकी वास्तविक लागत।

नोट : 1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदक से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2. यदि कोई लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के बाद सूचना उपलब्ध कराता है तो आवेदक से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

आवेदन या सूचना शुल्क का भुगतान बैंकर्स चेक, बैंक ड्राफ्ट, या नकदी में किया जा सकता है। चैक या बैंक ड्राफ्ट, संबंधित विभाग के लेखा अधिकारी के नाम होना चाहिए। यदि अनुरोधपत्र स्वयं लोक सूचना अधिकारी या सहायक सूचना अधिकारी को दे रहे हों तो उसकी पावती व शुल्क की रसीद भी हाथों हाथ प्राप्त कर लें। यदि

Scanned by CamScanner

डाक से अनुरोध पत्र भेजा हो तो सूचना भी डाक से प्राप्त होनी चाहिए। यदि 30 दिनों तक कुछ न मिले तो उसके बारे में पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जा सकती है।

सूचना न मिलने पर अपील की व्यवस्था

अधिनियम में नागरिकों के सूचना के अनुरोधों के निस्तारण में उत्पन्न गतिरोधों को दूर करने के लिए द्विस्तरीय अपील की व्यवस्था की गई है। पहला स्तर विभागीय अपील अधिकारी का है। जैसा कि उपर कहा गया है, प्रत्येक विभाग या लोक प्राधिकरण में हर स्तर पर विभागीय अपील अधिकारी भी नामित है जो उस स्तर पर नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी हैं।

यदि किसी व्यक्ति के सूचना के अनुरोध को लोक सूचना अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया हो या निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना प्राप्त न हुई हो या सूचना के अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी का निर्णय संतोषजनक न हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी, जो अपील अधिकारी नामित हों से शिकायत या अपील की जा सकती है। यदि विभागीय अपील अधिकारी के निर्णय से भी कोई सम्मुख अपील का अनुरोध किया जा सकता है। विभागीय अपील अधिकारियों की सूची भी बेव साइट पर उपलब्ध है। उत्तरांचल राज्य सूचना आयोग का कार्यालय डिफेन्स कालोनी, सेक्टर 1, सी. 10 पर स्थित है। अपील डाक से भी भेजी जा सकती है।

सामान्यतः निम्नलिखित परिस्थितियों में विभागीय उच्च अधिकारी या सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।

- ❑ यदि लोक सूचना अधिकारी या सहायक सूचना अधिकारी सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त न कर रहे हों।

Scanned by CamScanner

- जब लोक सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों के अन्दर वांछित सूचना देने में असमर्थ हों।
- जब किसी व्यक्ति को लगता हो कि उससे सूचना शुल्क के नाम पर अनावश्यक रूप से अधिक धन लिया गया है।
- जब किसी अनुरोधकर्ता को यह विश्वास हो कि उसके अनुरोध को अस्वीकार कर उनके साथ अन्याय किया गया है।
- जब किसी अनुरोधकर्ता को यह विश्वास हो कि उसे अनुचित रूप से अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है, और जब कोई अनुरोधकर्ता यह सोचता हो कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे जान–बूझ कर गलत, अधूरी और गुमराह करने वाली सूचना दी है।

अपील करने के लिए अनुरोधकर्ता को कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी क्योंकि अपील सूचना न मिलने के कारण की जा रही है जिसके लिए पहले ही फीस दे दी गई है। अपने आदेश और निर्णय को सही साबित करने का भार लोक सूचना अधिकारी पर है। अनुरोधकर्ता को अपील का अनुरोधपत्र देने के अतिरिक्त और कुछ साबित नहीं करना है। अपील का अनुरोधपत्र सीधे अपील अधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है। अपील के अनुरोध के साथ मूल सूचना का अनुरोध पत्र और उसपर लोक सूचना अधिकारी का आदेश संलग्न होना चाहिए।

अपील सूचना न मिलने, अधूरी या गलत सूचना मिलने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर–अन्दर की जा सकती है। विभागीय अपील अधिकारी, अपील का अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर उस पर अपना निर्णय दे देगा। ऐसा न होने पर या विभागीय अपील अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 90 दिनों के अन्दर सूचना आयोग में दूसरी अपील की जा सकती है।

किसी भी स्तर पर अपील के लिए फीस देने का कोई प्राविधान नही है। अपील से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण, अपीलकर्ता क्या चाहता है और किस आधार पर

Scanned by CamScanner

अपील कर रहा है इसका उल्लेख ही अपील में होना चाहिए। साथ ही अपीलकर्ता को अपील में दिये गये तथ्यों का सत्यापन भी करना होगा। अपील स्वीकृत होने पर अनुरोधकर्ता को इच्छित सूचना तो मिलेगी ही इसमें हुए विलम्ब के लिए लोक सूचना अधिकारी को 250/– रू0 प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000/–रू0 दण्ड भी देना पड़ सकता है।

कौन सी सूचनायें नहीं मिल सकती हैं

सूचना के अधिककार अधिनियम 2005 की धारा 8 व 9 में निम्न सूचनाओं का उल्लेख किया गया जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए विभाग, संस्थान या संगठन लोक प्राधिकरण की वाध्यता नहीं होगी :

1. ऐसी सूचनायें जिसको प्रकट करने से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।
2. ऐसी सूचनायें जो किसी अपराध को करने के लिए उकसाती हों।
3. ऐसी सूचना जिसको सार्वजनिक करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकरण ने रोक लगाई हो या जिसको प्रकट करने से न्यायालय की अवमानना होती हो।
4. ऐसी सूचना जिसको प्रकट करने से संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के विषेशाधिकार का हनन होता हो।
5. ऐसी सूचना जिसको प्रकट करने से वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा प्रभावित होती है और तीसरे पक्ष को नुकसान होता है। जब तक सक्षम प्राधिकारी आश्वस्त न हो जाय कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित निहित है।
6. किसी व्यक्ति के वैश्वासिक सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी आश्वस्त न हो जाय कि ऐसी सूचना को प्रकट करना विस्तृत लोक हित में आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

7. किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना।
8. सूचना जिसको प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो या सूचना जिसके प्रकटन से कानून व्यवस्था या आतरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए प्रयुक्त किसी स्रोत की पहचान होती हो।
9. सूचना जिसको प्रकट करने से जांच, अन्वेशण या अपराधियों को गिरतार करने या अभियोजन की क्रिया में बाधा पड़ती हो।
10. मंत्री मंडल के निर्णय, उनके कारण या सामग्री जिसके आधार पर निर्णय किये गये थे, निर्णय किये जाने और विषय के पूरा होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराये जायेंगे। (उस सामग्री को छोड़ कर जो धारा–8 (1) के अन्तर्गत प्रकट नहीं की जानी है)।
11. ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबन्धित है, जिसको प्रकट करने का किसी लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोकहित में न्यायोचित है।

सूचना आयोग के निर्णय से भी असंतुष्ट कोई व्यक्ति सूचना आयोग में पुनरावलोकन के लिए फिर अपील कर सकता है। अथवा सूचना आयोग के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की फीस व अन्य व्यय उसे स्वयं वहन करने होंगे।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सरकार,
उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग डिफेन्स कालोनी,
सेक्टर–1, सी–10 देहरादून।

Scanned by CamScanner

नाबार्ड द्वारा संचालित योजनायें

Scanned by CamScanner

किसान क्रेडिट कार्ड

प्रमुख ऋण प्रदाय नवोन्मेष के रुप में, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को लचीले, आसान और लागत प्रभावी तरीके से बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और सामयिक ऋण सहायता की व्यवस्था करना है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएँ :

- पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पासबुक अथवा कार्ड–सह–पासबुक प्रदान की जायेगी।
- मंजूर सीमा के भीतर कई आहरण और चुकौतियां करने की अनुमति प्रदान करने की रिवाल्विंग नकदी–ऋण संविधा।
- ऋण सीमा तय करते समय पूरे वर्ष के लिए समग्र उत्पादन ऋण आवश्यकताओं और उत्पादन ऋण से संबंधित आनुषांगिक कार्यों पर भी विचार किया जाएगा। यथासमय, संबद्धित कार्यकलापों और कृषित्तर अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाएगा।
- साख सीमा का निर्धारण, परिचालनगत भूमिजोत, फसल पद्धति और वित्त के पैमाना के आधार पर किया जाता है।
- बैंकों के विवेक पर मौसमी उप–सीमाएं तय की जा सकती हैं।
- सीमा 3 वर्षों के लिए वैध होती है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान के मामले में परिवर्तन (कनवर्जन) रिशिडयूलमेंट की भी अनुमति है।
- अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में ऋण सीमा बढ़ाई जा सकती है ताकि लागतों में वृद्धि, फसल पद्धति में बदलाव लाने इत्यादि का ध्यान रखा जा सके।

Scanned by CamScanner

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार सेक्युरिटी, मार्जिन और ब्याज दर।
- जारीकर्ता शाखा पैक्स अथवा बैंक के विवेकाधिकार पर अन्य नामित शाखाओं के जरिए परिचालन किए जा सकते हैं। कार्ड और पासबुक के साथ स्लिपों/चेकों के जरिए बैंक से राशि निकाली जा सकती है।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए रु.15 प्रति वर्ष के वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु होने अथवा स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में रु. 50,000 और आंशिक रुप से विकलांगता होने की स्थिति में रु. 25,000 का वैयक्तिक दुर्घटना बीमा है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ :

- उधारकर्ता की पूरे वर्ष की ऋण–जरूरतों की पूर्ति होती है।
- बैंक से राशि निकालने के लिए न्यूनतम कागज़ी कार्रवाई और दस्तावेजों का अत्यंत सरल होना।
- पर्याप्त और सामयिक ऋण तक कृषकों की पहुंच।
- 3 वर्षों तक ऋण की सुनिश्चित उपलब्धता और वर्ष दर वर्ष ऋण प्राप्त करने की अनिश्चितता समाप्त।
- ऋण सीमा की वार्षिक समीक्षा ओर संतोषप्रद संचालन की स्थिति में ऋण सीमा में वृद्धि का प्रावधान।
- ऋण के उपयोग में लचीलापन और ब्याज के बोझ में बचत।
- बैंक के विवेक पर जारीकर्ता शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखाओं से नकदी निकालने की सुविधा।
- दुर्घटना हो जाने की स्थिति में बहुत ही कम प्रीमियम पर कृषक के लिए लाइफ कवर एवं विकलांगता बीमा की उपलब्धता।

Scanned by CamScanner

ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे गोदामों हेतु आदर्श योजना

क्षमता और आकार :

100 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम हेतु संरचना का आन्तरिक आयतन 250 घन मीटर होना चाहिये। इस प्रकार यदि गोदाम की ऊँचाई 5.18 मीटर (17 फीट) रखी जाये, जो साधारणतया होती है, तो गोदाम के अन्दर का क्षेत्रफल 48.27 वर्ग मीटर (520 वर्ग फीट) होना चाहिये। इस प्रकार के गोदाम का निर्माण लगभग 600 वर्ग फीट (30 फीट लम्बाई और 20 फीट चौड़ाई) के भूखण्ड में किया जा सकता है।

बैंकों द्वारा ग्रामीण गोदाम हेतु वित्तपोषण के लिये अपनाये जाने वाले मानदंड :

1. **जमीन (प्लॉट) :** संरचना के निर्माण हेतु जमीन (600 वर्ग फीट) लाभार्थी के पास होनी चाहिये।
2. **डिजाइन :** ग्रामीण गोदाम के निर्माण बेहद सरल है और इसे स्थानीय राज मिस्त्री बना सकते हैं।
3. **लागत :** लगभग रु. 450 प्रति वर्ग फीट आयेगी। इस प्रकार कुल लागत रु. 2,60,000/– होगी।
4. **लाभार्थी की श्रेणी :** श्रेणी "क" – पहाड़ी क्षेत्र (परियोजना स्थल समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर)।
5. **मार्जिन/अंशदान :** श्रेणी "क" – 20% (रु. 52,000/–)
6. **बैंक ऋण :** परियोजना लागत में से मार्जिन/अंशदान शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जायेगी। ब्याज वाला ऋण 46.67% (रु. 1,21,343) व बिना ब्याज का सब्सिड के बराबर ऋण 33.33% (रु. 83,325) यानी कुल रु.2,04,667 होगा।
7. **परियोजना अवधि :** साधारणतया इस प्रकार का गोदाम दो से तीन महीने में निर्मित हो सकता है फिर भी परियोजना के क्रियान्वयन के लिये लाभार्थी

Scanned by CamScanner

के पास कुल 15 महीने का समय होगा जिस अवधि के अन्दर उसे गोदाम का निर्माण कर बैंक को सूचित करना होगा।

8. **चुकौती अवधि :** परियोजना की चुकौती अवधि परियोजना से अर्जित की जा रही आय पर आधारित होगी। आम तौर पर इस प्रकार की योजना में एक वर्ष की छूट अवधि के साथ सात से आठ वर्ष की चुकौती अवधि होती है।

9. **प्रतिभूति (सिक्योरिटी) :** गोदाम हेतु जमीन तथा निर्मित गोदाम को बंधक बनाकर।

10. **उपलब्ध छूट (सब्सिडी) :** 1000 मेट्रिक टन तक के गोदामों के लिये अधिकतम लागत रु.2500/– प्रति मेट्रिक टन पर निर्धारित की जाती है (अतः 100 मेट्रिक टन के गोदाम हेतु अधिकतम लागत रू. 2,50,000/– मानी जायेगी) – श्रेणी "क" पहाड़ी क्षेत्र के लिये सब्सिडी – 33.33% (रु.83,325/–)।

11. **उपलब्ध छूट (सब्सिडी) जारी करने का तरीका :**

अग्रिम सब्सिडी : 50% सब्सिडी नाबार्ड बैंकों को पहले ही जारी कर देगा ताकि वे उसे संबंधित ऋणियों के सब्सिडी रिजर्व फंड एकाउंट में रख सकें। अग्रिम सब्सिडी बैंकों द्वारा परियोजना रूपरेखा सह–मांग प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी कर दी जाएगी।

अन्तिम सब्सिडी : सब्सिडी की शेष 50% राशि नाबार्ड द्वारा संयुक्त निरीक्षण समिति जिसमें नाबार्ड, सहभागी बैंकों और संबंधित राज्य में स्थित विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के अधिकारी शामिल होंगे, के निरीक्षण के बाद सहभागी बैंकों को प्रदान कर दी जाएगी।

12. **ऋणी के खाते में सब्सिडी का समायोजन :** सब्सिडी का समायोजन अंत में किया जाएगा। तदनुरूप, अंशदान को छोड़कर कुल परियोजना लागत बैंक द्वारा ऋण के रूप में दी जाएगी। ऋण की राशि पर रिपेमेंट सूची इस प्रकार तैयार की जाएगी कि ब्याज सहित कुल बैंक ऋण की राशि, सब्सिडी की राशि से समायोजित हो जाए परन्तु यह ऋण की पहली किश्त के भुगतान की तारीख के 5 वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिए।

Scanned by CamScanner

सब्सिडी राशि को छोड़कर ऋण की राशि पर ब्याज लिया जाएगा। अतः एस.एल.आर./सी.आर.आर. के लिए सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में बची शेष राशि पर मांग एवं समय सीमा लागू नहीं होगी। चूंकि सब्सिडी पश्च समायोजनीय होती है, सब्सिडी की वांछनीय राशि प्रारम्भ से लाभार्थी को आवधिक ऋण के रूप में दी जाएगी।

प्रक्रिया

- आवेदक बैंक के फार्म पर बैंक ऋण व सब्सिडी के लिये आवेदन करेगा – साथ में प्रोजेकट रिपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज – आवेदन की एक प्रति डीएम आई को भेजी जायेगी – Asstt. Agricultural Marketing Adviser, Directorate of Marketing & Inspection, Computer Room, APMC, Niranjanpur, Dehradun
- बैंक लोन मंजूर करेगा और पहली किश्त वितरित करेगा।
- इसके बाद बैंक दिये गये प्रोफॉर्मो में अग्रिम सब्सिडी के लिये नाबार्ड को आवेदन करेगा। बैंक का मंजूरी पत्र साथ भेजा जायेगा। इसकी एक प्रति डीएम आई को भी भेजी जायेगी।
- नाबार्ड 50% अग्रिम सब्सिडी जारी करेगा जिसे बैंक संबंधित ऋणियों के सब्सिडी रिजर्व फंड एकाउंट में रखेगे।
- प्रोजेवट पूरा होने पर आवेदक बैंक को बतायेगा।
- बैंक संयुक्त निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवायेगा जिसके बाद बैंकों को बची 50% सब्सिडी जारी कर दी जायेगी इसके लिये बैंक दिये गये प्रोफॉर्मो में सब्सिडी के लिये नाबार्ड को आवेदन करेगा।
- बैंक लोन व ब्याज की चुकौती होने पर सब्सिडी समायोजित करके खाता बन्द कर दिया जायेगा।

Scanned by CamScanner

ध्यान देने योग्य बातें

- गोदाम ऐसे स्थल पर होने चाहिये जहां पानी रुकने की संभावना न हो।
- गोदाम यथासम्भव सड़क के किनारे होना चाहिये जहां ट्रक अथवा ट्राली आ जा सके।
- गोदाम के आस पास पर्याप्त पार्किंग तथा वाहनों के मुड़ने की व्यवस्था होनी चाहिये।

निर्माण संबंधी बातें

- गोदाम का प्लिन्थ सड़क एवं निकास नाली से कम से कम 50 से.मी. ऊपर होना चाहिये।
- संरचना में सभी छेद, नालियां, पाईप इत्यादि चूहों और अन्य कुतरकर खाने वाले पशुओं के प्रवेश न होने के लिये जालियों अथवा अन्य झंझरी द्वारा सुरक्षित हों।
- गोदाम के प्रवेश द्वार पर मूषक निरोधक अवश्य लगा हो।
- संरचना में कीड़ों तथा अन्न इत्यादि को हानि पहुंचाने वाले कीड़ों का निवास न हो इसके लिये चिकनी तथा दरार रहित सतह होनी चाहिये।
- गोदाम हवादार हों, उनमें दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान लगे हुए हों तथा वे सभी जल प्रतिरोधक (फर्श, दीवार, छत आदि से नमी पर नियंत्रण) होंगे।
- गोदाम पक्षियों से सुरक्षित होगा (जाली युक्त खिड़कियां तथा रोशनदान होंगे)।
- गोदाम में लगी खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि इस ढंग से लगे हुए हों कि गोदाम को कारगर धूम्रीकरण इत्यादि के लिए बन्द किया जा सके।
- गोदाम में चोरी एवं आग पर नियंत्रण पाने की, सामान उतारने व लागने की व्यवस्था हो।

डेरी और मुर्गीपालन वेंचर कैपिटल फंड
;जोखि पूंजी निध्द्वि

1. **गतिविधियां व लागत :** संलग्न सूची के अनुसार।

2. **लाभार्थी :** व्यक्ति या समूह।

3. **वित्त योजना :** मार्जिन/अंशदान : 10%, ब्याज मुक्त ऋण : 50%, ब्याज सहित ऋण : 40%

4. **ब्याज सब्सिडी :** 50% ब्याज मुक्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। बैंक 40% ब्याज सहित ऋण पर उस समय चालू दर पर ब्याज लगायेंगे। यदि लाभार्थी समय से ऋण व ब्याज की चुकौती करता है तो ब्याज की ऊपर बताई राशि का 50% उसे ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलेगा। इसके लिये बैंक नाबार्ड से अंत में आवेदन करेंगे तथा इस राशि को लाभार्थी के खाते में क्रेडिट कर देंगे।

5. **चुकौती :** बैंक कुल ऋण (अर्थात ब्याज मुक्त ऋण + ब्याज सहित ऋण) की वसूली एक साथ करेंगे। ब्याज मुक्त ऋण की राशि सालाना आधार पर नाबार्ड को वापस कर दी जायगी।

6. **चुकौती अवधि :** परियोजना की चुकौती अवधि परियोजना से अर्जित की जा रही आय पर आधारित होगी। अधिकतम चुकौती अवधि एक वर्ष की छूट अवधि के साथ सात वर्ष है।

प्रक्रिया

- ❑ आवेदन बैंक के फार्म पर बैंक ऋण व ब्याज मुक्त ऋण के लिये आवेदन करेगा। साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेज।

Scanned by CamScanner

- बैंक लोन मंजूर करेगा।
- इसके बाद बैंक का नियंत्रक कार्यालय दिये गये प्रोफॉर्मो में 50% ब्याज मुक्त ऋण के लिये नाबार्ड को आवेदन करेगा। (अनुबंध 2 वाला प्रोफॉर्मा, बैंक का मंजूरी पत्र व योजना लागत का मदवार विवरण साथ भेजा जायेगा।)
- नाबार्ड रिवोलविन्ग फंड से 50% ब्याज मुक्त ऋण बैंक के नियंत्रक कार्यालय को जारी करेगा।
- नाबार्ड से ब्याज मुक्त ऋण मिलने के 7 दिन के अंदर बैंक आवेदक को ऋण वितरित करेगा।
- यदि किसी कारण ऋण वितरित नहीं हो पाया तो बैंक तुरंत नाबार्ड से मिली राशि वापस करेगा। यदि 3 महिने के भीतर ऋण वितरण नहीं हुआ तो नाबार्ड ब्याज मुक्त ऋण की राशि पर बैंक से 10% की दर से जुर्माना लेगा।
- यदि लाभार्थी समय से ऋण व ब्याज की चुकौती करता है तो लाभार्थी के द्वारा चुकाई गयी ब्याज की राशि के 50% की ब्याज सब्सिडी के लिये बैंक बैंक दिये गये प्रोफॉर्मो में नाबार्ड से आवेदन करेंगे।
- ब्याज सब्सिडी मिलने पर इस राशि को बैंक लाभार्थी के खाते में क्रेडिट कर देंगे।

Scanned by CamScanner

उत्तरांचल ग्रामीण रोज़गार गारन्टी योजना

उद्देश्य :

- ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिवस के श्रम रोज़गार की कानूनी गारण्टी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।
- जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण व जल निकास एवं सर्वमौसम सड़क द्वारा ग्रामीण संयोजकता सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन।

पात्रता :

पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।

योजना का कार्यक्षेत्र :

प्रथम चरण में जनपद टिहरी, चम्पावत एवं चमोली। पांच वर्षों में सम्पूर्ण राज्य।

क्रियान्वयन प्रक्रिया :

- ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोज़गार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण।
- श्रम रोज़गार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को परिचय पत्र/जॉब कार्ड की सुविधा।
- पंजीकृत मज़दूरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवेदनकर्ता द्वारा कार्य हेतु आवेदन प्राप्ति पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर।
- कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य के लिये आवदेन करना अनिवार्य।

Scanned by CamScanner

अधिनियम के अन्तर्गत वरीयतानुसार अनुमन्य कार्य

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखानिवारण, वनीकरण एवं वृक्षारोपण।
- सिंचाई नहर जिसमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है।
- अनु.जाति/जनजाति/लघु सिमान्त कृषकों के परिवारों अथवा भूमि सुधार योजना के लाभार्थी परिवारों अथवा इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी परिवारों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्राविधान।
- परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार जिसमें तालाबों की सफाई भी सम्मिलित है।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा कार्य जिसमें जल भराव क्षेत्रों से जल निकास भी सम्मिलित है।
- सर्वमौसम सड़क सम्पर्क द्वारा ग्रामीण संयोजकता।

कार्य स्थलीय सुविधायें

- चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता।
- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किये जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेश की व्यवस्था।
- कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि देय।

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी देय। वर्तमान दर रु.100 निर्धारित।
- महिला तथा पुरूष को एक समान मज़दूरी देने की व्यवस्था।

Scanned by CamScanner

- विलम्बतम 15 दिन के भीतर मज़दूरी भुगतान की व्यवस्था।
- कार्यों के लिए श्रमांश कम से कम 60% तथा सामग्री अंश अधिकतम 40% निर्धारित जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है।

बेरोजगारी भत्ता

- पंजीकृत मज़दूरो को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटन न होने की दशा में बेरोज़गारी भत्ता देय। प्रथम 30 दिवसों हेतु मजदूरी की एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए मजदूरी की आधी दर देय।
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी बेरोजगारी भत्ता भुगतान हेतु उत्तरदायी।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था

केन्द्र सरकार द्वारा

- अकुशल मज़दूरों की पूर्ण मजदूरी।
- कुशल एवं अर्द्धकुशल मज़दूरों को देय मज़दूरी एवं सामग्री अंश का 75%।

राज्य सरकार द्वारा

- कुशल एवं अर्द्धकुशल मज़दूरों की कुल मजदूरी एवं सामग्री अंश का 25%।
- देय बेरोजगार भत्ता।

आवंटन प्रक्रिया

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपने–अपने अंश की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाना।
- कार्यदायी संस्थाओ को धनराशि अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था। क्रमिक धनावंटन उपयोग एवं मांग आधारित।

Scanned by CamScanner

पारदर्शिता

- कार्य के वित्तीय एवं भौतिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अतिरिक्त महालेखाकार/सी.ए.जी. भारत सरकार, स्थानीय लेखा सम्प्रेश्रा तथा विभागीय सम्प्रेक्षा की व्यवस्था।
- ग्राम पंचायत के विवरणों के सम्प्रेक्षण हेतु अन्तर्जनपदीय सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक सम्प्रेक्षण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन।
- ज़िलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समितियों द्वारा निगरानी।

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

शासन स्तर पर

- प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।

विभागाध्यक्ष स्तर पर

- आयुक्त/उपायुक्त/सहा. आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
- अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर, उ.सिंह नगर।

जनपद स्तर पर

- जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य विकास अधिकरी
- जिला विकास अधिकारी
- परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner

विकास खण्ड स्तर पर

- खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

ग्राम पंचायत स्तर पर

- प्रधान ग्राम पंचायत
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

मज़दूरी पंजीकरण हेतु आवेदन करें

- ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में।

जॉब कार्ड हेतु सम्पर्क करें

- ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में।
- खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी।

कार्य आवंटन हेतु सम्पर्क करें

- ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी।
- खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी।

Scanned by CamScanner

संस्था के बारे में ....

माउन्ट वैली डेवलपमेंट एशोसिएशन (MVDA) एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है तथा विगत 15 वर्षों से उत्तराखंण्ड हिमालय के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जनपद में अपने उद्भव काल से ही तृणमूल स्तर पर समुदाय के स्तर पर जल जंगल जमीन से जुड़े मुद्दों पर कार्य कर रही है।

हमारी सोच

पर्वतीय ग्रामीण समुदाय के साथ चिरंतर विकास, आजीविका संवर्द्धन का कार्य करें ताकि समुदाय का संतत चिरंतर विकास किया जा सके।

अपनी सोच को धरातल पर परिणित करने हेतु संस्था निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय में कार्यरत है :

- ❖ ग्राम्य विकास से जुड़े सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों के साथ तालमेल स्थापित करना।
- ❖ प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन एवं प्रबन्धन में जन सहभागिता को प्रभावी बनाकर एक पर्वतीय माडल विकसित करना।
- ❖ आजीविका संवर्द्धन से सम्बन्धित माडलों को कार्यक्षेत्र में सामुदायिक स्तर पर स्थापित करना।
- ❖ सूचना प्रसारण के माध्यम से समुदाय विशेषकर महिलाओं को जागरूक करना ताकि वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- ❖ विकास प्रक्रिया में जन समुदाय, शासकीय कर्मचारियों की जबावदेही सुनिश्चित करने हेतु पहल करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने हेतु संस्था निम्न कार्य सम्पादित कर रही है।

1. महिला व बच्चों का सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण, 2. सूचना के अधिकार को जन–जन पहुंचाने हेतु जन जागरण करना, 3. कृषि प्रसार, 4. समुदाय के सफल कार्यों का दस्तावेजीकरण, 5. नियोजन प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी।

हमारे सहयोगी जिन्होंने हमें मजबूती प्रदान की

ग्यारहगांव महिला मंच, सेम गधेरा जलागम संघ मैगाधार, टिहरी, ग्राम विकास समिति, क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूह, एकीकृत जलागम संघ, छैली, कैठार एवं सैड़, देवंज तथा देवट न्यायपंचायत के ग्रामीण समुदाय।

हमारे सहयोगी

एक्शन एड, आईफेड (आजीविका), हिमोत्थान परियोजना, सर रतन टाटा ट्रस्ट, आक्सफेम हांगकांग, आई.जी.एस.एस., कपार्ट, नाबार्ड, वाणी, सम्बन्ध, लोक विज्ञान संस्थान (पी.एस. आई.), हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर (हार्क) आदि।

Scanned by CamScanner